

प्रश्न पत्र—प्रथम

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

मॉड्यूल एक – वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी

अ – भारतीय न्याय संहिता 2023

धारा 2(28) BNS लोक सेवक {21 IPC} :-

1. लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के लिये है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है।
2. भारत की सेना नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त ऑफिसर।
3. हर न्यायाधीश जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो।
4. न्यायालय का हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए अधिप्रमाणिकृत करे, किसी संपत्ति का भार संभाले या उसका व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो।
5. किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ज्यूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य।
6. हर व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय, या रिपोर्ट के लिये निर्देशित किया गया हो।
7. हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरुद्ध करने या रखने के लिये सशक्त हो।
8. सरकार का हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इत्तला दें, अपराधियों को न्याय के लिये उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे।
9. हर ऑफिसर जो सरकार की ओर से किसी संपत्ति हो ग्रहण करे या व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणिकृत करे या रखे या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिये किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।
10. हर ऑफिसर जो किसी ग्राम नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिये किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्ग्रहीत करे या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयन के लिये कोई दस्तावेज बनाए।
11. हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या पुनरीक्षित करने के लिये या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो।
12. हर व्यक्ति जो –
 - (1) जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो।
 - (2) स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केन्द्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम की या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो।

राजस्थान संशोधन (वर्ष 1993)

13. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और परीक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित या लगाया गया है। इसके अनुसार लोक निकाय में किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या भारतीय संविधान के अन्तर्गत या सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषद् या अन्य स्थानीय निकाय सम्मिलित है।

● धारा 2(21) BNS जंगम संपत्ति {22 IPC} :-जंगम संपत्ति से आशय है कि हर भांति की वह संपत्ति जो मूर्त सम्पत्ति के अन्तर्गत आती है, किन्तु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अन्तर्गत नहीं आती है। अर्थात् पृथ्वी से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार (आकार या शक्ल) की वस्तुएं चल सम्पत्ति कहलाती हैं। साधारण शब्दों में चल सम्पत्ति से तात्पर्य उस

सम्पत्ति से है जिसे एक स्थान दूसरे से स्थान पर लाया या ले जाया जा सके। जैसे – गन्ना जब तक खेत में खड़ा रहता है तब तक अचल सम्पत्ति है लेकिन जैसे ही उसे काटकर ट्रैक्टर में लाद दिया जाये तो वह चल सम्पत्ति कहलाती है।

● **धारा 2(36) BNS सदोष अभिलाभ {23 IPC}** :- विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सदोष अभिलाभ में व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ प्राप्त करता है जिस पर उसका कोई विधिक दावा नहीं होता है और वह यह ऐसे साधनों से करता है जो विधि के प्रतिकूल होते हैं।

धारा 2(37) BNS सदोष हानि {23 IPC} – विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि, जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। सदोष हानि में व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति की हानि होती है जिस पर उसका धारक के रूप में विधिक अधिकार होता है और वह यह ऐसे साधनों से खो देता है जो विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं हैं।

व्याख्या – कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखें रखता है और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है।

● **धारा 2(7) BNS बेईमानी से {24 IPC}** :-जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को “बेईमानी से” करता है, यह कहा जाता है। इस धारा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करने का आशय महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक नहीं है कि वास्तव में सदोष अभिलाभ या सदोष हानि हो।

● **धारा 2(8) BNS दस्तावेज {29IPC}** से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंको या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सके।

● **धारा 2(9)BNS कपटपूर्वक {25 IPC}** :-कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है अन्यथा नहीं। उदाहरण :- ‘क’ अपने प्रमाण पत्र में आयु खुरचकर 35 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करके ऐसे पद के लिए भेज देता है, जिसमें आयु 25 वर्ष अधिकतम है। ‘क’ ने कपटपूर्वक कार्य किया है।

● **धारा 2(31) BNS मूल्यवान प्रतिभूति {30 IPC}** :-भा.द.स. की धारा 30 के अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अन्तरित, निर्बन्धित आदि किया जाये, छोड़ा जाये या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करें कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या ऐसा विधिक अधिकार नहीं रखता है, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है।

● **धारा 2 (3) BNS बालक** से 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है **{यह नई धारा है }**

● **धारा 2(14) BNS क्षति {44 IPC}** से कोई अपहानी अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो।

● **धारा 2 (35) BNS महिला {10 IPC}** किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है।

● **धारा 3(5) BNS सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य {34 IPC}** – जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

व्याख्या— सामान्य आशय पूर्व गठित योजना और उस योजना के अनुसरण में संयुक्त कार्य को इंगित करता है अर्थात सामान्य आशय पूर्व मतैक्य परिकल्पित करता है। सामान्य आशय व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा पूर्व नियोजित किसी आशय पर सामान्यतः एक मत होकर कार्य करने से माना जायेगा।

• **धारा 13 BNS पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड {75 IPC}** – जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन अध्याय 12 {10 BNS} या अध्याय 17 {17 BNS} के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने के बाद दोनो अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

साधारण अपवाद

• **धारा 14 BNS विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य {75 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न की विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

व्याख्या— यह धारा ऐसे व्यक्ति को क्षमा देती है जिसने कोई ऐसा कार्य किया है जो विधि के द्वारा अपराध है किन्तु जिसे करने में तथ्यों की भूल के अधीन वह सद्भावपूर्वक इस विश्वास में आ गया था कि वह इस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आदेशित है। जैसे विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है, सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया है।

• **धारा 15 BNS न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य {77 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक उसे विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

• **धारा 16 BNS न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य {78 IPC}** – कोई बात, जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुकरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाये, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परन्तु यह सब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी।

• **धारा 17 BNS विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य {79 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, जो उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा न्यायानुमत है।

• **धारा 18 BNS विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना {80 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सर्तकता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है।

• **धारा 19 BNS कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है {81 IPC}** – कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक की गई हो।

व्याख्या— कोई कार्य जो अपराध होगा कुछ परिस्थितियों में क्षमा किया जा सकता है यदि अभियोजित व्यक्ति यह दर्शित करे की उसने वह कार्य कुछ ऐसे परिणामों से बचने के लिए किया था जो अन्यथा रोके न जा सकते थे एवं उससे अधिक अपहानि कारित हो सकती थी।

• **धारा 20 BNS सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य {82 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

• **धारा 21 BNS सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य {83 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों पर निर्णय कर सके।

• **धारा 22 BNS विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य {84 IPC}** – कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

व्याख्या— चित्तविकृति का अर्थ है चाहे समर्थता का अभाव स्थायी हो या अस्थायी, प्राकृतिक हो या आकस्मिक या चाहे वह बीमारी के कारण पैदा हुई हो या जन्म से ही विद्यमान हो, सभी चित्तविकृति की अभिव्यक्ति में शामिल है।

• **धारा 23 BNS {85 IPC} ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुँचने में असमर्थ है**— कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल हैं, जानने में असमर्थ है, परन्तु यह तब जब कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

• **धारा 24 BNS किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है {86 IPC}**—उन दशाओं में जहाँ कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता, यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना व उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो।

• **धारा 25 BNS सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो {75 IPC}** —कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से अठारह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अपहानि की, जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है।

उदाहरण :—क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने में सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को, जो पट्टेबाजी के खेल में नियम विरुद्ध में न होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है।

• **धारा 26 BNS किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है {88 IPC}** —कोई बात जो मृत्युकारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिये यह बात सद्भावपूर्वक की जाये और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिये चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

• **धारा 27 BNS संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य {89 IPC}** —कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु से या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या

विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज्ञात हो।

परन्तु :-

पहला—इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा —इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बातें करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा —इस अपवाद का विस्तार स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा— इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

● **धारा 28 BNS सम्मति, जिसके सम्बंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गयी है {90 IPC}** — कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि यह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी।

उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति— यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो विकृतचित्त या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो।

शिशु की सम्मति— जब तक की संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो ऐसी सम्मति, यदि ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है।

● **धारा 29 BNS {91 IPC} ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है—**धारा 25, 26, 27 BNS {87,88,89 IPC} अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किये जाने का आशय हो, या कारित होने की सम्भावना ज्ञात हो।

● **धारा 30 BNS सम्मति के बिना किसी फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य {92 IPC}**—कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाये, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिये यह असम्भव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना सम्भव हो कि वह फायदे के साथ की जा सके।

परन्तु :-

पहला—इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्युकारित करने या मृत्युकारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा।

दूसरा —इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी ऐसी बातें करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना सम्भाव्य है।

तीसरा —इस अपवाद का विस्तार स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति का प्रयत्न करने पर न होगा जबतक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के, या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो।

चौथा— इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किये जाने पर इसका विस्तार नहीं है।

● **धारा 31 BNS सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना {93 IPC}**—सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिये दी गई हो।

● **धारा 32 BNS** वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है {94 IPC} —हत्या और मृत्यु से दण्डनीय उन अपराधों को जो राज्यों के विरुद्ध हैं, छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये जो उसे करने के लिये ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाये, परन्तु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है।

● **धारा 33 BNS** तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य {95 IPC} —कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की सम्भाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा।

प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

● **धारा 34 BNS प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार {96 IPC}** — कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है।

व्याख्या— प्राइवेट प्रतिरक्षा के दौरान अपहानि उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो। खुली लड़ाई में कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मानी जायेगी।

● **धारा 35 BNS शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार {97 IPC}** — धारा 99 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि —

पहला— मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे।

दूसरा— किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

● **धारा 36 BNS** ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित्त आदि हो {98 IPC} —

जबकि कोई कार्य, जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्तविकृति या मत्तता के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण, वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है।

उदाहरण— पागलपन के असर में 'य' 'क' को मारने का प्रयत्न करता है। 'य' किसी अपराध का दोषी नहीं है किन्तु 'क' को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह 'य' के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता है।

● **धारा 37 BNS** कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है {99 IPC} —

(1) सद्भावनापूर्वक यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक द्वारा किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(2) यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोकसेवक के निर्देश से किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो।

(3) उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिये लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।

(4) इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार— किसी दशा में भी प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 1.— कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किये गये या किये जाने के प्रयत्न, कार्य के विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोकसेवक है।

स्पष्टीकरण 2.— कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे लोकसेवक के नाते किये गये या किये जाने के प्रयत्न, कार्य के विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक की वह यह न जानता हो, या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक की वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है।

• **धारा 38 BNS शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है {100 IPC}** — शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध, जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, निम्नलिखित में से किसी भी भांति का है—

पहला— ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि हमले का परिणाम मृत्यु है।

दूसरा— ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि हमले का परिणाम घोर उपहति होगी।

तीसरा— बलात्संग करने के प्रयास से किया गया हमला।

चौथा— प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला।

पांचवा— व्ययपहरण व अपहरण के आशय से किया गया हमला।

छठा— किसी ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध किया जाना जिससे आशंका होती हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता नहीं कर सकता।

सातवा — तेजाब आदि ज्वलीनशील पदार्थ फेंककर या फेंकने के प्रयत्न से किये जाने कृत्य जिसका परिणाम घोर उपहति होगा।

• **धारा 39 BNS कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है {101 IPC}** — यदि अपराध पूर्वगामी अन्तिम धारा में वर्णित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु, स्वेच्छया कारित करने तक का नहीं होता किन्तु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 BNS {99 IPC} में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

• **धारा 40 BNS शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना {102 IPC}** — शरीर की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारम्भ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक की शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है।

• **धारा 41 BNS कब संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है {103 IPC}** — संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, धारा 99 {37 BNS} में वर्णित निर्बन्धनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किये जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है निम्नलिखित में से किसी भांति का है—

(1) लूट,

(2) रात्रि गृह भेदन,

(3) अग्नि द्वारा रिष्टि, जो किसी ऐसे निर्माण, तम्बू या जलयान को की गयी है, जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

(4) चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी स्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि यदि प्राईवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा।

• **धारा 42 BNS ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का तब होता है {104 IPC}** — यदि वह अपराध जिसके किये जाने या जिसके किये जाने के प्रयत्न से प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवसर आता है, ऐसे चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक का नहीं

होता किन्तु उसका विस्तार धारा 37 BNS {99 IPC} में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वैच्छया कारित करने तक होता है।

● **धारा 43 BNS संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बने रहना {105 IPC}** – संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आरम्भ होती है। संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक

- 1 अपराधी संपत्ति लेकर स्थान छोड़कर चला नहीं जाता या
- 2 लोक अधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त नहीं हो गयी हो
- 3 सम्पत्ति पुनः प्राप्त न हो गई हो।

संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे ही उन अपराधों का किया जाना समाप्त हो जाता है। गृह भेदन के विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक की गृह अतिचार चलता रहता है (जहां एक व्यक्ति ने चोर का पीछा किया और उसे गृह अतिचार समाप्त हो जाने के बाद खुले में मार डाला, यह अभिनिर्धारित हुआ कि वह प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन था)

● **धारा 44 BNS घातक हमले के विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो {106 IPC}** – जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता हो तो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस अपहानि के जोखिम उठाने तक का है।

उदाहरण— क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाये बिना प्राईवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे-2 शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाये बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता।

दुष्प्रेरण

धारा 45 BNS किसी बात का दुष्प्रेरण {107 IPC} – वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो

- 1 उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा
- 2 उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा
- 3 उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है

स्पष्टीकरण 1— जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझ कर छिपाने द्वारा स्वैच्छया किसी बात का किया जाना कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2— जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 46 BNS दुष्प्रेरक {108 IPC} – वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1 किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2 दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

स्पष्टीकरण 3. यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।

स्पष्टीकरण 4. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

स्पष्टीकरण 5 षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षडयंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

धारा 47 BNS भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण {108(A) IPC} – वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उसके परे किसी ऐसे कार्य के किये जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाये।

दृष्टान्त – क भारत में ख को जो गोवा में विदेशी है गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

धारा 48 BNS भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण {NEW} – वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किये जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए।

दृष्टान्त – क एक देश में ख को, भारत में हत्या करने को उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण को दोषी है। यह एक नई धारा है।

धारा 49 BNS दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाये जहां कि उसके दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है {109 IPC}— जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिये इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।

स्पष्टीकरण – कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

धारा 50 BNS दुष्प्रेरण का दण्ड – यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है **{110 IPC}**— जो कोई किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

धारा 51 BNS दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है {111 IPC} - जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किये गये कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानों उसने सिधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो।

उदाहरण – एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस परियोजन से उसे विष परिदत्त करता है वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरूप भूल में म के भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है यहां यह वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को म के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो।

धारा 52 BNS दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए आंकलित दण्ड से दण्डनीय है {112 IPC} – यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अन्तिम दुरगामी धारा के अनुसार दायित्वों के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक कार्य के लिए अपराधी होगा।

उदाहरण – ख को एक लोक सेवक द्वारा किये गये करस्थम् का बल पूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है ख परिणाम स्वरूप उस करस्थम् का प्रतिरोध करता है प्रतिरोध करने में ख करस्थम् का निष्पदान करने वाले ऑफिसर को स्वैच्छा घोर उपहति कारित करता है ख ने करस्थम् का प्रतिरोध करने और स्वैच्छा घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किये हैं इसलिए ख दोनो अपराधों के लिए दण्डित है और यदि क यह सम्भाव्य जानता था कि उसका करस्थम् का प्रतिरोध करने में ख स्वैच्छा घोर उपहति कारित करेगा तो क भी उन में से हर अपराध के लिए दण्डित होगा।

धारा 53 BNS दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो {113 IPC} – जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है। वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है। तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानों उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो परन्तु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभावित है।

उदाहरण – य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है परिणतः य कि मृत्यु हो जाती है यहां यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है तो क हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित होगा।

धारा 54 BNS अपराध के किये जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति {114 IPC} – जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाय जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

धारा 55 BNS मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण {115 IPC} – यदि अपराध नहीं किया जाता है, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाय, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा तथा जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है— और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाय जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो तो दुष्प्रेरक दोनों में किसी भांति के कारावास से जो कि 14 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

धारा 56 BNS कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण {116 IPC} – यदि अपराध न किया जाए – जो कोई कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि, वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाय और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता में नहीं किया गया है तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो— और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो, जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को निवारित करना हो तो वह दुष्प्रेरक ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण – क एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है लूट किये जाने का दुष्प्रेरण करता है यहां यद्यपि लूट नहीं की जाती क उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से दण्डनीय है।

धारा 57 BNS लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण {117 IPC} – जो कोई लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

उदाहरण — क एक लोक स्थान पर प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें दस से अधिक सदस्य हैं एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जब वे जूलूस निकालने में लगे हुए हो आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

आपराधिक षडयंत्र —

धारा 60 BNS कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना {120 IPC}— जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दण्डनीय है शुक्र बनाने के आशय से यह सम्भाव्यतः तद् द्वारा शुक्र बनायेगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किये जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा स्वेच्छा छिपायेगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है।

यदि अपराध कर दिया जाए और यदि अपराध नहीं किया जाए — यदि ऐसा अपराध कर दिया जाये तो वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास से दीर्घतम् अवधि की एक चौथाई तक हो सकेगी। और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम् अवधि के आठवें भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 61(1) BNS आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा {120(A) IPC} —जबकि दो या अधिक व्यक्ति

1 कोई अवैध कार्य अथवा

2 कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

धारा 61(2) BNS आपराधिक षडयंत्र का दंड {120(B) IPC} —

(1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिये आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षडयंत्र के दंड के लिये इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है तो वह उसी प्रकार दंडित किया जायेगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

(2) जो कोई पूर्वोक्त रूप से दण्डनीय अपराध को करने के आपराधिक षडयंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षडयंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।

धारा 189(1) BNS विधि विरुद्ध जमाव {141 IPC} — पांच या अधिक व्यक्तियों को जमाव “विधि विरुद्ध जमाव” कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्न लिखित हो—

(1) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा आतंकित करना

(क) केन्द्र सरकार को या,

(ख) राज्य सरकार को या,

(ग) विधायिका को या,

(घ) विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी लोक सेवक को

(2) किसी विधि के, या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना

(3) किसी रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना,

(4) आपराधिक बल का प्रयोग करके

(क) किसी सम्पत्ति को कब्जे में लेना या उसे अभिप्राप्त करना,

(ख) किसी व्यक्ति को उसके किसी अमूर्त अधिकार से वंचित करना

(ग) किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू करना।

(5) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करना

(क) ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने को वह वैध रूप से बाध्य नहीं है, या

(ख) ऐसा कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है

स्पष्टीकरण— कोई जमाव जो इक्कट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है

धारा 189(2) BNS विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना {142 IPC} — जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है

धारा 189(2) BNS {143 IPC} — दण्ड— जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(3) BNS {145 IPC} — जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुये ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा, बना रहेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(4) BNS {144 IPC} — जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(5) BNS {151 IPC} पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना — जो कोई पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हों, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण — यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा।

धारा 189(6) BNS { 150 IPC} विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता — जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाडेतरे पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का सम्प्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था।

धारा 189(7) BNS { 157 IPC} जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिये किसी गृह या उसके अधिभोग या प्रभार के अधिन किसी परिसर में संश्रय , आश्रय , जमाव करता है या यह जानते हुये की ऐसे व्यक्ति , किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिये भाड़े पर लिये गये हैं, लगाये गये हैं या नियोजित किये गये हैं या उससे जुड़ने के लिये भाड़े पर लिये जाने हैं या भाड़े पर लगाये जाने हैं या नियोजित किये जाने हैं वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से , दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(8) BNS { 158 IPC} जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्ही कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किये जाने हेतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है , वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से , दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(9) BNS { 158 IPC} जो कोई उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है, घातक आयुध से सजित होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की संभाव्यता है तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 141, 142, 143, 145, 150, 151, 157, 158 के समरूप है।

धारा 190 BNS विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी {149 IPC} – यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 196 BNS धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संमप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना {153 (A) IPC}।

(1) जो कोई –

(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यरूपणों या अन्यथा धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के बीच असौहार्द या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर संप्रवर्तित करेगा या प्रयत्न करेगा।

(ख) जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या ऐसा होना संभाव्य हो।

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य कोई क्रिया कलाप इस आशय से संचालित करेगा या कोई प्रशिक्षण आयोजित करेगा जिससे इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति धर्म, मूलवंश, भाषा या प्रादेशिक समूहों, जातियों, या समुदायों के विरुद्ध हिंसा या आपराधिक बल का प्रयोग करे।

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा 1 में वर्णित अपराध किसी पूजा के स्थान या जमाव जो धार्मिक पूजा या कर्म करने में लगा हुआ हो, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा या जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

धारा 199 BNS लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है {166(A) IPC} – जो कोई लोक सेवक हाते हुए –

(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश जो उसे किसी अपराध के अन्वेषण किसी आशय से किसी व्यक्ति के स्थान पर जाने पर पाबंदी लगाता है, यह जानते हुए भी इसकी अवज्ञा करता है, (ख) विधि का कोई अन्य निर्देश, जो ऐसे मामले के अन्वेषण के संदर्भ में विनियमन करता है, यह जानते हुए भी कि इससे किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से, ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है। या

(ग) धारा 124(1), 124(2), 74, 76, 143, 144, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS {326क, 326ख, 354, 354ख, 370, 370क, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड. या 509 IPC} के अंतर्गत दण्डनीय शमनीय अपराध के संदर्भ में द.प्र.सं. 1973, (1974 का 2) {BNSS 2023} धारा 154 {173 BNSS} की उपधारा (I) के तहत वह उपलब्ध कराए गए सूचना को (रिकॉर्ड) दर्ज करने में असफल रहता, तो

ऐसा लोक सेवक को कठोर कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी लेकिन जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी कि वह जुर्माना का भी भागी होगा।

धारा 200 BNS पीडित का उपचार न करने के लिए दण्ड {166(B) IPC} – जो कोई भी, जिसके देखरेख में अस्पताल है, चाहे अस्पताल निजी हो या सार्वजनिक, चाहे इसका संचालन केन्द्र सरकार करती हो या राज्य सरकार, स्थानीय संस्था या कोई अन्य व्यक्ति द.प्र.सं. 1973, (1974 का 2) {BNSS 2023} की धारा 397 BNSS {357(C) IPC} में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

धारा 298 BNS {295 IPC} :-जो कोई उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तद्वारा अपमान किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 299 BNS {295(A) IPC} :-जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित व विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपों द्वारा या अन्यथा करने या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 300 BNS धार्मिक जमाव में विघ्न करना {296 IPC} – जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छया विघ्न करेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 301 BNS कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना {297 IPC} – जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर, या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा। वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 302 BNS धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि {298 IPC} – जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 114 BNS उपहति (चोट) {319 IPC} :-जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग अंग-शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, यह कहा जाता है

धारा 115(1) BNS स्वेच्छया उपहति कारित करना {321 IPC} –जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह "स्वेच्छया उपहति करता है" यह कहा जाता है।

धारा 115(2) BNS स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड {323 IPC} – उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 116 BNS घोर उपहति {320 IPC} –

पहला—नपुसंकता

दूसरा—किसी भी आंख की दृष्टि को स्थाई रूप से समाप्त करना।

तीसरा—दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थाई रूप से नष्ट करना।

चौथा—किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पांचवा—किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थाई नाश।

छठा—सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण।

सातवां—अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवां—ऐसी चोट पहुंचाना जिससे 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहे वह मामूली काम करने में असमर्थ रहें।

धारा 117(1) BNS {322 IPC} –जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिससे कारित करने का आशय या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है और घोर उपहति है,

और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता, घोर उपहति हो, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है। सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना वह सम्भाव्य जानता हो किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित है तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है।

धारा 117(2) BNS स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड {325 IPC} — उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 117(3) BNS-new जो कोई उपधारा (1) के अधिन अपराध कारित करता है ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जो उस व्यक्ति को स्थाई दिव्यांगता कारित करता है या लगातार विकृतशिल दक्षा में डाल देता है वह ऐसे अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय होगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के प्राकृत जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत है।

धारा 117(4) BNS-new जहां पाँच या अधिक व्यक्तियों के समुह द्वारा, सामान्य मति से कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है वहाँ ऐसे समुह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना का भी दायी होगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 322 व 325 के समरूप है।

धारा 118(1) BNS खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना {324 IPC} — तेज या धारादार हथियार द्वारा, अग्नि द्वारा तप्त पदार्थ द्वारा, जहर द्वारा, विस्फोटक द्वारा जीवजन्तु द्वारा रासायनिक पदार्थ द्वारा स्वेच्छया चोट पहुँचाना।

दण्ड— तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों।

धारा 118(2) BNS खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना {326 IPC} — धारदार व खतरनाक उपकरण द्वारा, अग्नि, तप्त पदार्थ, विष, विस्फोटक पदार्थ जीवजन्तु द्वारा जानबूझकर गम्भीर चोट पहुँचाएगा।

दण्ड— आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास और जुर्माना।

धारा 119(1) BNS सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना {327 IPC} — जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए। **दण्ड**— दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 119(2) BNS संपत्ति हड़पने या किसी अवैध काम के लिए मजबूर करने के लिए जान-बूझकर किसी को गंभीर चोट पहुँचाने से जुड़ी है {329 IPC} —

इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी को जहरीला पदार्थ देकर नुकसान पहुँचाता है या मौत भी हो जाती है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है।

इस अपराध में, आरोपी को आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना किसी न्यायिक आदेश के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

यह एक गैर-जमानती अपराध है।

इस मामले की सुनवाई सेशन न्यायालय में होती है।

धारा 121(1) BNS लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना {332 IPC} –लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण चोट कारित करना। सजा—पांच वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 132 BNS लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {353 IPC} – जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्न किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।

दण्ड— दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

धारा 79 BNS शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है {509 IPC} – जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई ध्वनि या शरीर के किसी अंग को दिखायेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा

धारा 62 BNS आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड {511 IPC} –जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास के दण्डनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है जहां वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास के लिए उस अवधि के लिए जो यथा स्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उदाहरण – क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चूराने का प्रयत्न करता है परन्तु इस प्रकार खोलने के पश्चात् उसे ज्ञात होता है कि उसमें आभूषण नहीं है उसने चोरी की दिशा में कार्य किया है और इसलिए इस धारा के अधीन दोषी है।

ब – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS)

धारा 35(1)/(2) BNSS पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी {41 CRPC} –(अ)कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है;
(ख) जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गयी हो या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई हो या उचित शक हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से कम हो या जो सात वर्ष तक हो सकता है चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण किया जाता हो अर्थात्—

(1) ऐसी शिकायत सूचना या शक के आधार पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया;

(2) पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है—

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा अपराध कारित करने से रोकने ;या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अपराध का साक्ष्य गायब करने से या किसी अन्य तरीके से ऐसा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने या

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से अवगत हों पर दबाव भय या उत्प्रेरण करने से ऐसे व्यक्ति को रोकने ताकि न्यायालय को या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से उसे रोका जा सकें;या

(ड) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाये तब तक उसकी न्यायालय में उपस्थिति हेतु जब कभी अपेक्षित हो;

और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करते समय अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

(खक) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना यह प्राप्त हुई हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया जो ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय है जो सात वर्ष से अधिक तक हो सकेगा चाहे जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो और पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है

(ड) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है ज बवह अपना कतर्त्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है; अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किये जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने का भागी है संबंध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है; अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये किसी नियम को भंग करता है; अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है परंतु यह तब जब कि अध्यक्षता में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्दिष्ट है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यक्षता जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, असंज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी व्यक्ति या जिसके विरुद्ध शिकायत की गई या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या इस प्रकार संबंधित होने का शक हो मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।)

धारा 35(3) से (6) BNSS पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना {41(A) CRPC}

(1) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति को धारा 35(1) BNSS {41 CRPC} की उपधारा (1) के उपबंधों के तहत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, अपने समक्ष या एक सी अन्य जगह पर जिसे नोटिस में वर्णित किया जायें उसे उपस्थित होने के लिए ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गयी हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित शक हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है को निर्देश प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।

(2) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो वहां नोटिस की पालना करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करता है और पालना करना जारी रखता है वहां नोटिस में वर्णित अपराध के संबंध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के लिए पुलिस अधिकारियों की यह राय नहों हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां किसी भी समय ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में नाकाम हो जाता है वहां ऐसे आदेशों के अधधीन जिन्हें सक्षम न्यायानलय द्वारा इसी संबंध में पारित किया गया हो, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए उस गिरफ्तार किया जाना पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

धारा 35(7) BNSS कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गम्भीर बीमारी से पिड़ित है या 60 साल से अधिक की उम्र का है ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक से निचे की पक्ति का न हो की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जायेगी।

धारा 36 BNSS गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का कर्तव्य {41(B) CRPC}

गिरफ्तार करते समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी—

(क) अपने नाम की सही दिखने योग्य व स्पष्ट पहचान रखेगा जो उसकी सहज पहचान को सुविधाजनक करें;

(ख) फर्द गिरफ्तारी तैयार करेगा, जिसे—

(1) कम से कम एक ऐसे गवाह द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, जहां गिरफ्तारी की गयी हो;

(2) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा; और

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचना प्रदान करेगा जब तक कि फर्द उसके परिवार के सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जायें कि उसके पास उसके द्वारा बनाये गये रिश्तदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

धारा 37 BNSS जिलों में नियंत्रण कक्ष {41(C) CRPC} —

पदाभिहित पुलिस अधिकारी —

(1) राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा—

(क) प्रत्येक जिले में; और राज्य स्तर पर।

(ख) प्रत्येक जिले व प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगा जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति के निचे का नहीं होगा वह गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम व पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, अपराध की प्रकृति, जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना व जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अन्तर्गत डिजिटल मॉड भी है, प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्षों के बाहर रखे गये नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम व पते ओर उन पुलिस अधिकारियों जिन्होंने गिरफ्तारियों की के नाम व पदनाम लिखवायेगी।

(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष समय-समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में उस अपराध की प्रकृति के बारे में जिससे उन्हें आरोपित किया गया, विवरण एकत्रित करेगा और आम जनता की सूचना के लिए आंकडे रखेगा।

धारा 38 BNSS पूछताछ के दौरान उसकी पसन्द के वकील से मिलने के लिए गिरफ्तार किए गये व्यक्ति का अधिकार {41(D) CRPC} —

जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वह पूछताछ के दौरान यद्यपि संपूर्ण पूछताछ में नहीं अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा।

धारा 39 BNSS नाम और निवास से इनकार करने पर गिरफ्तारी {42 CRPC} —(1) जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके।

(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभूओं सहित या रहित यह बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा;

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंध पत्र भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जायेगा।

(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों के अन्दर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किये जाने पर जर्घाप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जायेगा।

धारा 40 BNSS प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया {43 CRPC} —(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना, 6 घण्टे के भीतर, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जायेगा या भिजवायेगा।

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 35 BNSS {41 CRPC} के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर गिरफ्तार करेगा।

(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है तो उसके विषय में धारा 39 BNSS {42 CRPC} के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जायेगा।

धारा 41 BNSS मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी {44 CRPC} — (1) जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है।

(2) कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानिय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

धारा 42 BNSS सशस्त्र बनों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण {45 CRPC} — (1) धारा 41 से धारा 35 से 41 BNSS {44 CRPC} तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के संशस्त्र बनों को कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाये रखने का कार्यभार सौंपा गया है जहां कहीं वे सेवा कर रहे हों उपधारा(1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें आने वाले "केन्द्रीय सरकार" पद के स्थान पर "राज्य सरकार" पद रख दिया गया हो।

धारा 43 BNSS गिरफ्तारी कैसे की जायेगी {46 CRPC} – (1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

परंतु जहां किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना हो जब तक कि परिस्थितियों प्रतिकूलता नहीं दर्शाती हों, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा के लिए उसका निवेदन उपधरित किया जायेगा और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षा नहीं करे या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो पुलिस अधिकारी महिला की गिरफ्तारी करने के लिए महिला के शरीर को नहीं छुएगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसने संगठित अपराध आतंकवादी कृत्य, औषध सम्बंधित अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अमल हमला, सिक्को और करेन्सी नोट का कुटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है।

(4) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधका अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देता है।

(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्य अस्थ के पश्चात् और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जायेगी और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियों विध्यमान है, वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के समरूप है।

धारा 44 BNSS उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है {47 CRPC} – (1) यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाले या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां की तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो किसी बाहरी या भीतरी द्वारा या खिडकी को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता।

परंतु यदि ऐसा कोई स्थान या ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है जो रुढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिये उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वारा या खिडकी अपने को या अन्य किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है।

धारा 45 BNSS अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना {48 CRPC} – पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

धारा 46 BNSS अनावश्यक अवरोध न करना {49 CRPC} – गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जायेगा, जितना उसका निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

धारा 47 BNSS गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना {50 CRPC} –

(1) किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टता या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़ें जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।

धारा 48 BNSS गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता {50(A) CRPC} –

(1) इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी उसके मित्रों नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नामनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा।

(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में रखा जाता है, उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।

(3) इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तिला किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, की जाएगी।

(4) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उप-धारा (2) और उप-धारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है।

धारा 49 BNSS गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी {51 CRPC} –

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा

जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है।

तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं संयोजित दिशित होंगी।

(2) जब कभी किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी।

धारा 50 BNSS आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति {52 CRPC} – वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तारी के तुरन्त बाद गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हों ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या

अधिकारी को परिदत्त करेगा। जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है।

धारा 51 BNSS पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा {53 CRPC} –

(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिये और सद्भावना पूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिये उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकरत चिकित्सा व्यवसाय देर किये बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरन्त भेजेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में और धारा 52 BNSS और धारा 53 BNSS में—

(क) “परीक्षा” में खून, खून के धब्बों, सीमेन लैंगिक अपराधों की दशा में सुआब थूक और स्वेद बाल के नमूनों और उंगली के नाखून की कतरनों की आधुनिक और वैधानिक तकनीकों के जिनके अंतर्गत डी.एन.ए. प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता सम्मिलित होंगे।

(ख) “रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी” से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सीय अर्हता है और जिसका नाम राष्ट्रीय और राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

धारा 52 BNSS बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा {53(A) CRPC} – (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार है कि इस व्यक्ति की परीक्षा या ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अपताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है सोलह किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी के निवेदन पर किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, विधिपूर्ण होगा।

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलम्ब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्—

(क) अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता;

(ख) अभियुक्त की आयु;

(ग) अभियुक्त के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो,

(घ) डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन और

(ङ) उचित ब्यौरे सहित, अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अधिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) परीक्षा प्रारम्भ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, बिना विलम्ब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 193 BNSS में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

धारा 53 BNSS गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच {54 CRPC} – (1) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे केन्द्रीय या राज्य सरकारी की सेवा में चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जायेगा और यदि चिकित्सा अधिकारी उपस्थित नहीं हो तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत पश्चात परीक्षित किया जायेगा;

परंतु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकरत चिकित्सा व्यवसाय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा।

परंतु जहां गिरफ्तारी व्यक्ति महिला हो वहां शरीर की जांच केवल महिला ओफिसर के अधीक्षण के अधीन या उसके द्वारा की जायेगी और यदि महिला मेडिकल ओफिसर उपलब्ध नहीं हो तो महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर द्वारा की जायेगी।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर ऐसी जांच का रिकॉर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति पर किन्हीं चोटों या हिंसा के निशान और अनुमानित समय, जब ऐसी चोटें या निशान कारित किये गये हों, वर्णित करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन जांच की गई हो वहां ऐसी जांच की रिपोर्ट की एक प्रति मेडिकल ओफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर यथास्थिति द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को या ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये गये व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

धारा 54 BNSS गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त {54(A) CRPC} – जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा।

धारा 55 BNSS जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया {55 CRPC} – (1) जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना (अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा) गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

धारा 56 BNSS गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा {55(A) CRPC} – अभियुक्त के स्वास्थ्य व सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

धारा 57 BNSS गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना {56 CRPC} – वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

धारा 58 BNSS गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना {57 CRPC} – कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 187 BNSS के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

धारा 59 BNSS पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना {58 CRPC} – पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निदेश देने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने थानों की सीमाओं के अन्दर वारंट के बिना गिरफ्तार किये गये सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।

धारा 60 BNSS पकड़े गये व्यक्ति का उन्मोचन {59 CRPC} – पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

धारा 61 BNSS निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति {60 CRPC} –

- (1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन गिरफ्तार को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति वारंट के अधीन के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो।

धारा 62 BNSS गिरफ्तार पूर्णतःसंहिता के अनुसार की जाये {60(A) CRPC} –कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जायेगी सिवाय इस संहिता के प्रावधानों की अनुपालना में या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में।

➤ लोक शान्ति संबंधी प्रावधान

धारा 125 BNSS दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति {106 CRPC} –

- (1) जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिये सिद्धदोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि यह आवश्यक है कि परिशान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्डादेश देते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिये जितनी वह ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये प्रतिभूतों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करें
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं:—
 - (क) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 11 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जो धारा 193 की उपधारा (1) या धारा 196 BNS या धारा 197 BNS के अधीन दण्डनीय अपराध से भिन्न है;
 - (ख) कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अन्तर्गत हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना है;
 - (ग) आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध;
 - (घ) कोई अन्य अपराध जिससे परिशान्ति भंग हुई है या जिससे परिशान्ति भंग आशयित है, या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे परिशान्ति भंग सम्भाव्य है।
- (3) यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बन्धपत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था, शून्य हो जाएगा।
- (4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या किया जा सकेगा।

धारा 126 BNSS अन्य दशाओं में परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति {107 CRPC} –

- (1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यतः परिशान्ति भंग हो जाएगी या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो जाएगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष

से अनधिक की इतनी अवधि के लिये जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशान्ति कायम रखने के लिये उसे बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो जहां स्थान वहां परिशान्ति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर है या ऐसी अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे सम्भाव्य: परिशान्ति भंग करेगा या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।

धारा 127 BNSS राजद्रोहात्मक बातों को फेलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति {108 CRPC} –

(1) जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अन्दर या बाहर—

(अ) या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साक्ष्य फैलाता है या फेलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रेरण करता है अर्थात् –

(क) कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 BNS या धारा 196 BNS या 197 BNS या धारा 299 BNS के अधीन दंडनीय है, अथवा

(ख) किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है अथवा

(ब) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 BNS में यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता उत्पादित करता प्रकाशित करता या रखता है आयात करता है निर्यात करता है प्रवहण करता है विक्रय करता है भाड़े पर देता है वितरित करता है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है।

और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूतों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाये।

(2) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में दिये गये नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप सम्पादित मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के सम्पादक स्वत्वधारी मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्धराज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अधिकारी के आदेश से उसके प्राधिकार के अधीन ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

धारा 128 BNSS संधिध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति {109 CRPC} –

(1) जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिये पूर्वावधानियों बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संज्ञेय अपराधकरने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिये प्रतिभूतों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाए।

धारा 129 BNSS अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति {110 CRPC} –जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है—

(1) अभ्यास लुटेरा गृहभेदक चोर या कूटरचयिता हैं अथवा

(2) चुराई हुई सम्पत्ति का दउसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है अथवा

(3) अभ्यासतः चोरों की संरक्षता करता है या चोरों को संश्रय देता है या चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसके व्ययन में सहायता देता है अथवा

- (4) व्यपहरण अपहरण उद्दापन छल या रिष्ठी का अपराध या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178 BNS धारा 189 BNS धारा 180 BNS या धारा 181 BNS के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है अथवा
- (5) ऐसे अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रचयत्न करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है जिनमें परिशान्ति भंग समाहित है अथवा
- (6) कोई ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने बका दुष्प्रेरण करता है
- (7) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) या
- (क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिये उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध है
- (8) ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है; तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि तीन वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतों सहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाय।

धारा 130 BNSS आदेश का दिया जाना {111 CRPC} – जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 126 से 129 BNSS के अधीन कार्य कर रहा है, एवं आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए उपस्थित हो का लिखित आदेश देगा।

धारा 131 BNSS न्यायालय में उपस्थिति व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया {112 CRPC} – धारा 130 BNSS के तहत उपस्थित होने पर आदेश को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा सार समजाया जाएगा।

धारा 132 BNSS ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन/वारंट जो उपस्थित नहीं है {113 CRPC} – धारा 130 BNSS के तहत यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उसे हाजिर होने के लिए सम्मन एवं आवश्यकता होने पर अभिरक्षा में लेने हेतु वारंट जारी करेगा।

धारा 133 BNSS सम्मन/वारंट के साथ आदेश की प्रति देना {114 CRPC} – धारा 130 BNSS के तहत दिये गये आदेश की प्रति साथ में परिदत्त की जाएगी।

धारा 134 BNSS व्यक्तिगत हाजरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति {115 CRPC} – मजिस्ट्रेट को प्रर्याप्त कारण दिखाई देता है तो व्यक्तिगत हाजरी से अभिमुक्ति दे सकता है और अधिवक्ता द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकेगा।

धारा 135 BNSS इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच {116 CRPC} – 1. जब धारा 130 BNSS का आदेश दिया गया है एवं व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है, मजिस्ट्रेट जांच के लिए अग्रसर होगा एवं अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है 2. ऐसी जांच ऐसी रीति से की जाएगी जो मामलों के विचारण के लिए की जाती है। 3. उप धारा 1 के अधीन जांच प्रारम्भ होने के पश्चात तथा समाप्ति पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए निर्देश दे सकता है कि जांच समाप्ति तक परिशान्ति कायम रखने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करे एवं जब तक ऐसा बन्धपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता या नहीं करने पर जांच समाप्ति तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है (107 द.प्र.सं. {126 BNSS} पर लागू नहीं)

धारा 136 BNSS प्रतिभूति देने का आदेश {117 CRPC} – यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति बन्ध पत्र सहित या रहित निस्पादन का आदेश देगा।

धारा 137 BNSS उन्मोचन {118 CRPC} – यदि 135 BNSS के अधीन जांच साबित नहीं होती है तो उन्मोचित करेगा या गिरफ्तार हेतु छोड़ दिया जाएगा।

धारा 138 BNSS जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारम्भ {119 CRPC} – (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 125 BNSS या धारा 136 BNSS के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिये जाने के समय कारावास के लिए दण्डादिष्ट है, या दण्डादेश भूगत रहा है, तो वह अवधि, जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, ऐसे दण्डादेश के अवसान पर प्रारम्भ होगी।

(2) अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारम्भ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट प्रर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे।

धारा 139 BNSS बन्ध पत्र की अन्तर्वस्तु {120 CRPC} – ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बन्धपत्र उसे, यथा स्थिति परिशान्ति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा, और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे, वह कहीं भी किया जा, बन्ध पत्र का भंग है।

धारा 140 BNSS प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति {121 CRPC} – (1) मजिस्ट्रेट किसी पेश किये गये प्रतिभू को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है या अपने द्वारा, या अपने पूर्ववर्ती द्वारा, इस अध्याय के अधीन पहले स्वीकार किये गये किसी प्रतिभू को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ऐसा प्रतिभू बन्ध पत्र के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति है। (2) ऐसा मजिस्ट्रेट जांच करने के लिए प्रतिभू को उचित अवसर देगा।

धारा 141 BNSS प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास {122 CRPC} – यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 136 BNSS के अधीन प्रतिभूति के लिए आदेश दिया गया है, एवं प्रतिभूति नहीं देता है, तो अवधि समाप्ति तक निरुद्ध कर लिया जाएगा। यदि 136 BNSS के अधीन बन्ध पत्र निष्पादित कर दिया जाता है एवं उसके पश्चात यदि साबित कर दिया जाए कि बन्ध पत्र को भंग किया गया है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे सबूत को लेखबद्ध कर बन्ध पत्र की अवधि समाप्त होने तक जेल में निरुद्ध रखने का आदेश जारी कर सकता है।

धारा 142 BNSS प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति {123 CRPC}

143 BNSS बन्ध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति {124 CRPC} – (1) जब वह व्यक्ति जिसको हाजरी के लिए धारा 140 BNSS की उपधारा 3 के परन्तु के अधीन या धारा 142 BNSS की उपधारा 10 के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बन्ध पत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बन्ध पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांती की नयी प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा।

धारा 144 BNSS पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश {125 CRPC}:-

(1) यदि प्रर्याप्त साधनो वालो कोई व्यक्ति :-

(क) अपनी पत्नि का , जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज सन्तान का चाहे विवाहित हो या ना हो जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज सन्तान का (जो विवाहित पुत्रीनही है) जिसने व्यस्कता प्राप्त कर ली है जहाँ ऐसी सन्तान किसी शारिरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या

(घ) अपने पिता या माता का जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है,

भरण पोषण करने मे उपेक्षा करता है, या भरण पोषण करने से इन्कार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इन्कार साबित हो जाने पर , ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नि या ऐसी सन्तान , पिता या माता के भरण पोषण के लिये ऐसी मासिक दर पर , जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे , मासिक भत्ता देय ओर उस भत्ते का सदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको सदाय करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे :

परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है, कि वह उस समय तक उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है , कि ऐसी पुत्री के, यदि वह विवाहित हो , पति के पास प्र्याप्त साधन नहीं है।

परन्तु यह और कि मजिस्ट्रेट , उप धारा के अधीन भरण पोषण के लिये मासिक भत्ते के सम्बन्ध मे काग्रवाही के लम्बित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नि या ऐसी सन्तान , पिता या माता के अन्तरिम भरण पोषण के लिये मासिक भत्ता ओर ऐसी काग्रवाही का व्यय दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे ओर ऐसे व्यक्ति को उसका सदाय करे, जिसको सदाय करने का मजिस्ट्रेट, समय समय पर निदेश दे:

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के अधीन अन्तरिम भरण पोषण के लिये मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्ययों का कोई आवेदन, यथा सम्भवं, ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये “पत्नि” के अन्तर्गत ऐसी महिला भी है, जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(2) भरण पोषण या अन्तरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिये व्यय, आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथा स्थिति, भरण पोषण या अन्तरिम भरण पोषण और कार्यवाही के व्ययों के लिए आवेदन की तारीख से सन्देय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिये ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उदगृहीत किये जाने के लिए वारण्ट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उदगृहीत करने के लिये उपबर्धित है, और उस वारण्ट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाये गये यथा स्थिति, भरण पोषण या अन्तरिम भरण पोषण के लिये पुरे भत्ते व कार्यवाही के व्यय या उसके भाग के लिये ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिये, या यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिये, कारावास का दण्डादेश दे सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसुली के लिये कोई वारण्ट तब तक जारी नहीं किया जावेगा, जब तक उस रकम को उदगृहीत करने के लिये, उस तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नि उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इन्कार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इन्कार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है, और ऐसी प्रस्थापना के किये जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश दिये जाने के लिये न्याय सगत आधार है।

स्पष्टीकरण यदि पत्नि ने अन्य महिला से विवाह कर लिया है, या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नि द्वारा उसके साथ रहने से इन्कार का न्याय सगत आधार माना जायेगा।

(4) कोई पत्नि अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, भरण पोषण या अन्तरिम भरण पोषण के लिये भत्ता और कार्यवाही के लिये व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इन्कार करती है, या यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नि, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, जारता की दशा में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इन्कार करती है, या वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के समरूप है।

धारा 148 BNSS सिविल बल प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना {129 CRPC} –

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या एस.एच.ओ. की अनुपस्थिति में एस.आई. से कम रैंक का न होने वाला पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को जिससे लोकशान्ति भंग होने की संभावना हो तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है तब ऐसे जमाव के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जायें।

(2) यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बल प्रयोग द्वारा जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने व निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है।

धारा 149 BNSS जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग {130 CRPC} –

(1) ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाये तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हें गिरफ्तार या निरुद्ध कर सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने नेतृत्व के सशस्त्र बल से जमाव को तितर-बितर कर देव मजिस्ट्रेट के निर्देश से उन्हें गिरफ्तार या निरुद्ध करें।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर व सम्पत्ति को इतनी ही हानि पहुंचायेगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने गिरफ्तार करने, निरुद्ध करने के लिये आवश्यक हैं।

धारा 150 BNSS जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति {131 CRPC}—जब कोई जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटपन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए जमाव में सम्मिलित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है,

किन्तु यदि वह उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना उसके साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा तथा ऐसी कार्यवाही चालू रखे या नहीं इसके संबंध में मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा।

धारा 151 BNSS पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण {132 CRPC}

(1) किसी कार्य के लिये जो धारा 148, 149, 150 BNSS के अधीन किया गया तात्पर्यिक है या व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दण्ड न्यायालय में—

(क) जहां ऐसा व्यक्ति जो सशस्त्र बल को कोई अधिकारी या सदस्य है वहां केन्द्रीय सरकार कि बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

(2) (क) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में—

(ख) धारा 148, 149 BNSS के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में।

(ग) धारा 150 BNSS के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी के बारे में।

(घ) सशस्त्र बल का कोई सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिये आबद्ध हो उसके पालन में किये गये किसी कार्य के लिये उस सदस्य के बारे में।

(3) इस धारा में और इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं—

(क) “सशस्त्र बल” पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना नौसेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार क्रियाशील संघ के अन्य सशस्त्र बल भी है।

(ख) सशस्त्र बल के संबंध में “अधिकारी” के सशस्त्र बल के ऑफिसर के रूप में आयुक्त राजपत्रित या वेतन भोगी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कनिष्ठ आयुक्त आफिसर वारंट ऑफिसर पेटी ऑफिसर अनायुक्त ऑफिसर तथा राजपत्रित ऑफिसर भी है।

(ग) सशस्त्र बल के संबंध में “सदस्य” से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न कोई उसका सदस्य अभिप्रेत है।

धारा 152 BNSS न्यूसेंस हटाने का आदेश {133 CRPC} —

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त होती है कि—

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग नदी या जल सरणी में जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हो रहा है।

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना जो समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिये हानिकर है

(ग) किसी भव तम्बू सरंचना या कोई वृक्ष जिसका गिरना संभाव्य है और जिससे व्यक्तियों को हानि हो सकती है।

(घ) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे अग्निकांड या विस्फोट ओ जाना संभाव्य है।

(ङ) कोई बिना बाड लगा हुआ तालाब कुंआ या उत्खात जो किसी मार्ग या लोक स्थान के पास में है।

(च) किसी भयानक जी जन्तु जिसे नष्ट परिरुद्ध या जिसका व्ययन किया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार की बाधा या न्यूसेन्स को हटा देने का सशर्त आदेश दे सकता है और यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो कारण प्रदर्शित करने का आदेश दे सकता है एवं ऐसा न्यूसेन्स हटा सकता है।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

धारा 153 BNSS आदेश की तामील या अधीसूचना {134 CRPC} –(1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रिती से की जाएगी जो सम्मन की तामील के लिए उपबन्धित है। (2) यदि उपरोक्त प्रकार से तामील संभव नहीं है तो उसकी अधीसूचना ऐसी रिती से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे।

धारा 154 BNSS {135 CRPC} – जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा और ऐसी हाजरी या वर्चुअल सुनवायी श्रव्य दृश्य संगोष्ठी के माध्यम से अनुज्ञात की जा सकेगी।

धारा 155 BNSS {136 CRPC} – यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह धारा 223 बीएनएस का भागी होगा।

धारा 156 BNSS {137 CRPC} – जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है वंहा प्रक्रिया (1) यदि किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के लिए धारा 152 BNSS के अधीन कोई आदेश किया जाता है वहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर न्यूसेन्स या खतरे के अस्तित्व से इन्कार करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 157 BNSS के तहत कार्यवाही करने से पहले उस बात की जांच करेगा। (2) यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि उस व्यक्ति के इन्कार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही रोक देगा अन्यथा धारा 157 BNSS के अनुसार कार्यवाही करेगा।

धारा 157 BNSS {138 CRPC} – जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया – (1) यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 BNSS के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है। (2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश सही है, जैसा मूलतः किया गया था तो वही जारी रहेगा। (3) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। **परन्तु** इस धारा के अधीन प्रक्रियायें 90 दिनों की अवधि के भीतर यथाशीघ्र पूरी होगी, जो लिखित कारणों को लेखबद्ध करते हुए 120 दिनों तक विस्तारित की जा सकेंगी।

धारा 158 BNSS {139 CRPC} – स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

धारा 159 BNSS {140 CRPC} – मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति— जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 BNSS के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किये जाने के लिए निदेश देता है वहां मजिस्ट्रेट उसको लिखित अनुदेश देगा, व उसके आवश्यक व्यय किसके द्वारा किए जाएंगे इस बाबत लिखेगा।

धारा 160 BNSS {141 CRPC} – आदेश अन्तिम कर दिये जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम—जब धारा 155/157 BNSS के अधीन आदेश अन्तिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को इसकी सूचना देगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि निर्दिष्ट कार्य नियम समय के अन्दर करें और इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर 223 BNS का भागी होगा। (2) और यदि ऐसा कार्य नियत समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करवा सकता है और किये गये खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य सम्पत्ती के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या उस व्यक्ति की अन्य जंगम सम्पत्ती के विक्रय द्वारा वसूल कर सकता

है और ऐसी सम्पत्ति अधिकारिता से बाहर होने पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा कुक्री आदेश पृष्ठांकित कर सम्पत्ति कुकुर कर सकता है।

धारा 161 BNSS जांच के लंबित रहने तक व्यादेश {142 CRPC} – (1) यदि धारा 152 BNSS के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गम्भीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरन्त उपाय किये जाने चाहिये ता वह उस मुताबिक आदेश देगा। (2) यदि ऐसे आदेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं उस खतरे का दूर करने या हानि निवारण के उपाय करेगा।

धारा 162 BNSS {143 CRPC} मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालु रखने का प्रतिषेध कर सकता है— कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथापरिभाषित लोक न्यूसेन्स की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालु रखें।

धारा 163 BNSS {144 CRPC} :- न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति—

(1) उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण या शीघ्र उपाय किया जाना वांछनीय है तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्यविशेष नहीं करने या कोई अपने कब्जे की विशिष्ट संपत्ति की कोई विशेष व्यवस्था करने का निर्देश उस दिशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसा निर्देश विधिपूर्ण नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या लोकशांति विक्षुब्ध होने का या बल्वे या दंगों का निवारण हो जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशा में पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र में निवास कराने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट किये जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन आदेश दिये जाने की तारीख से 2 माह से आगे प्रवृत्त नहीं रहेंगे विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक हो सकती है।

(5) कोई मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है जो या तो उसने दिये हैं या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिये हैं।

(6) राज्य सरकार अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश को स्वप्रेरणा या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है।

(7) जहां उपधारा 5 या 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है वहां मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या उसके प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने या आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देगी और यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगी।

धारा 164 BNSS जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशान्ति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया {145 CRPC} —भूमि जल से संबंधित विवादों में उत्पन्न शान्ति भंग होने की संभावना है ऐस समाधान पुलिस रिपोर्ट या अन्य इत्तला से हो सकता है तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद से संबंधित पक्षकारों को लिखित आदेश देगा कि विनिर्दिष्ट तारीख ओर समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो व अपने-अपने दावे लिखित में पेश करें।

धारा 165 BNSS विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने व रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति {146 CRPC} :-यदि धारा 164 BNSS के अन्तर्गत कोई इत्तला किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है और पर्याप्त जांच के पश्चात इस बात का समाधान नहीं होता है कि उस समय दोनों पक्षकारों में से किसका कब्जा ऐसी विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषयवस्तु को तब तक कुर्क करने के आदेश दे सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है।

धारा 166 BNSS भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद {147 CRPC} –(1) मजिस्ट्रेट विवाद से संबंधित पक्षकारों को विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हाजिर होने के लिए आदेश देगा। (2) पक्षकारों को सुनेगा और सभी साक्ष्य लेगा। (3) अधिकार के प्रयोग में आने वाली बाधा को मजिस्ट्रेट हटाने का आदेश दे सकता है।

धारा 167 BNSS स्थानीय जांच {148 CRPC} –जब कभी धारा 164,165,166 BNSS के प्रयोजन के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

धारा 168 BNSS पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना {149 CRPC} – प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा।

धारा 169 BNSS संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला {150 CRPC} –प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

170 BNSS संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी {151 CRPC} – कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

धारा 171 BNSS लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण {152 CRPC} – प्रत्येक पुलिस अधिकारी की दृष्टीगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किये जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि, चिन्ह या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाये जाने या उसे हानि पहुंचाये जाने का निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है।

धारा 103 BNSS बंद स्थान की तलाशी की प्रक्रिया {100 CRPC} – (1) मकान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो तलाशी वारंट की तामील कर रहा है प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा। (2) उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 44 BNSS {47 CRPC} की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। (3) ऐसे स्थान में या उसके आस-पास संदेहास्पद व्यक्ति जो ऐसी वस्तु छुपाये हुये है जिसकी तलाशी ली जानी है उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है यदि वह महिला है तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य महिला द्वारा लिवाई जायेगी। (4) मकान या उस व्यक्ति की तलाशी से पूर्व दो साक्षियों को रखा जायेगा जो स्वतंत्र व प्रतिष्ठित हो। उनको लिखित में भी आदेश जारी कर सकता है वापसी तलाशी लेने से पूर्व पुलिस ऑफिसर साक्षियों के सामने मकान मालिकको अपनी तलाशी देगा। (5) तलाशी एक सिरे से आरंभ की जाकर सेक्टरों में बांटकर अनुक्रम में होनी चाहिये। (6) तलाशी के समय वे सब चीजें जिन-जिन सीनों में पाई गई हैं उसकी सूची तैयार की जाकर साक्षियों को पढ़कर सुनाई जाकर हस्ताक्षर कराये जायेंगे। (7) तलाशी लेते समय मकान का भारसाधक या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हाजिर रहने की आशा की जायेगी तथा सूची की एक प्रति उसे दी जायेगी। (8) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अनुसार की जाती है तो उन सबकी सूची तैयार कर उसकी एक प्रति उसे भी दी जायेगी तलाशी के पश्चात पुलिस ऑफिसर अपनी जामा तलाशी देकर वाहर निकलेगा। तलाशी के समय वारंट दिखाया जायेगा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर तलाशी सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच ली जानी चाहिये।

धारा 104 BNSS {101 CRPC} अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन :- जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायलय की जिसने उसे जारी किया है स्थानिय अधिकारिता से परे है उन चीजों में से, जिनके लिये तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाये, तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायलय के समक्ष, जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जायेगी किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायलय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चाजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई

जायेगी और तब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण ना हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देगा।

धारा 105 BNSS {यह नई धारा है }:- श्रव्य – द्रश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना :- इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिग्रहित वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्ष्यों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाईल फोन को वरियता देते हुए अभिलिखित किया जायेगा और पुलिस अधिकारी देर किये बिना यथा स्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा।

धारा 106 BNSS चुराई हुई सम्पत्ति व अपराध का वजह सबूत जमा करने की शक्ति {102 CRPC} – (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को अधिग्रहित कर सकता है जिसके बारे में यह संदेह हो कि चुराई हुई है या ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिनसे किसी अपराध के किये जाने का संदेह हो।

(2) यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस सहायक अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) पुलिस अधिकारी अधिग्रहण की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को देगा। और यदि सम्पत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती है तो उस सम्पत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो वचनबद्ध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि जब कभी भी अपेक्षा की जाये वह उस सम्पत्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन बावत न्यायालयों के आदेशों की पालना करेगा।

जमानत के संबंध में प्रावधान

धारा 478 BNSS किन मामलों में जमानत ली जाएगी {436 CRPC} –

(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और यदि वह जमानत देने के लिये तैयार है तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।

परन्तु ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसे हाजिर होने की अपेक्षा करने के लिए प्रतिभूति रहित बन्धपत्र निष्पादित कर उन्मोचित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे उसी मामले में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकता है।

धारा 479 BNSS अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है {436(A) CRPC} –

➤ जहां कोई व्यक्ति मृत्यु दण्ड से भिन्न किसी अपराध में अन्वेषण या जांच या विचारण के प्रक्रम में कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ दिया जाएगा।

➤ परन्तु न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई के पश्चात व उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए निरोध जारी रखने का आदेश कर सकेगा या प्रतिभूति सहित या रहित व्यक्तिगत बन्धपत्र पर छोड़ दिया जाएगा।

➤ कोई व्यक्ति किसी अन्वेषण या जांच या विचारण के दौरान उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

धारा 480 BNSS अजमानतीय अपराध की दशा में कम जमानत ली जा सकेगी {437 CRPC} –

(1) जब कोई वारंट अजमानतीय अपराधका अभियुक्त है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा जा सकता है किंतु—

(अ) यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दोषी है तो उसे नहीं छोड़ा जायेगा।

(ब) यदि कोई ऐसा अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले दोषसिद्ध किया गया है या तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए किन्तु सात वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय संज्ञेय अपराध के लिये दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह नहीं छोड़ा जायेगा।

➤ किंतु 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति महिला रोगी या विकलांग व्यक्ति को न्यायालय न्यायोचित होने पर छोड़ा सकता है जमानत पर छोड़ दिये जाने पर अपराधी वचन देता है कि वह न्यायालय द्वारा जारी आदेशों को पालन करेगा।

➤ केवल इस आधार पर जमानत के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने में हो सकती है।

➤ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है जिसका दण्ड मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक का है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

(2) यदि न्यायालय को अन्वेषण या जांच के क्रम में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के आधार है तो न्यायालय स्व-विवेकानुसार उसे जमानत पर छोड़ सकता है।

(3) जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध करने का अपराधी है या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोगी है और उसे जमानत पर छोड़ा जाता है तो न्यायालय

(क) यह हसुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित शर्तों के अनुसार हाजिर होगा

(ख) कोई अपराध नहीं करेगा;

(ग) मामले से संबंधित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा व साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा

(घ) अथवा न्याय केहित में कोईभी ऐसी शर्त जिसे न्यायालय आवश्यक समझे अधिरोपित कर सकता है।

(4) जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय जमानत पर छोड़ने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) यदि कोई न्यायालय जिसेने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा है ओर यदि वह आवश्यक समझता है तो उस व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है।

(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अजमानतीय अपराध के अभियुक्त का विचारण साक्ष्य देने के लिये साठ दिन की अवधि में पूरा नहीं हो पाता है और यदि वह व्यक्ति पूरे समय अभिरक्षा में रहा है तो मजिस्ट्रेट कारणों को उल्लेखित करते हुए उसे जमानत पर छोड़ सकता है

(7) यदि अजमानतीय अपराध कि अभियुक्त के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय किये जाने से पूर्व यदि न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तो उस जमानत पर छोड़ सकता है।

धारा 481 BNSS {437(A) CRPC} :- अभियुक्त को अगले अपील न्यायलय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिये जमानत:- (1) विचारण के समाप्त होने से पूर्व और अपील के निपटान से पूर्व, यथास्थिति, अपराध का विचारण करने वाला न्यायलय या अपील न्यायलय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा की जव उच्चतर न्यायलय संवधित न्यायलय के निर्णय के विरुद्ध फाईल की गई किसी अपील या याचिका की वावत सूचना जारी करें, तो वह उच्चतर न्यायलय के समक्ष उपसंजात होने के लिये बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करें और ऐसे बंध पत्र 6माह तक प्रभावी रहेंगे।

(2) यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंध पत्र समपद्धत हो जायेगा और धारा 491 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी।

धारा 482 BNSS गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश {438 CRPC} –

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन कर सकता है और यदि न्यायालय उचित समझे तो उसे गिरफ्तार की स्थिति में जमानत पर छोड़ा जा सकता है। जमानत निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है –

- अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता
- किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्धि
- न्याय से भागने की आशंका
- क्षति पहुंचाने के आशय से लगाया गया अभियोग

न्यायालय द्वारा या जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा या अग्रिम जमानत मंजूर करने का अन्तरिम आदेश पारित करेगा। आवेदन अस्वीकार होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

- जहां जमानत आवेदन मंजूर किया जाता है वहां न्यायालय सात दिन के अन्दर पारित किए गए आदेश के साथ सूचना लोक अभियोजक एवं पुलिस अधीक्षक को देगा।
- न्याय हित में लोक अभियोजक जमानत आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक की उपस्थिति को बाध्यकर कर सकता है।

(2) अग्रिम जमानत मंजूर करते समय न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ शर्तों भी सम्मिलित कर सकता है—

(क) जब कभी आवश्यकता होगी वह व्यक्ति पुलिस द्वारा परिप्रश्न के लिये हाजिर होगा।

(ख) वह व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके विरुद्ध अभियान के तथ्यों से परिचित है उन्हें डरायेगा धमकायेगा नहीं।

(ग) वह न्यायालय की अनुमति के बिना भरत नहीं छोड़ेगा।

(घ) ऐसी अन्य शर्तों जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।

(3) यदि ऐसे व्यक्ति को ऐस अभियोग पर पुलिस थाने के भरसाधक अधिकारी के बिना वारंट गिरफ्तारी किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिये तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।

धारा 483 BNSS जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां {439 CRPC} –

1. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि –

- किसी व्यक्ति को जो अभिरक्षा में है उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि मामला धारा 480 की उपधारा (3) की प्रकृति का है तो वह कोई शर्त अधिरोपित करते हुए उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है।
- किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित कर सकता है।
- परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आजीवन कारावास से दण्डनीय या सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में किसी व्यक्ति को जमानत देने से पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा।

उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जमानत पर छोड़ा जा चुका है, उसे गिरफ्तार करने का निदेश दे सकता है व उसे अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है।

परिसीमा काल के संबंध में प्रावधान

धारा 513 BNSS {467 CRPC} – परिसीमा काल से किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए धारा 514 में विनिर्दिष्ट अवधि अभिप्रेत है।

धारा 514 BNSS {468 CRPC} :- परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान का वर्जन

1. कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं करेगा।

2. परिसीमा काल –

- छह माह, यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है
- एक वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है।
- तीन वर्ष, यदि अपराध एक वर्ष से तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है।

3. यदि दो या अधिक अपराधों का विचारण एक साथ किया जा रहा है तो परिसीमा काल का निर्धारण कठोरतम अपराध के अनुरूप किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 173 के सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी।

धारा 515 BNSS {469 CRPC} :- परिसीमा काल का प्रारंभ -

1. किसी अपराधी के लिए परिसीमा काल -

- अपराध की तिथि से प्रारम्भ होगा।
- जहां अपराध के किए जाने की जानकारी व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को नहीं है वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जहां अपराध की जानकारी उस व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को होती है।
- जहां यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया वहां उस दिन प्रारम्भ होगा जहां अपराधी का पता व्यथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को ज्ञात होता है।

2. उक्त अवधि की संगणना में उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन ऐसी अवधि की संगणना की जानी है।

धारा 516 BNSS कुछ दशाओं में परिसीमा काल का अपवर्जन {470 CRPC} :-

1. परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान किसी न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध कोई अभियोजन चल रहा है किन्तु ऐसा अपवर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्ही तथ्यों से संबंधित न हो।
2. जहां अपराध के संबंध में किसी आदेश द्वारा रोक लगा दी गई हो, वहां रोक की समयावधि का अपवर्जन किया जाएगा।
3. जहां किसी अपराध के लिए सरकार की पूर्व अनुमति या मंजूरी अपेक्षित है वहां ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने में लगे समय का अपवर्जन किया जाएगा।
4. यदि अपराधी भारत से अनुपस्थित रहा है या फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से बच रहा है तो भी परिसीमा काल का अपवर्जन उस अवधि के लिए किया जाएगा।

धारा 517 BNSS न्यायालय बन्द होने पर उस तारीख का अपवर्जन {471 CRPC} - यदि परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बन्द है तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है।

धारा 518 BNSS {472 CRPC} :- चालू रहने वाला अपराध - किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल उस समय प्रत्येक क्षण प्रारम्भ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है।

धारा 519 BNSS {473 CRPC} :- कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण :- कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

स – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

धारा 2 BSA निर्वचन खण्ड {3 IEA} – इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि सन्दर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो:

➤ **न्यायालय**— न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के शिवाय साक्ष्य लेने के लिये वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं।

➤ **तथ्य**— तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती है

1. ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो

2. कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो।

➤ **सुसंगत**— एक तथ्य दूसरे तथ्य से तब सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।

➤ **विवादक तथ्य**— विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोग्यता जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रात्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है।

स्पष्टीकरण— जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी सक्षम प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रात्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है।

➤ **दस्तावेज**— दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

➤ **साक्ष्य**— साक्ष्य शब्द से अभिप्राय है कि—

1. वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्यों के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।

2. न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किये गये सब दस्तावेजों जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड भी शामिल हैं ऐसी दस्तावेजों साक्ष्य कहलाती हैं।

➤ **साबित**— कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभावि समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

➤ **नासाबित**— कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

➤ **साबित नहीं हुआ**— कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

धारा 2 BSA “उपधारणा कर सकेगा” {4 IEA}— जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

“उपधारणा करेगा” — जहाँ कहीं कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

“निश्चायक सबूत” — जहाँ कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिये साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

धारा 21 BSA सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है {23 IEA}—सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृत सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गये थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए।

धारा 22(1) BSA उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गयी संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत है {24 IEA}—अभियुक्त द्वारा दाण्डिक कार्यवाही में की गयी संस्वीकृति विसंगत होती है यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के बारे में प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा करायी गई हो।

धारा 23(1) BSA पुलिस अधिकारी से की गयी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है {25 IEA} —किसी भी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जायेगी।

धारा 23(2) BSA पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति {26 IEA} —पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जायेगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न की गयी हो।

धारा 23(2) BSA अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी {27 IEA} —किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप उस तथ्य का पता चलता है जो अब तक जानकारी में न था तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की श्रेणी में आती हो, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित हो, साबित की जा सकेगी।

धारा 39(1) BSA —विशेषज्ञों की राय {45 IEA} —जबकि न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला की किसी बात पर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तो उस बात पर ऐसी विदेशी विधि या विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य है।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

धारा 39(2) BSA इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय {45(A) IEA} —जहां किसी कार्यवाही में न्यायालय को किसी ऐसी संसूचना से संबंधित जो किसी कम्प्यूटर स्ट्रोत या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप में संप्रेषित या संग्रहीत हो किसी विषय से संबंधित राय बनानी हो वहां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है।

धारा 40 BSA विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य {46 IEA} :—वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हो या उनसे असंगत हो जबकि ऐसी राय सुसंगत हो।

धारा 41(1) BSA हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है {47 IEA} :—जब न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की है तब वह उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है।

➤ कोई व्यक्ति किसी अन्य किसी व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जब उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित व उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की है या कारबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही है।

धारा 41(2) BSA इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगी {47(A) IEA} :—जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है, सुसंगत तथ्य है।

धारा 62 BSA इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से सम्बन्धित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान {65(A) IEA} — इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अन्तर्वस्तुयें धारा 65 ख के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी।

धारा 63 BSA इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता {65 (B) IEA} – (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट कोई सूचना, जो कागज पर मुद्रित है और कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित प्रकाशीय या चुम्बकीय माध्यम में भण्डारित, अभिलिखित या नकल की गई है (जिसे एतस्मिन्पश्चात् कम्प्यूटर उत्पादन के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा), दस्तावेज भी होना मानी जायेगी, यदि इस धारा में वर्णित शर्तों का समाधान प्रश्नगत सूचना और कम्प्यूटर के सम्बन्ध में किया जाता है और किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल को पेश किए बिना, मूल की किसी अन्तर्वस्तु या उसमें अधिकथित किसी तथ्य के, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होगा, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी।

(2) कम्प्यूटर उत्पादन के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्

(क) सूचना के अन्तर्विष्ट करने वाले कम्प्यूटर उत्पाद का उत्पादन कम्प्यूटर के द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था, जिसमें कम्प्यूटर के नियमित प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गये किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संधारित करने के लिए किया गया था।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट प्रकार की सूचना या इस प्रकार की सूचना, जिसमें इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना प्राप्त की जाती है, नियमित रूप से उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गई थी।

(ग) उक्त अवधि के तात्त्विक भाग के दौरान कम्प्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा था, तब किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में, जिसमें वह समुचित रूप से संचालित नहीं हो रहा था या अवधि के उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अन्तर्वस्तुओं की शुद्धता को प्रभावित करें, और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलाप के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर में भरी गई ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित की जाती है या व्युत्पन्न होती है।

(3) जहाँ किसी अवधि में, किसी क्रियाकलाप के, जो नियमित रूप से उस अवधि में की गई है, जैसा कि उपधारा (2) के खण्ड (क) में वर्णित है, प्रयोजन के लिए सूचना को भण्डारित या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से कम्प्यूटर द्वारा किया गया था, चाहे

(क) उस अवधि के दौरान संचालित कम्प्यूटरों के संयोजन द्वारा, या

(ख) उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा या के विभिन्न संयोजन द्वारा, या

(ग) उस अवधि के दौरान उत्तरोत्तर संचालित।

(घ) किसी अन्य ढंग में, जिसमें, उक्त अवधि के दौरान, एक या कम्प्यूटरों का उत्तरवर्ती संचालन, चाहे जिस क्रम में हो, और एक या अधिक कम्प्यूटरों का संचालन, चाहे जिस क्रम में हो, और एक या अधिक कम्प्यूटरों का संयोजन शामिल हो,

किया गया हो, वहाँ उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी कम्प्यूटरों को इस धारा के प्रयोजन के लिए एक कम्प्यूटर गठित करने वाला माना जाएगा और इस धारा में कम्प्यूटर के प्रति निर्देश का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा।

(4) किसी कार्यवाही में, जहाँ इस धारा के परिणामस्वरूप साक्ष्य में कथन देने की वांछा की जाती है, निम्नलिखित चीजों में से किसी को करने वाला, अर्थात् –

(क) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस ढंग का विवरण है, जिसमें इसका उत्पादन किया गया था, परिलक्षित करते हुए,

(ख) किसी युक्ति की, जो उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त है, ऐसी विशिष्टियों को देते हुए, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उत्पादन कम्प्यूटर द्वारा किया गया था।

(ग) मामलों में से किसी पर, जिससे उपधारा (2) में वर्णित सम्बन्धित हैं, विचार करते हुए, प्रमाणपत्र को जो सुसंगत युक्ति के संचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबन्धन (जो भी समुचित हो) के सम्बन्ध में उत्तरदायी पदीय स्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, किसी मामले का, जो प्रमाणपत्र में अधिकथित है, साक्ष्य माना जाएगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह उसे अधिकथित करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में अधिकथित ये जाने वाले मामले के लिए पर्याप्त होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) सूचना कम्प्यूटर में प्रदान की गयी मानी जाएगी, यदि उसे किसी समुचित रूप में उसको प्रदान की जाती है और चाहे इसे सीधे या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी समुचित उपकरण के द्वारा प्रदान किया जाता है,

(ख) चाहे किसी पदधारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में, सूचना उन क्रियाकलापों के अनुक्रम के अतिरिक्त अन्यथा संचालित कम्प्यूटर द्वारा उन क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए भण्डारित या संसाधित किये जाने की जाती है, तब वह सूचना, यदि सम्यक् रूप से उस कम्प्यूटर को प्रदान की जाती है, उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में उनको प्रदान की गयी मानी जाएगी,

(ग) कम्प्यूटर उत्पाद को कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह इसके द्वारा सीधे उत्पादित किया गया हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या के बिना) किसी उपयुक्त उपकरण द्वारा उत्पादित किया गया हो।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सूचना के, जो अन्य सूचना से व्युत्पन्न हुआ हो, प्रति निर्देश उसके प्रति निर्देश होगा, जो संगणना, तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा व्युत्पन्न हुआ हो।

धारा 64 BSA {66 IEA} पेश करने की सूचना के बारे में नियम:- धारा 60 के खण्ड (क) में निदिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जा सकेगा, जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्तापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को, जिसने कब्जे में या शक्तयधीन वह दस्तावेज है या उसके अधिवक्ता या प्रतिनिधी को उसे पेश करने के लिये ऐसी सूचना जैसी विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है न दे दी हो

परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में या किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके दिये जाने से अभिमुखित प्रदान कर दे द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह बनाने के लिये अपेक्षित नहीं की जायेगी।

(क) जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है

(ख) जबकि प्रतिपक्षी को मामले की पकृति से यह जानना ही होगा कि उससे पेश करने की उससे अपेक्षा की जायेगी।

(ग) जबकी यह प्रतीत होता है कि या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है।

(ध) जबकी मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में

(ड) जबकी प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है।

(च) जबकी दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुँच के बाहर है यह ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है।

धारा 117 BSA किसी विवाहिता महिला द्वारा आत्म हत्या की दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा {113(A) IEA}

जब यह दर्शित किया गया है कि विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर विवाहिता द्वारा आत्म हत्या की थी और उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने क्रूरता की थी तो न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्म हत्या उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दुष्प्रेरित की गयी थी।

धारा 118 BSA दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा {113 (B) IEA} – जब यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व उसे उस व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा क्रूरता की गयी थी, न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था।

धारा 120 BSA बलात्संग के संबंध में सहमति नहीं होने की उपधारणा {114(A) IEA} – संशोधन में धारा 376 की उपधारा 2 के खण्ड क से ढ तक के अधीन अपराध में बलात्संग के लिए अभियुक्त द्वारा लैंगिक संभोग किया जाना साबित हो जाता है और पीडित महिला यह कथन करती है कि लैंगिक संभोग उसकी सम्मति के बिना किया गया है तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

स्पष्टीकरण :- लैंगिक संभोग से तात्पर्य धारा 375 में वर्णित खण्ड क से घ तक के सभी प्रकार के कृत्य है।

धारा 124 BSA कौन साक्ष्य दे सकेगा {118 IEA} – सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्द्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों के समझने से उन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित है।

स्पष्टीकरण – कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

धारा 125 BSA {119 IEA} :-साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना –वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख या संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।

न्यायालय ऐसे कथन अभिलिखित करने के लिए विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा और इस तरह के कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

धारा 126 BSA {120 IEA} –सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति/दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नि सक्षम साक्षी होंगे।

धारा 127 BSA न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट {121 IEA} – कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधिनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा, किन्तु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी।

128 BSA विवाहित स्थिति के दौरान संसूचनाएँ {122 IEA} – कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

धारा 129 BSA राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य {123 IEA} – कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकिय अभिलेखों से व्यूत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा। सिवाय विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के।

धारा 130 BSA शासकीय संसूचनाएँ {124 IEA} –कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोकहित की हानी होगी।

धारा 131 BSA अपराधों के करने के बारे में जानकारी {125 IEA} – कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहाँ से मिली और किसी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किये जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिली।

धारा 132(1)/(2) BSA वृत्तिक सूचनाएँ {126 IEA} – कोई भी बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

धारा 132(3) BSA {127 IEA} –धारा 126 दुभाषियों आदि को लागु होगी— धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बेरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नीयों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागु होंगे।

धारा 133 BSA साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उन्नत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता {128 IEA} – यदि किसी वाद को कोई पक्षकार स्व प्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्वारा उससे ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मती दे दी है तथा वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मती दे दी है, केवल तभी समझा जाएगा जबकि वह ऐसे बेरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता।

धारा 134 BSA विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएँ {129 IEA} – कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके ओर उसके विधि वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिये विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे।

धारा 135 BSA जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना {130 IEA} – कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी सम्पत्ती संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसे दस्तावेज को,

जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई सम्पत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिये विवश नहीं किया जाएगा।

धारा 136 BSA {131 IEA} कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में की ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण के अधिन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे में होती, इन्कार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उसके पेशकरण के लिये सहमती नहीं देता।

धारा 137 BSA {132 IEA} इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा—कोई भी साक्षी किसी वाद या सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किये गये प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फसाएगा।

धारा 138 BSA सह अपराधी {133 IEA} —सह अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है।

धारा 139 BSA साक्षियों की संख्या {134 IEA} — किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

धारा 162 BSA स्मृति ताजा करना {159 IEA}

➤ कोई गवाह जिसके न्यायालय में बयान दर्ज हो रहे हों किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि उसने संव्यवहार के समय जिसके सम्बन्ध में प्रश्न किया जा रहा है या उसके शीघ्र पश्चात बनाया हो तो न्यायालय इसे सम्भाव्य समझता हो कि संव्यवहार उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।

➤ गवाह उपरोक्त प्रकार से किसी ऐसे लेख को देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया हो और उसके द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो व उस लेख का सही होना जानता था।

➤ स्मृति ताजा करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से गवाह ऐसे दस्तावेज की नकल को देख सकेगा परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो कि मूल को पेश न करने के पर्याप्त कारण हैं।

➤ विशेषज्ञ अपनी वृत्तिक पुस्तिकाओं को देखकर अपनी अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा।

धारा 163 BSA {160 IEA} —**धारा 162 BSA {159 IEA}** में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य —कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में जो धारा 162 BSA {159 IEA} में वर्णित है में वर्णित तथ्यों का भी परिसाक्ष्य दे सकेगा चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो और उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठाक अभिलिखित थे।

मॉड्यूल-दो-अनुसंधान – सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक

अ – अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

धारा (173 से 196, 335, 84, 85 BNSS {154 से 176, 299, 82, 83 CRPC}

धारा 173 BNSS {154 CRPC} :- (1) जब भी किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित या इलोकट्रोनिक संसूचना हो तो वह अधिकारी उस सूचना को अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति को पढकर सुनाएगा जिसके द्वारा वह सूचना दी जा रही है तथा उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएगा। साथ ही उस सूचना का सार ऐसी पुस्तक में अंकित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखी जाने हेतु विहित की जाए।

(ii) यदि इलोकट्रोनिक संसूचना द्वारा इतिला दी गई तो देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किये जाने पर लेखबद्ध की जायेगी और उसका सार नियमानुसार पुस्तक में परिविष्ट किया जायेगा।

परन्तु यदि सूचना ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा **124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS {326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 CRPC}** के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा **{124(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS {326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 CRPC}** के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा **183 BNSS {164 CRPC}** के बयान रिकार्ड करवाएगा।

धारा 173(2) BNSS {154(2) CRPC} उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि, इतला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी।

धारा 173(3) BNSS {New} :- धारा 175 अंतर्विष्ट पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इतिला की प्राप्ति पर जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक का दंड है किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं है, धाने का भारसाधक अधिकारी :-

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या चौदह दिनों के भीतर मामले के कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या
- अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए जब प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो, की पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गभीरता पर विचार कर सकेगा।

धारा 173(4) BNSS {154(3) CRPC} यदि कोई व्यक्ति किसी थाने के भारसाधक अधिकारी के इतला अभिलिखित नहीं किए जाने से व्यथित है तो वह यह इतला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है तथा पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट है कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस

अपराध के संबंध में भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होगी, जिसके न हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा।

धारा 174 BNSS {155 CRPC}:-

- (1) जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो वह इत्तला का सार राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में प्रविष्ट करेगा तथा उसे अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। सभी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- (2) कोई पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी असंज्ञेय मामले का अनुसंधान या अन्वेषण नहीं करेगा।
- (3) किसी पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय मामले में अन्वेषण का आदेश मिलने पर वह पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति के सिवाय अन्वेषण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
- (4) यदि मामले का संबंध ऐसे दो या अधिक अपराधों से है जिसमें एक संज्ञेय तथा दूसरा असंज्ञेय है तो वह मामला संज्ञेय अपराध का समझा जाएगा।

धारा 175 BNSS {156 CRPC}:-

- (1) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के अन्दर के स्थानीय क्षेत्र में घटित किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कर सकता है। परन्तु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा।
 - (2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसा मामला था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।
 - (3) धारा 210 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश कर सकता है।
 - (4) धारा 210 के अधिन, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्न के अध्याधिन
- (क) उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अन्तर्विष्ट करने वाले रिपोर्ट की प्राप्ति, और
- (ख) – लोक सेवक द्वारा किये गये प्रख्यानों जो ऐसी स्थिति की बारे में हैं जिससे घटना अभिकथित हुई, पर विचार करने के पश्चात, अन्वेषण का आदेश कर सकेगा।

धारा 176 BNSS {157 CRPC}:-

- (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इत्तला प्राप्त होने पर अपराध की रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा तथा अन्वेषण के उद्देश्य से अपराधी का पता लगाने तथा उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को भेजेगा। **परन्तु**
- (क) यदि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है तो आवश्यक नहीं होगा कि भारसाधक अधिकारी अन्वेषण के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे
 - (ख) यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। परन्तु
- परन्तु** बलात्संग के अपराध के संबंध में पीडित का कथन पीडित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रव्य दृश्य इलोकट्रॉनिक साधनों, जिसके अन्तर्गत मोबाईल फोन भी है, के माध्यम में से अभिलिखित किया जा सकेगा।
- (2) उप धारा (1) के पहले परन्तुक के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा, उक्त परन्तुक के खण्ड (ख) में वर्णित दशा में, अधिकारी, सूचना को, यदि कोई हो, ऐसी रिति से, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये, भी तत्काल सूचित करेगा।

(3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिये दण्डनीय बनाया गया है कि होने से सम्बन्धित प्रत्येक ईतला की प्राप्ति पर पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस सम्बन्ध में पाँच वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, अपराध में न्याय सम्बन्धि साक्ष्य संग्रहण करने के लिये न्याय सम्बन्धि दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाईल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की विडियो ग्राफी बनवायेगा।

परन्तु जहाँ किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में न्याय सम्बन्धि सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार जब तक उस मामले के सम्बन्ध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती है या राज्य द्वारा नहीं की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी।

धारा 177 BNSS {158 CRPC}:- 176 BNSS के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब की जानी चाहिए।

धारा 178 BNSS {159 CRPC} :-ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिये आदेश दे सकता है। प्रारम्भिक जांच तुरन्त कर सकता है या अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है।

धारा 179 BNSS {159 CRPC} :-

(1) किसी अपराध करने वाला अधिकारी अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति आदेशानुसार हाजिर होगा। किन्तु ऐसे आदेश किसी 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति के लिए जारी नहीं किए जाएंगे अर्थात् इनको थाने पर बुलाने के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।

परन्तु यह है कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार उपबन्ध कर सकती है।

धारा 180 BNSS {161 CRPC} :-

(1) अनुसंधान करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जो उसे आपराधिक आरोप या शास्ति में डालने की आशंका के हो, सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(3) किसी अपराध के अनुसंधान में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के कथन लेखबद्ध करेगा तथा उसके अभिलेख तैयार करेगा।

• ऐसे कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

• यदि कथन किसी ऐसी महिला के है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 71, 79 BNS {354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376ई व 509 IPC} के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है, तो कथन किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे।

धारा 181 BNSS {162 CRPC} :-

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अनुसंधान के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा।

• कथन का प्रयोग केवल धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 148 BSA के तहत खंडन करने के लिए ही प्रयुक्त होगा।

(2) धारा 32(1) तथा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पर यह धारा लागू नहीं होगी।

धारा 182 BNSS {163 CRPC} :-

कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना—(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 22(1) BSA में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और करेगा तथा न दिलवाएगा और न करावाएगा।

(2) किन्तु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति का कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा।

धारा 183 BNSS {164 CRPC} :- संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना — (1) उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट सिमें किसी अपराध के लिये जाने के बारे में इतिला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिये आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रहा है।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किये जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिये इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिये धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के निचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :-

मैंने(नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिये आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढकर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पुरा और सही वृत्तांत इसमें है।

हस्ताक्षर क.ख.

मजिस्ट्रेट

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये इसमें इसके पश्चात् उपबद्धित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या धारा 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसकी विरुद्ध उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है। अभिलिखित करेगा।

परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और की ऐसे अपराध से सम्बन्धित मामले में जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाये गये साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी व स्थायी रूप से मानसिक व शारिरिक रूप से निःसक्त है तो किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायत से उस व्यक्ति के द्वारा किये गये कथन, श्रव्य – दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अधिमानतः मोबाईल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जायेगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारिरिक रूप से निःसक्त है, खण्ड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जायेगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

(7) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, उससे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जिसके द्वारा मामले की जाँच या विचारण किया जाना है,

यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के समरूप है।

धारा 184 BNSS {164(A) CRPC}

(क) (1) जब बलात्संग या बलात्संग किए जाने के प्रयास का अपराध कारित किया जाता है तो पीडिता का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस महिला की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) जब रजिस्टर्ड चिकित्सा के पास ऐसी महिला भेजी जाती है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा तथा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अग्रलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे—

- उस महिला का व उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे लाया है।
- महिला की आयु
- डीएनए प्रोफाइल के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
- महिला के शरीर पर आई किसी चोट आदि का विवरण
- महिला की साधारण मानसिक दशा
- अन्य कोई विवरण जो आवश्यक हो।

(3) रिपोर्ट में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) यह भी अभिलिखित किया जाएगा कि उस महिला की या उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(5) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) चिकित्सा व्यवसायी 7 दिनों के अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा।

(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिये सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधि मान्य बनाती है,

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिये परीक्षा और रजिस्ट्ररीकृत चिकित्सा व्यवसाई के वही अर्थ है जो धारा 51 में उनके लिये क्रमशः निहित है।

धारा 185 BNSS {165 CRPC}:-

(1) जब किसी थाने के भारसाधक अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी को यह विश्वास करने का आधार है कि किसी अपराध के अनुसंधान के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पुलिस थाने की सीमाओं में तलाशी ले सकता है या लिवा सकता है।

(2) तलाशी यथा संभव कार्यवाही करने वाला अधिकारी ही लेगा।

परन्तु इस धारा के अधीन तलाशी मोबाईल फोन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।

(3) यदि स्वयं तलाशी लिया जाना संभव नहीं हो रहा है तो कारण प्रदर्शित करते हुए किसी अधीनस्थ अधिकारी को तलाशी के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

(4) तलाशी के संबंध में धारा 100 सीआरपीसी {103 BNSS} के प्रावधान लागू होंगे।

(5) इस धारा कि अधीन ली गई तलाशी के दौरान बनाए गए अभिलेखों की प्रतियां तत्काल, किन्तु 48 घण्टों के पश्चात् न हो, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी तथा स्वामी या अधिभोगी की प्रार्थना पर मजिस्ट्रेट द्वारा एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

धारा 186 BNSS {166 CRPC}:- पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है:-

(1) पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या आई.ओ. जो सब इन्स्पेक्टर के पद से कम न हो दूसरे थाने के एस.एच.ओ. चाहे वह जिले में हो या दूसरे जिले में हो किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी दिलवाने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) तब वह एस.एच.ओ. 185 BNSS के उपबंध के अनुसार तलाशी लेगा जो चीजें तलाशी में मिले उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसने तलाशी के लिये कहा था।

(3) विशेष परिस्थितियों में जब तलाशी के लिये अपेक्षा की जाने में विलम्ब हो तथा वंचित वस्तु तथा सम्पत्ति हटा देने या उसे नष्ट कर देने की आशंका है तो एस.एच.ओ. या आई.ओ. जो एस.आई से कम न हो दूसरे थाने के क्षेत्र में तलाशी ले सकता है।

(4) तलाशी की सूचना एस.एच.ओ. को जिसके क्षेत्र में तलाशी ली है भेजेगा यदि संभव हो तो एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(5) उपधारा 4 के अधीन भेजी गई प्रति की नकल मकान के भारसाधक के आवेदन पर निःशुल्क दी जायेगी।

धारा 187 BNSS {167 CRPC}:- जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पुरा नहीं किया जा सके तब प्रक्रिया :-

(1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो की अन्वेषण धारा 58 द्वारा निहित चौबीस घण्टे की अवधि के अन्दर पुरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिये आधार है कि अभियोग या ईतला दृढ आधार पर है तब पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पक्ति का नहीं है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले में सम्बन्धित प्रवृष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे चौबीस घण्टे के भीतर यदि प्रकरण में अनुसंधान पुरा नहीं किया जा सका है तो उप निरीक्षक से अनिम्न पक्ति का अधिकारी उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भेजेगा। मजिस्ट्रेट से अभियुक्त हेतु रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है। रिमाण्ड दो प्रकार का होता है।

1. पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड (पी.सी. रिमाण्ड); एवं

2. न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड (जे.सी. रिमाण्ड)।

धारा 187 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया जाता है। इस धारा कि तहत यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तो अनुसंधान निम्नानुसार पूर्ण किया जाना चाहिए :-

- दस वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध – 90 दिन
- दस वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध – 60 दिन
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 36(क)(4) के तहत वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों तथा धारा 19, 24, 27(क) के अपराधों के संबंध में – 180 दिन, जो विशेष कारणों से एक वर्ष हो सकती है।
- राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 49(1) के अनुसार धारा 54, 54(ख), 54(घ) तथा धारा 56 आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए साठ दिन के स्थान पर 120 दिन तथा 90 दिन के स्थान पर 180 दिन।

(3) पुलिस अभिरक्षा का रिमाण्ड तब चाहा जाता है जब अभियुक्त की अन्वेषण में आवश्यकता रहती है। यह अधिकतम पन्द्रह दिन तक का हो सकता है। जब अन्वेषण पूरा हो जाता है अथवा अन्वेषण में अभियुक्त की

आवश्यकता नहीं रह जाती तब उस न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(4) जहाँ तक न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त से किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजने का प्रश्न है 'के.रामा रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश' (ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1447) के मामले में यह कहा गया है कि परिस्थितियों के देखते हुए किसी अभियुक्त को विधिनुसार न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में दिया जा सकता है।

(5) यदि किसी अभियुक्त को जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि समुचित जमानत-मुचलके पेश किए जाने पर उसे छोड़ दिया जाए। यदि वह जमानत-मुचलके पेश करने में असमर्थ रहता है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में रिमाण्ड पेपर तथा केस डायरी में इस आशय की प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए कि अभियुक्त जमानत-मुचलके पेश करने में असमर्थ रहा। पुलिस की भाषा में इसे 'अदम अदखल जमानत' अथवा जमानत देने में कासिर रहा' कहा जाता है।

(6) अग्रिम जमानत का आदेश प्राप्त होने पर आदेशित जमानत-मुचलके लेकर अभियुक्त को छोड़ देना चाहिए।

{482 BNSS} (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438)

(7) जमानत के सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 (2) के परन्तुक के अधीन यदि किसी मामले में अन्वेषण निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं होता तो अभियुक्त जमानत पर छूटने का हकदार हो जाता है। 'स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम श्रीमती भारती चांदमल वर्मा उर्फ आयशा खान' (ए. आई.आर. 2002 एस.सी. 285) के मामले में अन्वेषण नब्बे दिन में पूरा होना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का हकदार माना। अतः अन्वेषण अधिकारी को चाहिए कि अन्वेषण निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाए।

(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने अपने आदेश की एक प्रतिलिपी आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(9) यदि सम्मन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में, अभियुक्त के गिरफ्तार किये जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिये आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान न ही कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 माह की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है।

(10) जहाँ उपधारा (9) के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिये आदेश दिया गया है वहाँ यदि सेशन न्यायाधीश का उसे आवेदन दिये जाने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उप धारा (9) के अधीन किये गये आदेश को रद्द कर सकता है और निदेश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का और आगे अन्वेषण किया जावे। यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के समरूप है।

धारा 188 BNSS {168 CRPC}:-जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अनुसंधान करता है तो वह उस अनुसंधान की रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।

धारा 189 BNSS {169 CRPC}:-जब किसी अनुसंधान में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसा साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायनुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में अभिरक्षा में चल रहे व्यक्ति को प्रतिभूति सहित या रहित बन्धपत्र पर छोड़ देगा और जब अपेक्षा की जाए अपराध का संज्ञान करने के लिए अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है।

धारा 190 BNSS {170 CRPC} :- जब साक्ष्य प्रयाप्त है तब मामलो का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना –

(1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त प्रयाप्त साक्ष्य या उचित आधार, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिये और अभियुक्त विचारण करने या उससे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिये सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजे गया यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिये समर्थ है तो

ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष निहित दिन उसके हाजिर होने के लिये और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब तक अन्यथा निर्देश दिया जाये तब तक, दिन प्रतिदिन उसकी हाजरी के लिये प्रतिभूति लेगा, ?

परन्तु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिये ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है, इस आधार पर की अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है उससे स्वीकृत करने से इन्कार नहीं करेगा।

(2) जब पुलिस थानों को भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधिन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिये प्रतिभूति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो, भेजेगा और यदि कोई परिवादी हो, तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामलों के तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से उससे हाजिर होने के लिये और (यथा स्थिति) अभियोजन करने के लिये या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य के लिये बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय में उल्लेखित है तो उस न्यायालय के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जायेगा जिससे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जाँच या विचारण के लिये निर्देशित करता है परन्तु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन अन्य व्यक्तियों को दी गई है।

(4) वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपी उन व्यक्तियों में से एक को परिद्धत करेगा उससे निष्पादित करता है और तब मूल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

यह धारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 170 के समरूप है।

धारा 191 BNSS {171 CRPC} :-

(1) किसी परिवादी या साक्षी को न्यायालय में जाने के लिए किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, न ही उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा और न ही उसे अपने बन्धपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी।

परन्तु यदि परिवादी या साक्षी न्यायालय में हाजिर होने से या बन्धपत्र निष्पादित करने से मना करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है।

धारा 192 BNSS {172 CRPC}:-

(1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा अनुसंधान करने के स्थान, समय तथा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।

(1क) धारा 180 BNSS {161 CRPC} के अधीन अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन केस डायरी में अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(1ख) केस डायरी जिल्द रूप में होगी व उसके पृष्ठ सम्यक रूप से संख्यांकित होंगे।

(2) कोई न्यायालय जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरी मंगा सकता है किन्तु ऐसी डायरियों को साक्ष्य के रूप में नहीं किन्तु जांच या विचारण में सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है।

(3) न तो अभियुक्त और न ही उसका अभिकर्ता ऐसी डायरी को मांगने के हकदार होंगे किन्तु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उसे लिखा है अपनी स्मृति ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है या न्यायालय उसे ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खण्डन करने में उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 164/148 BSA {161 and 145 IEA} के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 193 BNSS {173 CRPC}:-

(1) अन्वेषण अनावश्यक देरी के बिना पूरा किया जाएगा

(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अनुसंधान अपराध दर्ज होने के तीन मास में पूरा किया जा सकेगा।

(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) की धारा 4, 6, 8, 10 के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा ईतला अभिलिखित की गई थी दो माह के भीतर पुरा किया जा सकेगा,

(3) तफ्तीश पूरी होने पर भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट संज्ञान के लिये समक्ष मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में भेजेगा। जिसमें निम्नांकित शामिल होंगे –

(क) पक्षकारों के नाम,

(ख) सूचना की प्रकृति,

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम (गवाह)

(घ) अपराध धारा-अभियुक्त का नाम,

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है,

(च) जमानत पर है,

(छ) धारा 190 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा (जे.सी.) में भेजा जा चुका है।

(ज) जहां अनुसंधान धारा **64, 66 से 71 BNS {376, 376ए से ई IPC}** के अधीन किसी अपराध के संबंध में है वहां महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

(i) इलेक्ट्रॉनिक युक्ती की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम

(ii) पुलिस अधिकारी 90 दिनों की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना किन्हीं साधनों द्वारा जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी, सूचना देने वाले या पीड़ित को देगा।

(iii) वह अधिकारी की गई कार्यवाही की संसूचना पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से देगा।

(4) उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

(5) यदि अभियुक्त को बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है तो बन्धपत्र के उन्मोचन के लिए आदेश।

(6) धारा 190 के अन्तर्गत आने वाली रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाएगी

• वे सभी दस्तावेज जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार हो

• धारा **180 BNSS {161 CRPC}** के बयान।

(7) पुलिस अधिकारी की राय में किसी कथन या दस्तावेज को अभियुक्त को प्रकट करना न्यायहित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए समीचीन है तो कथन के उस भाग को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि से निकाल देने के लिए निवेदन करेगा।

(8) अनुसंधान अधिकारी सुविधापूर्ण समझे तो मजिस्ट्रेट से उप धारा 5 में वर्णित सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियाँ (उतनी संख्या में जो अपेक्षित की जाये) अभियुक्त को दे सकता है।

परन्तु इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को सम्यक रूप से तामील हुआ माना जायेगा।

(9) मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज देने के बाद भी अनुसंधान जारी रखा जाकर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

परन्तु विचारण के और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा और जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा।

धारा 194 BNSS {174 CRPC}:-

(1) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या इस हेतु विशेष सशक्त पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या करली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जीव जन्तु द्वारा, यन्त्र द्वारा मारा गया है या ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है जो थाना अधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर मर्ग की प्रथम सूचना दर्ज कर रोजनामचा आम में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना तुरन्त सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और विशेष आदेश न होने तक उस स्थान पर जायेगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है वहां पहुंचकर पड़ोस के दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट बनायेगा।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 24 घण्टों के भीतर तत्काल भेज दी जायेगी।

(3) जब—

(क) मामले में किसी महिला द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्वर्तित है।

(ख) मामला किसी महिला की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बंधित जो एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के सम्बंध में कोई अपराध किया है या

(ग) मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है या

(घ) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है या

(ङ) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा कराना समीचीन समझता है, तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, से भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहर्त चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

धारा 195 BNSS {175 CRPC}— लोगों को सम्मन करने का अधिकार

(1) धारा 194 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उस अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा सम्मन कर सकता है तथा ऐसे सम्मन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिये और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उससे अपराधिक आरोप या शास्ति या सम्पहरण की अंशका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिये आबद्ध होगा,

परन्तु 15 वर्ष से कम की आयु या 60 वर्ष से अधिक की आयु से उपर के किसी व्यक्ति या महिला, मानसिक या शारिरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गम्भीर बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति से उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी,

परन्तु और की यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाना पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिये सहमत न तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) यदि मामले की जाँच से वह संज्ञेय अपराध न पाया जाये, जिस पर धारा 190 लागू हो सके, तो पुलिस ऑफीसर वैसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा।

धारा 196 BNSS {176 CRPC} :- मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच—

(1) जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में रहते हुये मर जाता है या धारा 194 BNSS {174 CRPC} की उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तो मृत्यु के कारणों की जाँच पुलिस अधिकारी के बजाए निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा।

(2) जहां —

• कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है

• किसी महिला के साथ बलात्संग किया गया अभिकथित होता है

जो उस दशा में ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है, जांच की जाएगी।

(3) ऐसी जाँच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके सम्बंध में लिये गये साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थिति के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(4) जहाँ मजिस्ट्रेट के विचार में किसी व्यक्ति के शव को पहले ही गाड़ दिया है मृत शरीर की इसलिये परीक्षा उसकी परीक्षा करवा सकता है।

- (5) मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं साक्ष्य है मृतक के नातेदारों को ईत्तला देगा और उन्हे जाँच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा ।
- (6) उपधारा (2) के अधीन जांच या अनुसंधान करने वाला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा ।

धारा 335 BNSS {299 CRPC} अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख— (1) यदि यह सबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरन्त गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है तो उस अपराध के लिये, जिसका परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति का न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किये गये साक्षियों की (यदि कोई हो), उनकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकता है और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकता है और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर, उस अपराध की जांच या विचारण में, जिसका उस पर आरोप है, उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर गया है, या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब व्यय या असुविधा के बिना, जितनी कि मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, नहीं कराई जा सकती है ।

(2) यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्ही साक्षियों की जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों, परीक्षा करे और ऐसे लिया गया कोई अभिसाक्ष्य, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है, साक्ष्य में दिया जा सकता है यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिये असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है ।

धारा 84 BNSS {82 CRPC} फरार व्यक्तियों के लिये उद्घोषणा —

(1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिये बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उसे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो ।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी:—

- (क) (अ) वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी;
- (ब) वह उस गृह या वासस्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी;
- (स) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जायगी;
- (ख) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है ।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खण्ड में (1) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी ।

(4) जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन 10 वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में निश्चित समय व स्थान पर समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय निर्धारित जांच के बाद उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है तथा उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा के उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा के लागू होते हैं ।

धारा 85 BNSS {83 CRPC} :- धारा 85 फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की -

(1) धारा 84 BNSS {82 CRPC} के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है:

परन्तु - यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वहा व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है :-

(क) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्यसन करने वाला है, अथवा

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है; तो वहा उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी सम्पत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी सम्पत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी सम्पत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाये।

(3) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की:

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जायेगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(4) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जायेगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में-

(क) कब्जा लेकर की जायेगी; अथवा

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जायेगी; अथवा

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी सम्पत्ति का किराया देने या उस सम्पत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी ; अथवा

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह सम्पत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीव धन है या विनश्वर प्रकृति की है तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(6) उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं।

ब - अनुसंधान का व्यवहारिक कार्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट

अन्वेषण का प्रारम्भ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) से होता है। यह अपराध कारित होने की सूचना होती है जो पीड़ित अथवा व्यथित द्वारा दी जाती है। अपराध की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी ऐसी सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना लिखित अथवा मौखिक किसी भी रूप में हो सकती है। यह टेलीफोन पर अथवा टेलीग्राम द्वारा भी दी जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रावधान धारा 173/175 BNSS {154 व 156 CRPC} में किया गया है। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 31 के अनुसार किसी भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यदि किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो वह तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज करेगा। इस धारा के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत धारा 124(1), 124(2), 74, 76, 143, 144, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 71, 79 BNS {166ए {199 BNS} के अन्तर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 326ए, 326बी, 354, 354बी, 370, 370ए, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व धारा 509

IPC} के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराधों की सूचना अभिलिखित करने में विफल होता है तो वह एक वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत धारा **173 BNSS {154 CRPC}** के अन्तर्गत यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध धारा **24(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 71, 79 BNS {326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 IPC}** के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है जो ऐसी सूचना यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

(क) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा **24(1), 124(2), 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 70(2), 71, 79 BNS {326ए, 326बी, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 IPC}** के अन्तर्गत अपराध किया गया है या प्रयास किया गया है और वह स्थाई या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक की उपस्थिति में उस व्यक्ति के निवास स्थान या कोई सुविधाजनक स्थान पर अभिलिखित की जाएगी।

(ख) ऐसी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

(ग) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा **183 BNSS {164 CRPC}** के बयान रिकार्ड करवाएगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में दर्ज की जाती है। इसमें किसी भी काल्पनिक या संभावित बातों का यथासंभव उल्लेख नहीं होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होना चाहिए:—

1. अपराध के संबंध में क्या सूचना प्राप्त हुई है ?
2. अपराध का क्या कारण रहा है ?
3. पीड़ित कौन है ?
4. अपराध कब घटित हुआ ?
5. अपराध कहाँ घटित हुआ ?
6. अपराध का उद्देश्य क्या है ?
7. अपराध कैसे घटित हुआ है ?
8. घटना के साक्षी कौन-कौन है ?
9. अपराधियों से घटनास्थल पर क्या साक्ष्य छूट गये हैं ?
10. अभियुक्तगण ज्ञात है या अज्ञात इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक जानकारी एफआईआर में होनी चाहिये।
11. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में विलम्ब हुआ है तो उसका कारण।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय के अनुसार :—

● धारा **173 BNSS {154 CRPC}** के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

● अगर सूचना संज्ञेय प्रकृति की है तो पुलिस अधिकारी तुरन्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा किन्तु यदि मामले की परिस्थितियों के अनुसार जांच किया जाना आवश्यक है तो प्राथमिक जांच यह जानने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है या नहीं।

● प्राथमिक जांच किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार के परिवादों में प्राथमिक जांच की जा सकती है वो निम्नांकित है :—

- विवाह संबंधी/पारिवारिक विवाद
- वाणिज्यिक मामले
- चिकित्सकीय उपेक्षा के मामले
- भ्रष्टाचार संबंधी परिवाद

➤ ऐसे मामले जिनमें आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो या किसी समुचित कारण के बिना 3 माह से अधिक का विलम्ब हुआ हो।

● अगर जांच से संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जानी चाहिए। अन्यथा अगर परिवाद नस्तिबद्ध करने की आवश्यकता हो तो परिवादी को एक सप्ताह के अन्दर इसकी सूचना दी जानी चाहिए तथा परिवाद की जांच बन्द करने के कारण उल्लेखित किए जाने चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य—प्रथम सूचना रिपोर्ट ही वह बिन्दु है जहाँ से आपराधिक विधि गति (motion)में आती है और अनुसंधान के विभिन्न चरणों द्वारा पुलिस अभियुक्त तक पहुँचती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 160 BSA {157 IEA}**—एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान पूर्व कथन के रूप में सम्पुष्टि (corroboration) हेतु उपयोग में लिया जाता है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 148 BSA {45 IEA}**—एफ.आई.आर. को दर्ज कराने वाले व्यक्ति के न्यायालय में बयान के दौरान प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा खण्डन (contradiction) करने के उपयोग में लिया जाता है। धारा 193/230 BNSS {173 & 207 CRPC} के अनुसार एफ.आई.आर. की प्रति अभियुक्त को अभियोजन द्वारा निःशुल्क दी जाती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 55 BSA {60 IEA}**—भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा देखे गये, सुने गये व अनुभव किये जाने वाले तथ्य प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्टकर्ता द्वारा देखे गये व सुने गये तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 16/19 BSA {18 & 21 IEA}**—एफ.आई.आर. देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का इकबाल साबित करने के लिए एफ.आई.आर. उपयोग में लाई जा सकती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) BSA {27 IEA}**—कभी-कभी एफ.आई.आर. स्वयं अपराधी द्वारा लेखबद्ध कराई जाती है और उसमें अपराधी द्वारा कुछ संस्वीकृतियाँ की जाती हैं तब ऐसी संस्वीकृति के फलस्वरूप यदि नये तथ्य प्रकाश (discovery) में आते हैं तो एफ.आई.आर. का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के तहत महत्व है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 BSA {8 IEA}**—एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति का पश्चाद्वर्ती आचरण साबित करने के लिए साक्ष्यिक महत्व रखती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 BSA {32 IEA} की उपधारा (1)**—एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एफ.आई.आर. मृत्युकालीन घोषणा के रूप में साक्ष्यिक महत्व रखती है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 BSA {91 IEA}**—चूँकि एफ.आई.आर. का लेखबद्ध (reduced to writing) होना आवश्यक है अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 94 के अनुसार साबित की जानी चाहिये।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 BSA {9 IEA}**—अभियुक्त की पहचान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत होती है। रिपोर्टकर्ता जब इस तथ्य का उल्लेख करे कि सामने आने पर वह अभियुक्त को पहचान सकता है तथा कार्यवाही शिनाख्तगी में सही पहचान हो जाने पर एफ.आई.आर. का साक्ष्यिक मूल्य है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 158 BSA {155 IEA}**—सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बयान बदलने पर उसकी विश्वसनीयता की परख हेतु एफ.आई.आर. का महत्व है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 163 BSA {160 IEA}**—विचारण के समय प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना के तथ्य याद न होने की दशा में यदि वह यह कहता है कि प्रथम सूचना में बताए तथ्य ही सही थे तो इसका साक्ष्यिक मूल्य है।

● **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(1)/76 BSA {74 & 77 IEA}**—एफ.आई.आर. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो कि लोक प्राधिकारी है, द्वारा उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में तैयार की जाती है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अर्थों में लोक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के सबूत के रूप में एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि भी न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मौखिक साक्ष्य या बयान गवाहान—अन्वेषण के दौरान मौखिक साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **180 BNSS {161 CRPC}** के तहत किसी मामले के अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाते हैं। धारा **179 BNSS {160 CRPC}** के तहत अनुसंधान अधिकारी मामले के अनुसंधान के दौरान गवाहों को बुलाने के लिए लिखित में नोटिस (सफीना/हुकुमनामा) जारी कर गवाहों को उपस्थित होने के लिए पाबंद कर सकता है। **180 BNSS** के तहत लिये गये बयानों पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाने चाहिये क्योंकि धारा **181 BNSS** में कथनों पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाना निषिद्ध है। धारा 162 के तहत गवाहों के बयानों पर हस्ताक्षर नहीं करवाये जाने के बारे में प्रावधान दिये गये हैं। **किन्तु राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 48 (4) के अनुसार आबकारी प्रकरणों में धारा 181 BNSS के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात् आबकारी प्रकरणों के अनुसंधान में बयानों पर हस्ताक्षर करवाये जायेंगे।** साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:-

1. साक्षियों से मामले के परिचित तथ्यों के बारे में ही पूछताछ करनी चाहिए।
2. साक्षियों के बयान लेने से पूर्व अनुसंधान अधिकारी को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
3. साक्षियों के बयान यथासंभव बिना किसी विलंब के दर्ज करने चाहिए। विलंब होने से साक्षी की विश्वसनीयता कम हो जाती है। यदि किसी कारण से बयान विलम्ब से दर्ज किये गये हैं तो देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिये।
4. यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी घटना के बारे में ही साक्ष्य दें, घटना घटित होने के संबंधित पहलुओं एवं संबंधित घटनाक्रम की सहायक परिस्थितियों के बारे में भी साक्ष्य ली जा सकती है।
5. यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी दर्ज मामले के अभियोजन पक्ष के समर्थन में ही बयान देवे। साक्षी द्वारा घटना की सत्यता के संबंध में यदि कोई बयान दिया जा रहा है और यदि वह अभियोजन के समर्थन में नहीं है तो भी उस साक्षी के बयान दर्ज किये जाने चाहिए क्योंकि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य सत्यता का पता लगाना ही है।
6. मौखिक साक्ष्य उन्हीं लोगों के लिए जाने चाहिए जो उस घटना के वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी हैं या घटना की परिस्थितियों के बारे में बयान कर सकते हैं। अनावश्यक लोगों के बयान लेने से अन्वेषण कार्य जटिल हो जाता है।
7. अनुसंधान अधिकारी को बयान लेते समय साक्षियों को अपना मत नहीं बताकर घटना के संबंध में साक्षियों का दृष्टिकोण जानना चाहिए।
8. अनुसंधान अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करते समय केवल घटना के सम्बन्ध में साक्षियों का दृष्टिकोण जानना चाहिये। अपना स्वयं का मन्तव्य उनके समक्ष स्पष्ट नहीं करना चाहिये।
9. साक्षियों के कथन लेते समय अनुसंधान अधिकारी को साक्षियों पर दबाव नहीं डालना चाहिये तथा अपनी राय नहीं देनी चाहिए। साक्षी स्वतंत्र रूप से बयान देवे यह सुनिश्चित करना चाहिए।
10. महिलाओं से बयान लेते समय उनकी लज्जा का ध्यान रखना चाहिए एवं यथासंभव उसके परिवार के किसी सदस्य के सामने बयान लेने चाहिए।
11. शारीरिक रूप से असक्षम लोगों से बयान लेते समय उनकी असक्षमता को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप पूछताछ करनी चाहिए।
12. बच्चों के बयान लेते समय उनसे साधारण भाषा में एवं प्रश्नोत्तरी बनाकर पूछताछ कर बयान लेने चाहिए।
13. अनुसंधान अधिकारी को साक्षियों द्वारा दिये गये बयानों की यथासंभव पुष्टि करनी चाहिए।
14. साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में क्या साक्ष्य दी जा रही है वह स्पष्ट एवं सारगर्भित होनी चाहिए।
15. घटना के समय गवाह की घटनास्थल पर क्या स्थिति थी, उसने घटना किस कोण से देखी यह भी स्पष्ट होना चाहिये।
16. घटना के समय गवाह की उपस्थिति घटनास्थल पर किन कारणों से थी, यह भी कथनों में स्पष्ट होनी चाहिये।
17. घटना के समय प्रकाश की क्या व्यवस्था थी, गवाह ने घटना किस प्रकार देखी इसका भी उल्लेख बयानों में होना चाहिये।
18. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **183 BNSS {164(1) CRPC}** के तहत किसी भी अपराध के अन्वेषण के दौरान कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के कथन अभिलिखित कर सकता है।
19. ऐसे कथन अनुसंधान अधिकारी की प्रार्थना पर या स्वयं कथन करने वाले की प्रार्थना पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे।

20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (5) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने के पश्चात ही कथन अभिलिखित करेगा।

21. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (6) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यक्ति के कथन अभिलिखित करने के पश्चात कथनों को जांच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (5क) के तहत यदि कथन किसी ऐसे व्यक्ति के है जिसके विरुद्ध धारा 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 65(2), 67, 68, 70(1), 70(2), 71, 79 BNS {354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई व 509 IPC} के अन्तर्गत अपराध किया गया है, तो ऐसा अपराध पुलिस की जानकारी में आते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन उपयुक्त तरीके से अभिलिखित करेगा।

● यदि कथन करने वाला स्थाई या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक का सहयोग लेगा।

● स्थाई या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी विशेष शिक्षक या अनुवादक के सहयोग के साथ किए गए कथन की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

23. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (5ख) के अनुसार धारा (5क) के अन्तर्गत स्थाई या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति के रिकार्ड किए गए कथन को मुख्य परीक्षण के स्थान पर का कथन माना जाएगा और ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है तथा विचारण के समय उसके अभिलेखन की आवश्यकता नहीं होगी।

यदि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी साक्षी के अतिरिक्त बयान या तितम्बा बयान लिये जाते हैं तो इस संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 5/98 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। इस परिपत्र में निम्न दिशानिर्देश जारी किये गये हैं:-

1. यदि कोई अनुसंधान अधिकारी मुकदमे के अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति के अतिरिक्त बयान ले तो बयान लेने से पूर्व उसे अपने पर्यवेक्षक (वृत्ताधिकारी) या अधीक्षक से बयान लेने की लिखित अनुमति लेनी होगी।

2. अनुसंधान अधिकारी को अपने पर्यवेक्षक अधिकारी के समक्ष केस डायरी के साथ लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि बयान लेना क्यों आवश्यक है, किन विशेष बिन्दुओं की जानकारी आवश्यक है और में लिये गये बयानों में से कौन सा बिन्दु स्पष्ट नहीं हो पाया है।

3. यदि पर्यवेक्षक अधिकारी (वृत्ताधिकारी) या पुलिस अधीक्षक अनुसंधान अधिकारी द्वारा वर्णित बयान लेने के कारणों से संतुष्ट हो जाए तो वो इसकी लिखित अनुमति देंगे। यदि वे प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों से संतुष्ट नहीं हों तो कारणों का खुलासा करते हुए लिखित में उत्तर देंगे।

4. अतिरिक्त बयानों के आधार पर यदि कुछ व्यक्ति फंसते या कुछ व्यक्ति बचते अथवा मुकदमे के आपराधिक जुर्म में बदलाव आता है तो पर्यवेक्षक (वृत्ताधिकारी) या पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त बयानों में लिये गये नये तथ्यों के बारे में पूरी तरह अपने को आश्वस्त कर लें।

5. यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये गये बयानों को किसी उद्देश्य के कारण गलत तरीके से बदलता है या सारी स्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं कर तथ्यों को छिपाता है या यह प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी द्वारा पक्षपात किया गया है तो जांच अधिकारी की विश्वसनीयता के विपरीत स्पष्ट प्रमाण माना जाकर विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

मृत्युकालीन घोषणा के बयान—जब कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है और वह कोई कथन करता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 26 BSA {32 IEA} के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये कथन सुसंगत माने गये हैं। यह घोषणा लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार की हो सकती है और किसी के भी समक्ष की जा सकती है। अर्थात् मजिस्ट्रेट, उपचार कर रहे डाक्टर, पुलिस अधिकारी अथवा जनता के किसी व्यक्ति के सामने की जा सकती है। यदि मरणासन्न व्यक्ति बोल या लिख सकने में असमर्थ है तो संकेतों द्वारा भी बता सकता है परन्तु ऐसी स्थिति संकेतों का क्या अर्थ है, यह न्यायालय द्वारा ही अनुवादित किया जायेगा। गवाह द्वारा उसका बताया गया अर्थ साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा।

1. अन्वेषण में इन बयानों का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह बयान उस व्यक्ति के लिए जाते हैं जो मरणासन्न अवस्था में है अर्थात् उस समय लिए जाते हैं जब व्यक्ति मृत्यु-शैया पर होता है और उसे मृत्यु की आशंका होती है। ऐसा व्यक्ति घटना के बारे में कथन करता है।

2. ऐसा कहा जाता है कि—“मरते हुए व्यक्ति के अधरों पर सत्य का वास होता है” यही धारणा मृत्युकालीन घोषणा के बयानों की साक्ष्य में ग्रह्यता का आधार है।
3. मृत्युकालीन घोषणा के बयान सामान्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किए जाते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने पर यह चिकित्सा अधिकारी अथवा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जा सकते हैं।
4. मृत्युकालीन घोषणा के बयान तभी लेखबद्ध किए जाने चाहिए तब बयान देने वाला व्यक्ति बयान देने अर्थात् सोचने एवं समझने की स्थिति में हो। इसके लिए चिकित्सा अधिकारी से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।
5. मृत्युकालीन कथनों पर धारा **181 BNSS {162 CRPC}** के तहत कथन करने वाले के हस्ताक्षर करवाये जावेंगे।
6. यदि मृत्युकालीन कथन करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाये तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 की धारा **148 BSA {145 IEA}** के अनुसार बयान खण्डन के कार्यों के लिए सुसंगत हो जाती है और धारा **160 BSA {157 IEA}** के अनुसार प्रमाणित साक्ष्य हैं।
7. मृत्युकालीन कथन सामान्यतः विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट से भिन्न अन्य किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किये जावेंगे।
8. इस प्रकार के कथनों में कथन करने वाले व्यक्ति की मनोदशा एवं उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए।

मृत्युकालीन घोषणा लिखते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें :-

- A. पुलिस को चाहिये कि वह किसी मजिस्ट्रेट को मरने वाले के पास बयान लेने के लिए ले जावे।
- B. प्रयास इस बात का किया जाना चाहिये कि वक्तव्य किंसा मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिखा जाये। जैसे ही उपचार कर रहे डाक्टर से ज्ञात हो कि व्यक्ति मरणासन्न (अगर लिख कर ले लिया जावे तो ओर अच्छा रहता है) है परन्तु समीपस्थ मजिस्ट्रेट के पास लिखित आग्रह भेजा जाना चाहिये कि तत्काल मृत्युकालीन घोषणा लिखी जाये।
- C. यदि कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो डाक्टर से ही अनुरोध किया जाना चाहिए कि घायल व्यक्ति की मृत्युकालीन घोषणा वह लिखे परन्तु ऐसा लिखा जाने के पहले ऐसा प्रमाण पत्र इस आशय का भी ले लिया जावे कि वह व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है और मर भी सकता है।
- D. यदि मजिस्ट्रेट आसानी से उपलब्ध नहीं है तो पुलिस अधिकारी ऐसे दो गवाह सम्मुख जिनका पुलिस अथवा मृतक से कोई सम्बन्ध न हो, स्वयं मृत्युकालीन घोषणा लेखबद्ध कर सकता है।
- E. ऐसे केश में जब गवाह भी उपलब्ध नहीं हो तो अच्छा यही होगा कि कोई राजपत्रित अधिकारी इसे लेखबद्ध करे अथवा एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी के सम्मुख इसे लिखे।
- F. यदि मृत्युकालीन घोषणा मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं हो तो यह शपथ पर नहीं हो।
- G. घोषणा को मरने वाले की भाषा में लिखी जावे जो उसकी मृत्यु का कारण बताये तथा जिसके हाथों उसकी मृत्यु हो रही है, भले ही उससे छोटी-छोटी जानकारी विस्तृत रूप से नहीं हो तो भी उस में विशेष घटना और घटना के पूर्व की स्थिति का पूर्ण विवरण हो।
- H. यदि डॉक्टर किन्ही कारणोंवश तैयार नहीं होता है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा घोषणा लिखी जानी चाहिये। या फिर भी सबसे बड़ा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं गवाह के रूप में यदि कोई डाक्टर या नर्स रहे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वे स्वाभाविक गवाह के रूप में होंगे। इनके अलावा कोई और निष्पक्ष व्यक्ति को गवाह बना लिया जाना चाहिये।
- I. डॉक्टर उपलब्ध हो तो वह यह प्रमाण दे कि मरने वाला मृत्युकालीन घोषणा से पहले पूर्णतया होश में था। डॉक्टर से यह भी कहा जावे कि वह घोषणा पूर्ण होने तक वहीं उपस्थित रहे और गवाह के रूप में हस्ताक्षर करे।
- J. यदि घायल व्यक्ति देहात में हो और उसको कहीं अस्पताल ले जाते -जाते उसके मर जाने की सम्भावना है तो वहीं प्रधान से ही अनुरोध कर उसकी लिपिबद्ध करा लेनी चाहिये।
- K. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के अनुसार ऐसी कोई घोषणा लिखे जाने की यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है। फिर भी उसकी मानसिक स्थिति का उल्लेख भी लाभकारी है। उसका यह कहना कि “अब मैं कुछ मिनटों का ही मेहमान हूँ” “मैं मर रहा हूँ” “अब नहीं बच सकता” अथवा उसके द्वारा अपनी वसीयत

लिखने के लिए कागज कलम का मांगा जाना, अपनी गोपनीय बातों व धन किसी को बताना, किसी बहुत करीबी रिश्तेदार लड़के आदि को बुलाना अथवा डाक्टर से ईलाज कराने या दवा लेने से इंकार करना आदि ऐसे संकेत हैं कि अब उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति यह है कि वह अपने को मरनासन्न सोच रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसी घोषणा की विश्वसनीयता न्यायालय की दृष्टि में अधिक होगी।

L. मरणासन्न व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह उपरोक्त घोषणा पूर्ण मानसिक चैतन्यता में कर सकता है। जहाँ डॉक्टर की राय में व्यक्ति मरने वाला है, वहाँ अन्वेषणकर्ता अधिकारी की यह राय ले लेनी चाहिए कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक है। यदि वह किसी शराब आदि के नशे में है। तो ऐसे व्यक्ति की घोषणा बेकार है। कभी-कभी चोट से भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है।

M. घोषणा प्रश्न उत्तर रूप में लिखी जाये तो उचित रहती है। परन्तु कभी भी सांकेतिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे “ क्या तुम्हारे पति ने तो हत्या नहीं की” या “अमुख व्यक्ति (नाम) ने तो नहीं मारा” आदि। प्रश्न केवल सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पूछे जायें और अधिक उसी को बोलने दिया जावे। प्रश्न पर उत्तर पूरे के पूरे उसी घायल व्यक्ति के शब्दों में ही लिखी जाये न कि सारांश लिखा जाये।

N. यदि व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर अन्वेषणकर्ता अधिकारी के पहुँचने के पहले ही हो गयी हो तो जिन व्यक्तियों से उसने कोई घोषणा की हो, उनका बयान तुरन्त ले लिया जाना चाहिए और उस पर उनके हस्ताक्षर भी प्रज्ञप्त करा लेन चाहिए। उनसे अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे घायल द्वारा कही हर बात हरकत व बनाई गई हर बात उसी व्यक्ति के शब्दों में यथासंभव सही –सही बता रहे हैं।

O. यह घोषणा तत्काल लिखी जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कान भरने का मौका मिल चुका है। तो न्यायालय को उसकी सच्चाई पर संदेह हो सकता है। कितनी दूर से कातिल को देखा, प्रकाश था कि नहीं आदि बातों का जिक्र यदि हो तो अच्छा है। परन्तु समयाभाव में इस प्रकार के प्रश्नों में समय बिताना मूर्खता होगी। बाद में अन्वेषण में अन्वेषणकर्ता अधिकारी को इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए मृतक का चरित्र कैसा रहा है। सच बोलने की इतनी ख्याति है कि नहीं आदि भी अन्वेषण में स्पष्ट किया जाना चाहिए। यही बातें हैं जिन पर बचाव पक्ष द्वारा प्रकाश डालकर सन्देह पैदा करने का प्रयास परीक्षण के दौरान किया जायेगा।

P. यदि घायल व्यक्ति किसी अपराधी को पहचानता नहीं तो उसका पूरा हुलिया या अन्य कोई निशान आदि स्पष्ट और अलग अलग लिखा जाना चाहिए ताकि उसकी गिरफ्तारी पर वे बातें स्पष्ट होकर तस्दीक हो सकें। यदि इसी बीच वह पकड़ लिया जाता है तो चार पाँच अन्य उसी तरह के व्यक्तियों के बीच खड़ाकर उसकी पहचान कराई जा सकती है। और उसके देखने के बाद कहे गए शब्दों को गवाहों की उपस्थिति में लिखा जा सकता है। यदि वह व्यक्ति उसका तिर्यक परीक्षण करना चाहे तो उसे भी अनुमति दी जाये और हर बात लिख ली जाये। परन्तु ऐसा तभी किया जाये जब घायल व्यक्ति के बचने की कोई आशा ना हो वरना बाद में ही विधिवत शिनाख्त कराया जाना उचित रहेगा।

Q. अपनी घोषणा यदि घायल व्यक्ति खुद लिख कर दे तो सबसे अच्छा है। यदि नहीं लिख सकता है तो लिखने के बाद पढ़कर उसे सुनाया जाये और उसे हस्ताक्षर करे गवाहों के भी हस्ताक्षर कराये जाने चाहिए। परन्तु यदि पढ़कर सुनाया नहीं जा सका और हस्ताक्षर नहीं लिये जा सकें और इसी बीच घायल व्यक्ति मर जाता है। तो ऐसी अपूर्ण घोषणा साक्ष्य के रूप में अमान्य नहीं हो जाती है। परन्तु इस आशय की टिप्पणी उसी कागज पर लिख ली जानी चाहिए इससे न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकता है, उस पर विश्वास करना या न करना न्यायालय पर निर्भर करेगा।

R. घोषणा लिखने के पश्चात् मरने वाले के हस्ताक्षर करवा लिये जावें अथवा उससे तस्दीक करवा ली जावें यही कार्यवाही गवाहों द्वारा भी करवाई जावे। पुलिस अधिकारी भी समय, तिथि और स्थान का विवरण देते हुये स्वयं अपने हस्ताक्षर करें। उस घोषणा को अन्वेषण अधिकारी केस डायरी में यथावत ही लिखें। मूल प्रतिलिपि आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश करें अन्वेषण अधिकारी अपने आपको एवं उन गवाहों को निके सामने मृत्युकालिन घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं।, उन्हें साक्ष्य के रूप में रखें।

घटनास्थल का नक्शा-मौका

किसी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी साक्ष्य संकलित करने के प्रयोजन से अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा-मौका (Crime Scene Memo / Site Plan) तैयार करता है। फर्द नक्शा-मौका घटना की सटीक जानकारी, स्पष्टीकरण तथा पुनःस्थापन (Reconstruction) की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस

अधिकारी अनुसंधान के लिए घटनास्थल पर पहुँच कर मौके पर घटना से संबंधित वस्तुओं, निशान, आलामात आदि को दर्शाते हुए दो मौतबिर/गवाहों की मौजूदगी में नक्शा तैयार करता है, जिसे 'फर्द नक्शा मौका' कहा जाता है।

घटनास्थल का निरीक्षण धारा 176 BNSS {157 CRPC} –

क. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिये घटनास्थल के लिए प्रस्थान करता है।

ख. थानाधिकारी अन्वेषण करने में सक्षम अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भी घटनास्थल पर जाने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

घटनास्थल की सुरक्षा तथा निरीक्षण के लिए अतिशीघ्र प्रस्थान –

क. अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी का यह दायित्व है कि वह घटनास्थल को सुरक्षित करे तथा कानिस्टेबल को सुरक्षा हेतु नियुक्त कर घटनास्थल पर प्रवेश निषेध की चेतावनी का बोर्ड लगावे। रस्सी/प्लास्टिक टेप का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है।

ख. यह आवश्यक है कि अनुसंधान अधिकारी जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल तैयार करे। घटनास्थल निरीक्षण में देरी के कारण साक्ष्यों व तथ्यों से छेड़छाड़ एवं नष्टीकरण की प्रबल संभावना रहती है। अतः अपराध के घटनास्थल का संरक्षण एवं अतिशीघ्र निरीक्षण प्रकरण की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

नक्शा-मौका में अंकित करने योग्य तथ्य – घटनास्थल का नक्शा मौका इस तरह तैयार करना चाहिये कि जिसने घटना नहीं देखी हो वह नक्शा मौका की फर्द देख कर आसानी से समझ सके कि घटना किस तरह घटित हुई। फर्द नक्शा मौका स्पष्ट, पठनीय तथा घटना की सजीव कहानी कहने वाला होना चाहिये, जिसे देखकर कोई अनजान व्यक्ति घटनास्थल पर पहुँच सकता हो। नक्शा मौका पीड़ित, परिवादी या चश्मदीद गवाह की निशादेही से दो स्थानीय मौतबिर व्यक्तियों की मौजूदगी में तैयार करना चाहिये। नक्शा मौका में मौके पर दिखाई देने वाली चीजों को दर्शाना चाहिये।

क. अन्वेषण अधिकारी को फर्द नक्शा-मौका में वे ही तथ्य दर्शाने चाहिये जो उसने घटनास्थल पर देखे (officer's personal observation) हैं। गवाहों के बयानों के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर उस पर गवाह के हस्ताक्षर करवाने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 BNSS {162 CRPC} से विरोधात्मक हो जाता है। – तोरी सिंह व अन्य बनाम यू.पी. राज्य ए.आई.आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 399 अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर फर्द नक्शा-मौका में अंकित बातें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। – राजस्थान राज्य बनाम भवानी व अन्य 2003 (7) सुप्रीम कोर्ट केसेज 291

ख. नक्शा मौका के पुस्त पर 'हालात् मौका' लिखे जाने की परम्परा है और हालात् मौका में गवाहों की जानकारी पर आधारित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। हालात् मौके पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवाये जाते हैं। इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि हालात् मौके में विवरण नक्शा मौका में दर्शाये तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिये तथा इस तरह के हालात् मौके पर उन गवाहों के हस्ताक्षर करवाने चाहिये जिनके सामने नक्शा मौका तैयार किया गया हो। लेकिन जिस गवाह की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका में तथ्य दर्शाये हैं, उसके हस्ताक्षर कराने से नक्शा मौका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक हो जाता है।

ग. नक्शा-मौका में घटनास्थल, आस-पास के मकानों व भूखण्डों तथा स्थायी चीजों (Landmarks) जैसे-कुँआ, पेड़, रेल की पटरी आदि को दर्शाना चाहिए। वहाँ पर मिले हथियार, वाहन, पद-चिन्ह, फिंगर-प्रिन्ट, खून, शव, बाल व अन्य आलामात इत्यादि का भी विवरण अंकित करना चाहिये। अभियुक्त के आने व जाने की दिशा के अतिरिक्त वे बिन्दु भी दर्शाये जाने चाहिये जहाँ से प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना को देखा हो। रात्रि में घटित घटना के नक्शे मौके में प्रकाश के स्रोत की स्थिति, संख्या, प्रकाश की मात्रा व अन्य सहयोगी प्रकाश स्रोतों का उल्लेख प्रचुर मात्रा में करना चाहिये।

घ. नक्शा-मौका में दिशा, दूरी व माप का सही अंकन होना चाहिये। नक्शा मौका में तैयार करने की दिनांक, समय तथा स्थान का उल्लेख करना चाहिये। प्रायः पृष्ठ के ऊपर उत्तर दिशा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि नक्शा किस ओर से देखा जाय।

ङ. नक्शा-मौका स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तैयार करना चाहिये। यदि कोई विशेषज्ञ या पटवारी नक्शा तैयार कर रहा है तो अनुसंधान अधिकारी को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये। उचित यह रहता है कि पटवारी के सहयोग से जमीन संबंधी प्रकरणों में नक्शा मौका बनाया जावे।

च. नक्शा-मौका तैयार करते समय परिवादी या किसी चश्मदीद गवाह को साथ रखा जाना चाहिये ताकि वह घटनास्थल की निशादेही कर सके। धारा 190 BNSS {170(2) CRPC} के तहत बंधपत्र निष्पादित कर मौतबिर व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थिति हेतु पाबंद करना चाहिये।

छ. अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाह के कथन के आधार पर आपराधिक घटना के समय, स्थान व रीति के बारे में नक्शा-मौका में दिया गया विवरण सुनी-सुनाई बात होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 (2) के दायरे में आने के कारण सम्पुष्टि(corroboration)के प्रयोजन से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुसंधान अधिकारी के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर देखी गई बातें ही सारवान् साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

ज. ड्राफ्ट्समेन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र के बारे में विधिक स्थिति कुछ भिन्न है। जब अनुसंधान अधिकारी ने हत्या की घटना के चश्मदीद गवाहों की जानकारी के आधार पर नक्शा मौका तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से विरोधात्मक माना गया। लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने ड्राफ्ट्समेन से घटनास्थल का नक्शा बनवाया। ड्राफ्ट्समेन ने मानचित्र बनाते समय हमलावर तथा पीड़ित के खड़े रहने की स्थिति को गवाह से प्राप्त जानकारी के आधार पर नक्शे में दर्शाया, जिसकी पुष्टि गवाह ने न्यायालय में आकर विटनेस-बॉक्स में कर दी तो यह साक्ष्य में ग्राह्य माना गया।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 व नक्शा मौका –

क. नियम 6.10 – घटनास्थल पर अविलम्ब पहुँचना – संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो जायेंगे। यदि ऐसा अधिकारी अन्वेषण के लिए अधिकृत नहीं है तो घटनास्थल को सुरक्षित करके विवरण लिखेगा, साक्षियों को रोके रखेगा, मामले की सूचनाएँ एकत्रित करेगा और अपराधी को गिरफ्तार करेगा।

ख. नियम 6.13– घटनास्थल का मानचित्र/नक्शा मौका –

किसी भी मामले में घटनास्थल के दो मानचित्र तैयार किये जायेंगे। एक मानचित्र आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन के साथ तथा दूसरा मानचित्र अभियोजन की दृष्टि से विभागीय उपयोग हेतु रखा जाता है।

गंभीर मामलों तथा जमीन विवाद के मामलों में पटवारी से दो प्रति में मानचित्र बनवाया न्यायालय में पेश की जायेगी। दूसरी प्रति में साक्षियों के बयानों पर आधारित बातें लिखी जायेगी जो केवल विभागीय उपयोग में लाया जायेगा क्योंकि इसका साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है।

पुलिस अधिकारी द्वारा पटवारी को मानचित्र में दर्शाये जाने वाले भूमि संकेत तथा मुख्य प्राकृतिक बिन्दु बताये जायेंगे। मानचित्र में प्रविष्टियां पटवारी द्वारा काली स्याही से तथा पुलिस द्वारा लाल स्याही से की जानी चाहिये।

नक्शा मौका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल निरीक्षण – धारा 347 BNSS {310 CRPC} के तहत कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरान्त अपराध के घटनास्थल का निरीक्षण कर सुसंगत सूचनाओं की फर्द बना सकता है।

भूमि संबंधी मामलों में पटवारी द्वारा नक्शा-मौका तैयार करवाना –भूमि विवाद से संबंधित मामलों में पटवारी से रेवेन्यू रिकॉर्ड व खसरा नम्बर इत्यादि सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद फर्द नक्शा-मौका तैयार की जानी चाहिये। पटवारी से भूमि के नक्शे का प्रारूप अवश्य बनवा लेना चाहिये।

अपराध के घटनास्थल की एनालॉग व डिजीटल फोटोग्राफी –

क. घटनास्थल की फोटोग्राफी से सम्पूर्ण घटनास्थल का सही चित्रण सामने आता है और मजिस्ट्रेट के दिमाग में घटनास्थल की परिस्थितियों की पुनःस्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 BSA {9 IEA} के तहत फोटोग्राफी साक्ष्यिक मूल्य रखती है।

ख. फोटोग्राफी करते समय एक फोटो में सम्पूर्ण घटनास्थल तथा अन्य क्लोज-अप फोटोग्राफ्स में महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य व फुट-प्रिन्ट इत्यादि कवर किये जाने चाहिये।

ग. एनेलॉग फोटोग्राफी की स्थिति में नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिये और डिजीटल फोटोग्राफी की स्थिति में हैश-वेल्स निकालनी चाहिये ताकि न्यायालय को डिजीटल फोटोग्राफ्स के साथ छेड़छाड़ का संदेह न हो।

घटनास्थल के संबंध में कानूनी पहलू :-

1. अपराध घटनास्थल के मौका मुआयना की फर्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 BSA {9 IEA} एवं धारा 29 BSA {35 IEA} के अन्तर्गत सुसंगत हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 में कोई भी तथ्य जो कि अभियुक्त का आचरण सिद्ध करने में या हेतु का साक्ष्य देने में सहयोग करता है वह सुसंगत है। यह धारा उन सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करती है, जैसे कि :-

- (a) जो कि विवादित तथ्य व सुसंगत तथ्य कि व्याख्या करते हैं। या
- (b) जो कि किसी विवादक तथ्य व सुसंगत तथ्य से निकले हुये तर्क को या तो समर्थन प्रदान करते हैं या खंडन करते हैं।
- (c) वह तथ्य जो किसी व्यक्ति की अनन्यता जिसकी अनन्यता सुसंगत हैं स्पष्ट करते हैं।
- (d) वह तथ्य जो कि ठीक समय व जगह निर्धारित करते हैं कि कब और कहाँ कोई विवादित अथवा सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो या।
- (e) वह तथ्य जो कि दोनों पक्षों के आपस के सम्बन्ध में कथित कार्य की तरफ जहाँ तक की वे उस लक्ष्य के पाने में आवश्यक है, दिखाते हैं।

A. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 29 BSA {35 IEA} के अनुसार यदि कोई दस्तावेज स्वीकृत किया जावे तो तीन शर्त अनिवार्य हैं:-

- (a) वह इन्द्राज जिस पर विश्वास किया जाना है वह किसी सार्वजनिक अथवा अन्य सरकारी किताब का होना चाहिये।
 - (b) यह वह ही इन्द्राज होना आवश्यक है जो कोई विवादक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्य बताता हो।
 - (c) वह किसी सार्वजनिक सेवक द्वारा अपने राजकीय अनुक्रम के दौरान बनायी जानी चाहिये या किसी व्यक्ति द्वारा जिसका की कानून वह कार्य करने की आज्ञा प्रदान करता है। या किसी व्यक्ति के निर्देश द्वारा जिसके उसे उस समय बनाने का कर्तव्य था (राज्य बनाम कमरुद्दीन — ए.आई.आर. 1956 नागपुर 74) यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक जो कि इन इन्द्राज को तैयार करता है वह किसी कानूनी अधिनियम द्वारा उसे करने अथवा रखने से कर्तव्यबद्ध हो। (फक्कड़ बनाम प्रागी — ए.आई.आर. 1935 अवध 268)।
2. साक्षियों के कथनों के आधार पर यदि नक्शा मौका मुआयना की फर्द में कोई भी व्यक्ति अथवा प्वाइंट अनवेषण अधिकारी ने दिखाये हैं और साक्षियों द्वारा फर्द हस्ताक्षरित है तो वह 1973 की धारा 181 BNSS {162 CRPC} से विरोधात्मक हो जाते हैं इसलिए यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक अनवेषण अधिकारी फर्द नक्शा मौके मुआयने में ही वे मार्क या प्वाइंट दर्शाये जो कि स्वयं उसने अपराध घटनास्थल पर देखे हैं, न कि वे स्थान जिनको साक्षियों ने उसे बताये हैं अनवेषण अधिकारी स्वयं मौके पर जो भी वस्तु स्थिति देखता है वह ही उसको अंकित करे। यह ही कानून की इच्छा है।
3. 1973 की धारा 347 BNSS {310 CRPC} के अनुसार कोई भी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट संबन्धित पक्षों को उचित नोटिस देने के उपरान्त अपराध घटनास्थल का निरीक्षण कर सकता है और घटनास्थल के संबंध में संगतमय सूचनाओं की फर्द बना सकता है।
4. अतः कानूनी रूप से फर्द नक्शा मौका मुआयना (रेखाचित्र या डायग्राम) निम्नलिखित कारणों से न्यायालय में मान्य है:-
- (a) यदि यह किसी विशेषज्ञ के द्वारा बनाया गया अथवा विशेषज्ञ की राय का एक हिस्सा है।
 - (b) यदि यह अपराध घटनास्थल का पुर्नस्थापन करता है।
 - (c) यदि यह स्पष्ट व सही रूप से स्थान और घटना को अंकित करता है।

घटनास्थल से सम्बन्धित पुलिस मुख्यालय का परिपत्र 11/2000

जैसा कि आप जानते हैं किसी भी आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान घटनास्थल से ही आरम्भ होता है। अभियुक्त घटनास्थल पर कई ऐसे आलामात् छोड़ जाता है जो उसे अपराध से जोड़ने में सहायक होते हैं। घटना स्थल पर उपलब्ध जैविक व भौतिक साक्ष्यों को यदि सावधानी से विशेषज्ञों की सहायता से एकत्र किया जाए तो अनुसंधान से सहायता मिलती है। यदि घटनास्थल को सुरक्षित न रखा जाए तो जैविक परिपेक्ष्य में घटनास्थल को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रायः यह देखा गया है कि पुलिसकर्मी घटनास्थल को सुरक्षित नहीं रखते। सम्भवतः कर्तव्य बोध की कमी एवं उदासीनता के कारण इसे खराब कर देती है।

यह प्रायः इसलिए होता है क्योंकि मौक पर उपस्थित पुलिसकर्मी सुरक्षा डोरी से घटनास्थल को सुरक्षित नहीं करते और भीड़ को नियंत्रित नहीं करते। घटनास्थल पर उपलब्ध जैविक एवं भौतिक साक्ष्य की पूर्ण सूची तो बनाना सम्भव नहीं है, फिर भी निम्न प्रकार का साक्ष्य मिल सकता है:-

- (अ) निशान — अंगुल चिन्ह, पद चिन्ह, औजार के निशान, टायर के निशान, दाँत के निशान आदि;
 (ब) दस्तावेज — हस्त लिपि, टाईप लिपि, हस्ताक्षर, लेखन सामग्री
 (स) अग्नेय शस्त्र — फायर किया हुआ कारतूस का खोखा; फायर हुआ बुलेट, बैड, पैलेट एवं बारूद आदि;
 (द) मिट्टी, गर्द व मलबा;
 (य) बाल, रेशे, वस्तु;
 (र) रक्त, वीर्य, थूक, उल्टी आदि; एवं
 (ल) पेन्ट, ग्लास, लकड़ी, हड्डी आदि।

प्रकरण की सफलता के लिए जैविक एवं भौतिक साक्ष्य को विशेषज्ञ दल के आने तक सम्भाल कर रखना नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश किये जाते हैं:-

(अ) क्या-क्या करना है-

1. अपराध स्थल पर सुरक्षा डोरी एवं इन्वेस्टीगेशन बॉक्स लेकर बिना विलम्ब के पहुँचे।
2. अपराध स्थल को सुरक्षा डोरी से सुरक्षित रखें।
3. अपराध स्थल पर प्रवेश एवं निकास के लिए उचित स्थान का चयन कर सुरक्षा डोरी से अंकित करें।
4. घटना स्थल का जायजा लेकर अपराध प्रकृति को देखते हुए FSL/FPB/MOB/डॉग स्कॉड/बम्ब डिस्पोजल आदि विशेषज्ञ टीम के लिए पुलिस अधीक्षक को शीघ्र सूचित करें।
5. केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही चिन्हित प्रवेश मार्ग से घटनास्थल में प्रवेश दिया जावे।
6. घटनास्थल पर साक्ष्य पदचिन्ह, टायर मार्क्स इत्यादि जो वर्षा, हवा के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें तगारी आदि से ढक दे।
7. रक्त, वीर्य, उल्टी बाल रसायन, ज्वलनशील पदार्थ, हड्डियाँ, टूलमार्क आदि को ज्यों की त्यों सुरक्षित रखें एवं रंगीन चॉक/मार्किंग पेन्सिल से चिन्हित करें।
8. अपराध स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करावें।
9. अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को अनावश्यक न छुआ जावे, यदि आवश्यक हो तो दस्तानों का प्रयोग करें।
10. जैविक साक्ष्य जैसे रक्त, वीर्य, थूक आदि को सफेद सूती कपड़े के टुकड़े में सोख कर उठावें तथा हवा में सुखाकर भेजें। रक्त रंजित प्रादर्शों को दोनों तरफ अखबार लगाकर पैक करें।
11. अन्य प्रादर्श जैसे मौस, हड्डियाँ दाँत, बाल इत्यादि भी इसी तरह कागज में लपेट कर पैक करें।
12. चिकित्सा अधिकारी द्वारा रक्त, वीर्य, थूक आदि संग्रह करते समय स्टेलाइज्ड काच की छोटी शीशी (ग्लास, बोतल) में तरल नमूनों को मय प्रिजरनेटिव के थर्मस में बर्फ डालकर प्रयोगशाला में भेजें।
13. विसरा, रक्त व पेट का धोवन इत्यादि प्रादर्शों की सही मात्रा एवं सही प्रिजर्वेशन कांच की बरनी व शीशी में सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार से सील एवं पैक करायें।
14. प्रत्येक प्रादर्श की उचित मात्रा संग्रहित करें।
15. प्रादर्शों को सही तरीके से पैक करें।
16. सील सही तरीके से पूरी व स्पष्ट लगावें।
17. स्पष्ट प्रमाणित नमूना सील संलग्न करें।
18. लेबल (चस्पा) पर मार्किंग एवं वांछित सम्पूर्ण विवरण अंकित करें।
19. परीक्षण के लिए अधिकार पत्र संलग्न करें।
20. मेडिकल रिपोर्ट संलग्न करें।
21. आवश्यकतानुसार कंट्रोल सेम्पल भी भेजा जावे।
22. कटिंग/ओवर राइटिंग पर लघु हस्ताक्षर करें।
23. अग्रेषण पत्र मय प्रादर्शों एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रयोगशाला में अविलम्ब जमा करावें।
24. विशेष वाहक वर्दी में ही उपस्थित हो।

(ब) क्या-क्या नहीं करना है-

1. इन्वेस्टीगेशन बॉक्स का सामान चैक करना ना भूलें।

2. सर्वप्रथम सुरक्षा डोरी से घटनास्थल को सुरक्षित करना ना भूले।
3. अपराध स्थल पर प्रवेश के लिए उचित स्थान का चयन करना ना भूले।
4. समुचित विशेषज्ञ टीम को बुलाने के लिए अपराध सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पुलिस अधीक्षक को देना ना भूलें।
5. अनाधिकृत व्यक्तियों को घटनास्थल में प्रवेश व छेड़छाड़ न करने देवे।
6. पदचिन्ह एवं टायरमार्क्स को तगारी से ढकना ना भूले।
7. घटनास्थल पर पाये जाने वाले भौतिक साक्ष्यों को धूप, हवा एवं वर्षा से सुरक्षित एवं चिन्हित करना (रंगीन चॉक/मार्किंग पेंसिल से) ना भूले।
8. अपराध स्थल की उचित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की तुरंत व्यवस्था करवाना ना भूलें।
9. अनावश्यक रूप से अपराध स्थल पर किसी भी वस्तु को नहीं छोड़े व मूल स्थिति बनाये रखना नहीं भूले।
10. अपराध स्थल पर पाये जाने वाले जैविक साक्ष्य जैसे खून, वीर्य आदि तरल पदार्थों को बिना सुखाये संरक्षित नहीं करे एवं धूप से क्षति न होने दें।
11. प्रदर्शों को नमी से बचाने हेतु कागज का प्रयोग करना नहीं भूलें।
12. चिकित्सा अधिकारी से प्रिजर्व करवाना व बर्फ में रखना नहीं भूलें।
13. पोस्टमार्टम सामग्री को प्रयोगशाला में अविलम्ब भिजवाना नहीं भूलें।
14. प्रत्येक प्रादर्श की उचित मात्रा संग्रहित करना न भूलें।
15. प्रादर्शों को सही तरीके से पैक करना नहीं भूलें।
16. सील का उपयोग इस प्रकार करें कि सील तोड़े बिना प्रादर्श को निकाला नहीं जा सके।
17. नमूना सील अस्पष्ट एवं अप्रमाणित नहीं होना चाहिए।
18. पैकिटों के लेबल पर मुकदमा नम्बर, आईओ, गवाहो, मार्किंग, प्रादर्शों का विवरण लिखना नहीं भूलें।
19. अधिकार पत्र संलग्न करना ना भूलें।
20. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्जरी रिपोर्ट आदि संलग्न करना ना भूलें।
21. सही कन्ट्रोल सेम्पल लेना नहीं भूलें।
22. कटिंग/ऑवर राईटिंग नहीं करें।
23. अग्रेषण पत्र मय प्रादर्शों एवं आवश्यक दस्तावेजों में एफआईआर नमूना सील, अधिकार पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, फर्दजप्ती इत्यादि की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करना नहीं भूलें।
24. विशेष वाहक कमाण्ड सर्टिफिकेट लाना नहीं भूलें।

रिमाण्ड

रिमाण्ड का अर्थ है अभिरक्षा में प्रतिपेक्षण (return to custody)। जब पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पुनः अभिरक्षा में प्राप्त करता है तो रिमाण्ड कहा जाता है।

धारा 58 BNSS {57 CRPC} के अनुसार अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता अर्थात् 24 घण्टे की अवधि के भीतर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है।

अभियुक्त को गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा में लगे समय को 24 घण्टे की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

रिमाण्ड के प्रकार –

- क. पुलिस रिमाण्ड – पुलिस अभिरक्षा में प्रतिपेक्षण
- ख. न्यायिक रिमाण्ड – न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिपेक्षण

रिमाण्ड की आवश्यकता –

क. पुलिस रिमाण्ड की आवश्यकता – अनुसंधान के दौरान बिना वारण्ट गिरफ्तार व्यक्ति से 24 घण्टे की अवधि तक अनुसंधान करने का अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 {58 BNSS} के तहत प्राप्त है। यदि उक्त 24 घण्टे के भीतर अन्वेषण पूरा हो जाता है तो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है परन्तु पुलिस अधिकारी को अनुसंधान हेतु 24 घण्टे से अधिक समय की आवश्यकता है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 {187 BNSS} के तहत न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अधिकतम 15 दिन तक की अवधि के लिए पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर सकता है।

ख. न्यायिक रिमाण्ड की आवश्यकता — जब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 {187 BNSS} के तहत पुलिस रिमाण्ड हेतु नियत अधिकतम 15 दिन की अवधि के दौरान या समाप्ति पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो पाता है तो धारा 167 में न्यायिक अभिरक्षा हेतु नियत 90 दिन या 60 दिन की अधिकतम अवधि तक अभियुक्त को मजिस्ट्रेट ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा जाता है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी—जब किसी संज्ञेय अपराध के अनुसंधान में किसी व्यक्ति के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित हो जाता है तो उसे उस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। धारा 41 दं.प्र.सं. {35 BNSS} के तहत यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में दं.प्र.सं., भारतीय संविधान एवं राजस्थान पुलिस नियम 1965 में अनेकों कानूनी प्रावधान दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. धारा 35 BNSS {41(1) CRPC} के तहत :- कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है :-

- यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध करता है।
- यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसका दण्ड सात वर्ष से अधिक अवधि का है।
- यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध का आरोप है या उचित सन्देह है जिसका दण्ड सात वर्ष से कम अवधि का है और पुलिस अधिकारी निम्नांकित कारणों को अभिलिखित करते हुए उस व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है —

- ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए।
- अपराध के समुचित अन्वेषण करने के लिए।
- ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए।
- ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह या परिवादी को डराने धमकाने से निवारित करने के लिए।
- न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।

- यदि कोई पुलिस अधिकारी सात वर्ष से कम अवधि के दण्ड के अपराधों में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता है तो वह गिरफ्तारी न करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

2. धारा 35 BNSS {41(A) CRPC} के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का है तो ऐसे व्यक्ति को अनुसंधान अधिकारी अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा तथा उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह उस नोटिस का पालन करे। नोटिस का अनुपालन करने वाले व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस अधिकारी की राय में उसे गिरफ्तार किए जाने के पर्याप्त कारण न हो।

यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस की पालना करने में असफल रहता है या स्वयं की शिनाख्त करने अनिच्छुक है तो पुलिस अधिकारी सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त जैसा आदेश पारित करे, उसे नोटिस में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकेगा।

3. धारा 36 BNSS {41(B) CRPC} के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपनी सही व स्पष्ट पहचान धारण करेगा तथा गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा कम से कम एक साक्षी से हस्ताक्षरित होगा। साथ ही उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों, मित्रों या उस व्यक्ति द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को देगा।

4. धारा 37 BNSS {41(C) CRPC} के अनुसार प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जिसमें उस जिले या राज्य में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

5. धारा 38 BNSS {41(D) CRPC} के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस पूछताछ के दौरान उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अवसर दिया जाएगा, किन्तु संपूर्ण पूछताछ के दौरान यह आवश्यक नहीं है।

6. धारा 40 BNSS {43 CRPC} के तहत यदि किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को पकड़ता है तो वह व्यक्ति उस अपराधी को पुलिस अधिकारी के पास ले जावेगा तथा पुलिस अधिकारी अपराधी को पुनः धारा 41 के तहत उसे गिरफ्तार करेगा।

7. धारा **43 BNSS {46 CRPC}** के तहत अपराधी की गिरफ्तारी की जावेगी जिसके अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जावेगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुयेगा या परिरुद्ध करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को वचन या कर्म से पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपने आप को समर्पित नहीं कर दे।

8. (2) तहत यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तार होने से बचने का प्रयास करता है या गिरफ्तारी में बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं।

9. (4) के तहत केवल असामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और जहाँ ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ विद्यमान हों, एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है या गिरफ्तारी होनी है, से पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

10. धारा **44 BNSS {47 CRPC}** के तहत यदि ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी मकान में प्रविष्ट हो गया है तो अनुसंधान अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये उस मकान में प्रविष्ट हो सकता है।

11. धारा **47 BNSS {50 CRPC}** के तहत गिरफ्तार किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस बात का उल्लेख फर्द गिरफ्तारी में भी किया जाना चाहिये।

12. धारा **49 BNSS {51 CRPC}** के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जावेगी तथा आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई समस्त वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावेगा तथा ऐसी वस्तुओं की एक लिस्ट बनाई जावेगी और लिस्ट की एक प्रति अभियुक्त को दी जावेगी।

13. (2) के तहत महिला की तलाशी महिला के द्वारा ही ली जावेगी एवं उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा।

14. धारा **53 BNSS {54 CRPC}** के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा करवाई जाएगी।

15. धारा **58 BNSS {57 CRPC}** के तहत गिरफ्तार करने के 24 घण्टे के अन्दर अभियुक्त को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

फर्द गिरफ्तार तैयार करने एवं गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने के प्रावधान :-

1. आरोपी को उसके निवास स्थान के आस पास से गिरफ्तार करें तो एक मोतबिर उसके परिवार के सदस्य तथा एक स्थानीय व्यक्ति को रखें।

2. आरोपी की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर का परीक्षण (मर्यादाओं का सम्मान करते हुए) अवश्य करें। उसके शरीर पर कोई चोट हो तो चोट की प्रकृति तथा कितनी पुरानी है, इसका उल्लेख फर्द व रोजनामचा आम में करें तथा चोटों के सम्बन्ध में अविलम्ब मेडिकल मुआयना करायें।

3. पार्चेजात की तलाशी लें तथा जो वस्तु दस्तयाब हो उसका फर्द में उल्लेख करें। ऐसी वस्तु अनुसंधान में बतौर साक्ष्य वांछित नहीं है तो आरोपी के कहे अनुसार सुपुर्द कर रसीद लें तथा पत्रावली के संलग्न करें।

4. पहचान के चिन्ह अवश्य लिखें।

5. आरोपी को दस्तयाब करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व पद, स्थान, दिनांक एवं समय केस डायरी तथा फर्द में उल्लेख करें।

6. फर्द पर मोतबिरान एवं गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करायें।

7. किस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

8. गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग भी किया जा सकता है। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है ताकि अभियुक्त भाग नहीं सके। हथकड़ी अक्सर ऐसे व्यक्तियों को लगाई जाती है जो तीन या तीन से अधिक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त हैं अथवा पूर्व-सिद्ध दोष अभियुक्त हैं अथवा खतरनाक, हिंसक या दूषित आचरण वाले हैं।

9. उच्चतम न्यायालय ने बंदियों एवं कैदियों की सुरक्षा के लिए कई सुझाव दिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कैदियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सकता है जिनके भाग जाने अथवा अभद्र व्यवहार करने का खतरा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा सकते हैं। इन सबके बावजूद भी यदि यह पाया

जाता है कि कोई कैदी अथवा बंदी खतरनाक प्रकृति का है और वह कभी भी अभिरक्षा से भाग पाने में सफल हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए हथकड़ी एवं बेड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है।

10. यदि अनुसंधान अधिकारी को उचित कारणों से यह आशंका है कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त भाग सकता है या ऐसा उसका पूर्वाचरण रहा है तो वह सक्षम न्यायालय को हथकड़ी लगाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

11. बिना न्यायालय की अनुमति के किसी भी अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है।

इस सम्बन्ध में 'सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन' (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1675) तथा 'प्रेमशंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन' (ए.आई.आर. 1980 एस.सी.1535) के मामले अवलोकन योग्य हैं। इन दोनों मामलों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बंदियों एवं कैदियों को चौबीस घंटे हथकड़ियों एवं बेड़ियों में रखा जाना अमानवीय कृत्य है। यह मानव गरिमा के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का मत है कि " बन्दी और कैदी भी समाज के ही अंग हैं। उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। उनके साथ ऐसा मानवीय व्यवहार अपेक्षित है जिससे उनमें किसी प्रकार की हीन भावना जागृत न हो।"

सामान्यतः महिलाओं के हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। बन्दीगृह तथा न्यायालय में भी कतिपय दशाओं को छोड़कर हथकड़ी लगाया जाना वर्जित है।

दिनांक 29.04.2020 को पुलिस मुख्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में दिए गए निर्देशों के संबंध में जारी परिपत्र

प्रायः अनुसंधानाधिकारियों द्वारा ऐसे अपराध जिसमें सात साल से कम सजा या सात साल तक की सजा का प्रावधान है, के प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी की स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारियों के कार्यालय में पत्रावली प्रेषित करते समय मात्र धारा 35 BNSS {41 CRPC} के निम्न बिन्दु अंकित करते हुए पत्रावली प्रेषित कर दी जाती है:-

1. अनुसंधान से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है।
2. अपराध का उचित अनुसंधान करने के लिए/महिलाधन बरामद करने आदि के लिए।
3. अपराध से संबंधित गवाहान को भय, उत्प्रेरणा, प्रलोभन द्वारा डराने, धमकाने से रोकने के लिए।
4. आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए।

सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन (अधिनियम 2009) के अनुसार उपरोक्त बिन्दु गिरफ्तारी के लिए अनिवार्य हैं, परन्तु उक्त कारणों की पुष्टि अनुसंधान में आई साक्ष्यों से भी होनी चाहिए। कई बार अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान व उक्त बिन्दुओं के समर्थन में पत्रावली में विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित नहीं किये जाते हैं एवं डायरी में भी उचित रूप से नोट अंकित नहीं किया जाता है। धारा 35 बीएनएसएस में हुए संशोधन एवं सी.आर.पी.सी. की नई धारा (क) जोड़ने के पीछे मूल भावना यही है कि केवल ऐसी परिस्थितियां, जो धारा 35 बीएनएसएस में अंकित हैं व अनुसंधान अधिकारी के पास पर्याप्त व ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध है कि उक्त परिस्थितियां विद्यमान हैं, में गिरफ्तारी की जा सकेगी। अनुसंधान में बाधा उत्पन्न न हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 35(3) जोड़ी गई है जिसमें संबंधित आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कर उससे अनुसंधान पूर्ण किया जाने का प्रावधान किया गया है। धारा 35(3) के उपबन्धों की अनुपालना में असफल रहने पर भी आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान है।

अतः सी.आर.पी.सी. में हुए संशोधन एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में दिनांक 02.07.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय से पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. FIR दर्ज होने पर अनुसंधानाधिकारी बिना बिलम्ब FIR में अंकित आरोप के संबंध में गहन अनुसंधान करेगा व समस्त सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करेगा।
2. अनुसंधान में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर अनुसंधानाधिकारी सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करते हुये प्रत्येक आरोपी के संबंध में संबंधित धाराओं में अपराध के प्रमाणित होने बाबत धाराओं के विवरण सहित केस डायरी में नोट अंकित करेगा।
3. उक्तानुसार केस डायरी में नोट अंकित करने के साथ-साथ अनुसंधानाधिकारी प्रत्येक आरोपी के संबंध में संलग्न प्रारूप (check-list) में सूचना अनिवार्यतः भरेगा। यह प्रारूप (check-list) SHO द्वारा अनुसंधानाधिकारी को FIR दर्ज करते ही उपलब्ध कराई जाएगी।
4. यदि अनुसंधान से आरोपी के विरुद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें-
 - a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिन्दु, जो चैकलिस्ट के बिन्दु सं० 6 में भी वर्णित हैं, बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है,

ते अनुसंधानाधिकारी FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41-A CrPC का नोटिस देगा, जिसकी एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायालय को भी देगा। धारा 41-A CrPC के नोटिस का प्रारूप संलग्न है।

5. यदि किन्ही कारणों से उक्तानुसार 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस आरोपी को नहीं दिया जाता व न्यायालय को सूचित नहीं किया जाता, तो अनुसंधानाधिकारी चैक लिस्ट के बिन्दु सं. 6 41-A (ii)(ख) में इसका स्पष्ट उल्लेख करेगा। तत्पश्चात यह चैकलिस्ट पूर्ण कर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त कार्यालय में पत्रावली भेजकर FIR दर्ज होने के 02 सप्ताह के भीतर धारा 41-A CrPC का नोटिस नहीं देने के संबंध में शिथिलता प्रदान की जाने की प्रार्थना कर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जावेगा। जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा पत्रावली में देरी के कारणों की समीक्षा के आधार पर ही ऐसी स्वीकृति जारी की जाएगी। इसके पश्चात ही अनुसंधानाधिकारी आरोपी को 41-A CrPC का नोटिस देगा व एक प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय को (मय संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त के शिथिलता प्रदान करने के आदेश के) देगा।

6. यदि अनुसंधान से आरोपी के विरुद्ध जिन धाराओं का अपराध प्रमाणित है, उनमें—

a. अधिकतम सजा 7 वर्ष या उससे कम है, तथा

b. धारा 41(1)(b)(ii) CrPC में वर्णित 5 बिन्दुओं में एक या अधिक या समस्त बिन्दुओं बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर है,

तो अनुसंधानाधिकारी इसका स्पष्ट व विस्तार से उल्लेख चैकलिस्ट के बिन्दु सं. 6(ii) में करेगा।

यदि प्रकरण में विधि द्वारा /विभागीय आदेशों के अन्तर्गत गिरफ्तारी से पूर्व किसी सक्षम स्तर से स्वीकृति ली जानी है तो अनुसंधानाधिकारी उक्तानुसार चैकलिस्ट पूर्ण कर सक्षम स्तर को पत्रावली प्रेषित करेगा, जहां से अनुमति प्राप्त होने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी।

7. अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते समय पत्रावली पूर्ण होना तथा केस डायरी के साथ संलग्न प्रारूप में चैकलिस्ट पूर्ण होकर पत्रावली में शामिल होना भी सुनिश्चित करें जिससे न्यायालय द्वारा गिरफ्तार आरोपी के संबंध में अग्रिम आदेश दिया जा सके।

8. उक्त चैकलिस्ट (एवं उचित प्रकरणों में 41-A CrPC का नोटिस) प्रत्येक आरोपी के लिए पृथक –पृथक तैयार किए जाएंगे।

9. धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना करने में यदि आरोपी असफल रहता है डायरी में प्रतिस्थापित करते हुये गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में भी चैकलिस्ट की पूर्ति करते हुये

10. बिंदु सं. 6(ii) में स्पष्ट आधार अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11. आरोपी व्यक्ति जब भी धारा 41-A CrPC के नोटिस की अनुपालना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तो उसे उपस्थिति बाबत प्राप्ति रसीद दी जावेगी।

अतः प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त निर्देश Criminal Appeal No- 1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर न केवल संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी, वह अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही का पात्र होगा।

पुलिस थाना/कार्यालय.....जिला.....राजस्थान

(आरोपी की गिरफ्तारी बाबत चैकलिस्ट)

1. FIR NO.

2. दर्ज दिनांक

3. FIR की धाराएँ

4. आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, उम्र, पता.....

5. आरोपी के विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित अपराध का विवरण:—

(i) धारा.....एक्ट.....

धारा में अधिकतम सजा.....

(ii) धारा.....एक्ट.....

धारा में अधिकतम सजा.....

(iii) धारा.....एक्ट.....

धारा में अधिकतम सजा.....

(अतिरिक्त पंक्तियां आवश्यकतानुसार जोड़े)

6. क्या अनुसंधानाधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करना चाहता है (हाँ/नहीं).....

(i) यदि बिंदु सं. 6 का जवाब 'नहीं' है, तो क्या FIR दर्ज होने के 14 दिवस के भीतर आरोपी को 41 -क द. प्र.स. का नोटिस दें दिया है (हाँ/नहीं).....

क- यदि हाँ, तो नोटिस तामील की दिनांक

ख- यदि नहीं तो देरी का स्पष्ट कारण

ग- क्या आरोपी के द्वारा नोटिस के संबंध में दिये गये प्रत्युत्तर से अन्वेषण अधिकारी संतुष्ट है? यदि नहीं है तो स्पष्ट कारण अंकित करें।

(ii) यदि बिंदु सं.6 का जवाब 'हाँ' है, तो धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के बिंदुओं की सूचना निम्नानुसार पूर्ण करें:-

क्र सं	धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के अनुसार बिन्दु जिस कारण गिरफ्तारी आवश्यक है	धारा 41(1)(b)(ii) CrPC के बिन्दु में अंकित परिस्थितियों को प्रमाणित करने वाली साक्ष्य, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का विवरण
1.	आरोपी को कोई अपराध भविष्य में कारित करने से रोकने के लिए	
2.	अनुसंधान उचित रूप से पूर्ण करने के लिए	
3.	आरोपी को अपराध के साक्ष्य नष्ट करने या किसी अन्य तरीके से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए	
4.	आरोपी को किसी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से अवगत हो को उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने जिससे वह न्यायालय या पुलिस को ऐसे तथ्य नहीं बताए, से रोकने के लिए	
5.	गिरफ्तार किए बिना आरोपी की उपस्थिति निश्चित दिन/समय पर न्यायालय में सुनिश्चित नहीं की जा सकती	

नोट:- उक्त चार्ट में तृतीय कॉलम में साक्ष्य का विवरण बिन्दुवार अंकित करें व वर्णित साक्ष्य से संबंधित केस डायरी सं. का भी उल्लेख करें।

7. यदि आरोपी की गिरफ्तारी धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देने के पश्चात आरोपी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने के कारण की गई है (35(3) बीएनएसएस)तो इस बाबत यहां स्पष्ट उल्लेख करें।

(नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) बीएनएसएस)

प्रेषित :-

आरोपी का नाम, पिता/पति का नाम,

पता

FIR No. धारा दर्ज दिनांक पुलिस थाना जिला

..... का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में आप आरोपी हैं तथा आपसे अनुसंधान करने के लिए आपको हाजिर होना आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं दिनांक समय को स्थान पर उपस्थित हों।

इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।

नोटिस जारी दिनांक

प्रेषित क्र. सं.

हस्ताक्षर
(नाम अनुसंधानाधिकारी)
थाना/कार्यालय की सील

नोट :- उक्त नोटिस की अनुपालना में असफल होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस थाना/कार्यालयजिलाराजस्थान

उपस्थिति प्रमाण-पत्र

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याधारादर्ज दिनांकपुलिस थाना
जिला..... राजस्थान का अनुसंधान निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकरण में श्री
(आरोपी का नाम) पिता/पति का नाम पता मोबाईल नम्बर
 .. को धारा 35(3) बीएनएसएस . का नोटिस क्रमांक दिनांक को जारी किया गया था,
 जिसकी पालना में आज दिनांक समय स्थान पर उक्त व्यक्ति उपस्थित हुए
 हैं। इनसे प्रकरण में अन्वेषण किया गया एवं बाद अनुसंधान सकुशल रवाना किया गया।

दिनांक :

हस्ताक्षर (उपस्थित आरोपी व्यक्ति)

हस्ताक्षर

नाम अनुसंधान अधिकारी
 थाना/कार्यालय की सील

तलाश एवं जब्ती- तलाशी अभियुक्त एवं स्थान की ली जाती है। जब अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है तब उसके शरीर की तलाशी ली जाती है। इसे पुलिस की भाषा में 'जामा तलाशी' कहा जाता है। ऐसी तलाशी पर अपराध से सम्बन्धित वस्तुएँ पाए जाने पर उन्हें वजह सबूत में जब्त कर लिया जाता है तथा अभियुक्त की व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे घड़ी, चैन, रुपये आदि को या तो अभियुक्त को ही बाद में लौटा दिया जाता है या उनको सुरक्षित रख दिया जाता है।

किसी स्थान की तलाशी तब ली जाती है जब उसमें अभियुक्त या अपराध से सम्बन्धित वस्तुओं के पाये जाने की सम्भावना लगती है। ऐसी तलाशी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा अन्वेषण कर रहे अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा ली जा सकती है। तलाशी के लिए पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व तलाशी का काम नहीं किया जाता है। तलाशी के समय उस व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति दिया जाना अपेक्षित है जिसके स्थान की तलाशी ली जा रही है। वहाँ पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपस्थित रखना भी आवश्यक माना गया है।

तलाशी लेने वाले अधिकारी को तलाशी से पूर्व वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को अपनी तलाशी देनी चाहिए ताकि भविष्य में तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी पर शंका नहीं की जा सके।

तलाशी के समय जो भी वस्तुएँ पाई जाती हैं उनकी सूचियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। उन पर उपस्थित साक्षियों के हस्ताक्षर ले लिया जाना भी उचित है। ऐसी सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसके स्थान की तलाशी ली गई है।

तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **103,185,186 BNSS {100, 165 एवं 166 CRPC}** में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

जब किसी स्थान की तलाशी ली जाती है और वहाँ कोई आपत्तिजनक सामग्री अथवा अपराध से जुड़ी सामग्री पाई जाती है तो सामान्यतया उसे वहीं जब्त कर 'जब्ती का मेमो' तैयार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन 'खेतसिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1450) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिरिधारित किया गया है कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब्ती का मेमो कार्यालय में तैयार किया जाता है और सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान अभियुक्त उपस्थित रहता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यालय में मेमो तैयार करने से अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अनुसंधान अधिकारी को किसी भी वस्तु की जब्ती बनाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब्ती की फर्द उसी स्थान पर बने जहाँ से वह वस्तु जब्त की गई है तथा उस स्थान के दो मौतबिरों के समक्ष यह कार्यवाही करनी चाहिए। जब्त की गई वस्तु को उसी स्थान पर सील कर उनकी मार्किंग, सीलिंग, पैकिंग इत्यादि उसी स्थान पर कर लेनी चाहिए।

कार्यवाही-शिनाख्ती

कार्यवाही शिनाख्ती के संबंध में धारा **54 BNSS {54(A) CRPC}** में विधिक प्रावधान दिए गए हैं। कार्यवाही-शिनाख्ती को पहचान-परेड भी कहा जाता है यह अभियुक्त एवं सम्पत्ति दोनों की, की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त, व्यक्तियों एवं सम्पत्ति अथवा वस्तुओं को सुनिश्चित करना

होता है। इसकी आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ अभियुक्त अनाम (अज्ञात) व्यक्ति होता है और उसे शकल से ही पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार सम्पत्ति अथवा वस्तुओं की शिनाख्ती की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ वह विनिर्दिष्ट नहीं होकर सामान्य होती है और हर जगह उपलब्ध हो सकती है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि आहत व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की पहचान से इन्कार किया है तो शिनाख्ती परेड़ में उसके द्वारा अभियुक्त को पहचाने जाने का कोई महत्व नहीं रहा जाता है। (सुरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 260)

कार्यवाही-शिनाख्ती का संचालन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। लेकिन पशुओं, वस्तुओं आदि की शिनाख्ती-कार्यवाही सरपंच, तहसीलदार आदि द्वारा संचालित की जा सकती है। अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्ती का संचालन सामान्यतः कारागृह में किया जाता है। सम्पत्ति अथवा वस्तुओं की कार्यवाही शिनाख्ती मजिस्ट्रेट के अवकाशागार (चेम्बर), पंचायत भवन, तहसीलदार के कार्यालय आदि में सम्पन्न की जा सकती है।

कार्यवाही-शिनाख्ती में अभियुक्त के साथ उससे मिलते-जुलते पाँच-सात व्यक्ति खड़े किए जाते हैं और उनमें से अभियुक्त को पहचानने के लिए साक्षी से कहा जाता है। इसी प्रकार अपराध से सम्बन्धित सम्पत्ति अथवा वस्तु के साथ भी उससे मिलती-जुलती पाँच-सात वस्तुएँ मिलाई जाती हैं और साक्षी को उनमें से अपराध वाली सम्पत्ति को पहचानने के लिए कहा जाता है। मिलाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा मिलाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या सुनिश्चित नहीं है। यह पाँच-सात से कुछ कम भी हो सकती है तो कुछ ज्यादा भी।

‘पंचदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार’ (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 526) के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युकालीन घोषणा के कथन लेखबद्ध किए गए थे, लेकिन ऐसे कथन लेखबद्ध करने पूर्व कथन करने वाले व्यक्ति की सक्षमता के बारे में चिकित्सक का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। मजिस्ट्रेट ने स्वयं ने प्रति-परीक्षा में कहा कि कथन करने वाला व्यक्ति कथन करने के लिए सक्षम था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे उचित नहीं माना। उच्चतम न्यायालय ने ‘मृत्युकालीन घोषणा के कथनों’ को सारभूत साक्ष्य मानने से इन्कार कर दिया। आशय यह है कि ऐसे मामलों में कथन करने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य के बारे में चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के तहत यदि गिरफ्तार व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान किया जा रहा है जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में की जाएगी तथा ऐसे कदम उठाये जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने में ऐसी रीति का उपयोग करे जो उसके लिए सुविधाजनक हो।

यदि गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो ऐसी पहचान प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी।

संस्वीकृति

संस्वीकृति के अभिप्राय है—अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से अपराध को स्वीकार किया जाना। कई बार अभियुक्त प्रायश्चित्त-स्वरूप अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तब अन्वेषण एवं विचारण दोनों ही आसान हो जाते हैं। ऐसी स्वीकारोक्ति धारा **183 BNSS {164 CRPC}** एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा **22(1) BSA {24 IEA}** के अन्तर्गत लेखबद्ध की जाती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार संस्वीकृति—

- (1) अभियुक्त द्वारा की जानी चाहिए;
- (2) मजिस्ट्रेट के समक्ष की जानी चाहिए;
- (3) स्वेच्छापूर्वक की जानी चाहिए;
- (4) अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। (पलविन्दर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 354)

संस्वीकृति का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। यह भय, प्रलोभन, दबाव आदि के अन्तर्गत नहीं करवाई जानी चाहिए। संस्वीकृति पुलिस अधिकारी से नहीं की जा सकती। यह मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जा सकती है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होती है।

अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति पर तब तक दोषसिद्धि का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि वह स्वेच्छा से की गई। **‘शिवप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक’ (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 980)** के मामले में यही कहा गया है।

टाडा के अन्तर्गत अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त की संस्वीकृति के कथन लेखबद्ध किए गए। इन कथनों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वे पहले से टाईप किए हुए थे, केवल खाली स्थानों की पूर्ति ही अभियुक्त के समक्ष की गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया क्योंकि—

- (1) यह तथ्य साबित नहीं किया जा सका;
- (2) संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई, यह तथ्य साबित हो गया; एवं
- (3) अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संस्वीकृति के कथनों की पुष्टि हो रही थी।

‘स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम भरत छगनलाल राधानी’ (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 409)

जब मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति लेखबद्ध की जाती है तब पुलिस अधिकारी को वहाँ उपस्थित नहीं रहना चाहिए। संस्वीकृति लेखबद्ध करते समय मजिस्ट्रेट को भी धारा 183 BNSS {164 CRPC} के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

धारा 183 BNSS {164 CRPC} के अन्तर्गत साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध किए जाते हैं। प्रचलित भाषा में इनको ‘धारा 183 के बयान’ 183 BNSS {164 CRPC} कहा जाता है।

चिकित्सकीय परीक्षण

• मारपीट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण, विषपान, मदोन्मत्तता आदि के मामलों में चिकित्सा अधिकारी पीड़ित अथवा अपकृत व्यक्ति की जाँच कर अपनी रिपोर्ट देता है। मारपीट के मामलों में चिकित्सा अधिकारी चोटों की संख्या, प्रकृति, अवधि आदि के बारे में अपनी राय देता है। ऐसी रिपोर्ट को एम.एल.सी. (मेडिको लीगल सर्टिफिकेट) कहा जाता है।

• धारा 51 BNSS {53(A) CRPC} अनुसार जब किसी व्यक्ति को ऐसी प्रकृति कि अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसकी शारीरिक परीक्षा, उस अपराध के बारे में कोई साक्ष्य प्रदान करेगी, तो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक परीक्षा करवा सकेगा, जो साक्ष्य प्रदान कर सके तथा अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है तथा चिकित्सा व्यवसायी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा करे तथा आवश्यक हो तो उतना बल प्रयोग करे जितना आवश्यक हो।

• यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला है तो उसकी शारीरिक परीक्षा किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

• चिकित्सा परीक्षा में वे सब परिक्षाएँ शामिल हैं जो आवश्यक हैं।

• धारा 52 BNSS {53(A) CRPC} के अनुसार जब किसी व्यक्ति को बलात्संग करने या बलात्संग का प्रयत्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और ऐसा विश्वास होता है कि ऐसे व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा से ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त होगी तो उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा जहां अपराध हुआ है उसके सोलह किलोमीटर की परिधि में किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी या सोलह किलोमीटर में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में अन्य किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से शारीरिक परीक्षा करवा सकेगा तथा ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक एवं उचित बल प्रयोग कर सकेगा जितना इस प्रयोजन के लिए उचित एवं आवश्यक है।

हत्या आत्महत्या आदि के मामलों में “पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है जिसमें मुख्य रूप से मृत्यु के कारणों का उल्लेख होता है।”

धारा 184 BNSS {164(A) CRPC} (1) जब बलात्संग या बलात्संग किए जाने के प्रयास का अपराध कारित किया जाता है तो पीड़िता का रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी से उस महिला की या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से इत्तला प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा।

(2) जब रजिस्टर्ड चिकित्सा के पास ऐसी महिला भेजी जाती है तो वह बिना किसी विलम्ब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा तथा चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अग्रलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे—

- उस महिला का व उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे लाया है।
- महिला की आयु
- डीएनए प्रोफाइल के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
- महिला के शरीर पर आई किसी चोट आदि का विवरण

- महिला की साधारण मानसिक दशा

- अन्य कोई विवरण जो आवश्यक हो।

(3) रिपोर्ट में वे कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनसे कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

(4) यह भी अभिलिखित किया जाएगा कि उस महिला की या उसकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(5) परीक्षा प्रारम्भ करने व समाप्त करने का समय भी अंकित किया जाएगा।

(6) चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अपनी रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करेगा।

अतः जब भी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई मामला आता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से अपकृत अथवा पीड़ित पक्षकार का चिकित्सीय परीक्षण करवा कर उससे रिपोर्ट प्राप्त करे।

रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण—जब अन्वेषण पूरा हो जाता है तब अन्वेषण के निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

यह रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है—

- (1) आरोप पत्र (चालान अथवा चार्जशीट); एवं

- (2) अन्तिम रिपोर्ट।

आरोप पत्र तब पेश किया जाता है जब अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनना पाया जाता है, जबकि अन्तिम रिपोर्ट तब प्रस्तुत की जाती है जब अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनना पाया जाता है। ऐसी रिपोर्ट भी दो प्रकार की हो सकती है—

- (1) माल या मुलजिम के नहीं मिलने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

- (2) मामला नहीं बनना पाया जाने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

पुलिस की भाषा में इनको क्रमशः 'अदम पत्ता माल व मुलजिम' तथा 'अदम वकुआ' में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कहा जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान धारा 169 **189 BNSS {169 CRPC}**, धारा 190 **BNSS {170 CRPC}** एवं 193 **BNSS {173 CRPC}** में किया जाता है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए। इसे अच्छी तरह जाँच करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि उसमें कोई कभी नहीं रह जाए। इसे न्यायालय में पेश करने से पूर्व विधि-विशेषज्ञ (लोक अभियोजक/सहायक अभियोजक) को बता देना चाहिए।

रिपोर्ट के साथ निम्नांकित सामग्री भेजी जानी अपेक्षित है—

- (1) प्रथम सूचना रिपोर्ट;

- (2) घटना-स्थल का मानचित्र (नक्शा मौका एवं नक्शा नजरी);

- (3) साक्षियों के कथन;

- (4) धारा 183 **BNSS {164 CRPC}** के बयान (यदि कोई हो तो);

- (5) फर्द शिनाख्ती (यदि कोई हो तो);

- (6) मृत्युकालीन घोषणा के कथन (बयान नजई—यदि कोई हो तो);

- (7) चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट (यदि कोई हो तो);

- (8) रासायनिक परीक्षण एवं जाँच रिपोर्ट (यदि कोई हो तो);

- (9) फर्द बरामदगी;

- (10) फर्द जब्ती;

- (11) फर्द सूचना (साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) **BSA {27 IEA}** के अन्तर्गत);

- (12) फर्द गिरफ्तारी;

- (13) जमानत—मुचलके;

- (14) फर्द सुपुर्दगी;

- (15) जब्तशुदा सम्पत्ति एवं वस्तुएँ

- (16) दुर्घटना के मामलों में वाहनों का मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट आदि।

विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

- हत्या एवं मानव वध के प्रकरणों का अनुसंधान—

- धारा 100 **BNS {299 IPC}** से 80 **BNS {304 (B) IPC}** की जानकारी।

- साक्ष्य संकलन की कार्यवाही।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही।

भारतीय न्याय संहिता धारा 100 से 106 तथा 80

भारतीय दंड संहिता धारा 100 BNS {299 IPC} —आपराधिक मानव वध—जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1—वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित करता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकੀ जा सकती थी।

स्पष्टीकरण 3—मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

उदाहरण—क यह जानता है कि **य** एक झाड़ी के पीछे है **ख** यह नहीं जानता। **य** की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उससे **य** की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, **ख** को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। **ख** गोली चलाता है और **य** को मार डालता है। यहां पर हो सकता है कि **ख** किसी भी अपराध का दोषी न हो, किन्तु **क** ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है।

धारा 101 BNS {300 IPC} —हत्या— एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है,

पहला—यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है जिसको वह उपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी-पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

उदाहरण—(क) **य** को मार डालने के आशय से **क** उस पर गोली चलाता है परिणास्वरूप **य** मर जाता है। **क** हत्या करता है।

(ख) **क** किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। **क** हत्या का दोषी है।

अपवाद 1 —आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर व अचानक प्रकोपन से वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करें या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भूल या दुर्घटना, कारित करें।

किन्तु उपरोक्त अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अधीन है:—

पहला—यह है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या उपहानि करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इस्तिन न हो या स्वेच्छा से प्रकोपित न हो। **दूसरा—**यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात से न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

तीसरा—यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

उदाहरण—

(क) **य** द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आदेश के असर में **म** का, जो **य** का शिशु है, **क** साशय वध करता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) **य** की नाक खींचने का प्रयत्न **क** करता है। **य** प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए **क** को पकड़ लेता है। परिणास्वरूप **क** को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह **य** का वध कर देता है। यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

अपवाद 2 —आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावनापूर्ण प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा दी हुई उसे शक्ति से अधिक हानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। इसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

उदाहरण— **क** को चाबुक मारने का प्रयत्न **य** करता है किन्तु इस प्रकार नहीं कि **क** को धोर उपहति कारित हो। **क** एक पिस्तोल निकाल लेता है। **य** हमले को चालू रखता है। **क** सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से **य** का वध कर देता है। **क** ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की मदद देते हुए जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाये और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधि पूर्ण ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावनापूर्ण विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित हो गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करें।

अपवाद 4 :— आपराधिक मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्णचिन्तन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया है।

अपवाद 5 :— आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्पत्ति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए।

उदाहरण— **य** को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसा कर **क** उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहां, कम उम्र होने के कारण **य** अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए **क** ने हत्या का दुष्प्रेरण किया।

धारा 102 BNS {301 IPC} जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

धारा 103(1) BNS {302 IPC} —हत्या के लिए दण्ड —जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा।

धारा 104 BNS {303 IPC} आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड। जो भी कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, तो उसे मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर—जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

धारा 105 BNS {304 IPC} —हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड— जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए,

तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डित होगा।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 106 BNS {304(A) IPC} –उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना—जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 80 BNS {304(B) IPC} –दहेज मृत्यु— (1) जहां विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की किसी मांग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की या उसे तंग किया था तो इसे दहेज मृत्यु कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार मृत्यु कारित करने वाला समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण— इस उप धारा के प्रयोजन के लिए दहेज से अभिप्राय यही है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में यथा परिभाषित है। (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह उतनी अवधि तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो 7 वर्ष से कम अवधि का नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन कारावास तक का भी हो सकेगा।

अनुसंधान धारा 103(1) BNS {302 IPC} की पूर्ण पत्रावली तैयार करना।

साक्ष्य चार्ट

काल्पनिक प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—श्री महेश कुमार के पर्चा बयान के आधार पर एक प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान द्वारा परिवादी के घर में घुसकर हमला करने तथा चन्द्रभान द्वारा चलाई गई गोली से उसके भाई रमेश कुमार की मृत्यु होने तथा उदयभान द्वारा सरिये से हमला करने पर उसके सिर में गंभीर चोट आने पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 103(1), 109, 333, 115(2), 117(2), 3(5) BNS {302, 307, 452, 323, 325, 34 IPC} तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में एकत्रित की गई साक्ष्य का साक्ष्य चार्ट इस प्रकार है

क्रम सं.	साक्ष्य जो प्रदर्शित की जानी है	साक्षी जिसके द्वारा साक्ष्य प्रदर्शित की जाएगी	अभियुक्त जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रदर्शित की जाएगी	साक्ष्य की ग्राह्यता
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	1. श्री रामलाल एसएसआई 2. श्री महावीर सिंह थानाधिकारी	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम {4 BSA} के अन्तर्गत
2	पर्चा बयान परिवादी	1. श्री रामलाल एसएसआई 2. श्री महेश कुमार	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
3	फर्द पंचायत नामा लाश	1. श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2. श्री कैलाश चन्द मृतक के पिता 3. पांचों गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
4	फर्द सुपर्दगी लाश	1. श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2. श्री कैलाश चन्द मृतक के पिता	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

5	फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री सागरमल फोटोग्राफर 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम {7 BSA}के अन्तर्गत
6	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र	1.श्री सागरमल फोटोग्राफर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम {63 BSA}के अन्तर्गत
7	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री महेश कुमार परिवादी 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम {5 BSA}के अन्तर्गत
8	फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.श्री महेश कुमार परिवादी 3.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
9	बयान गवाहान	1.संबंधित गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनो के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त उदयभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
12	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम {23(2) BSA} के अन्तर्गत
13	फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त उदयभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
14	फर्द बरामदगी रिवाल्वर बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
15	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
16	फर्द बरामदगी सरिया बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
17	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका	1.श्री महावीर सिंह अनुसंधान अधिकारी 2.दोनो गवाहान	अभियुक्त उदयभान के विरुद्ध	धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

18	रिवाल्वर की परीक्षण रिपोर्ट	1. श्री रेवडमल, जिला आरमौर	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम {39(1) BSA} के अन्तर्गत
19	परिवादी महेश कुमार की मेडीकल रिपोर्ट	1. डॉ. सुमित गुप्ता, मेडीकल आफिसर, एसएमएस, जयपुर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
20	मृतक रमेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	1. डॉ. सुमित गुप्ता, मेडीकल आफिसर, एसएमएस, जयपुर	अभियुक्त चन्द्रभान तथा उदयभान दोनों के विरुद्ध	धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत
21	रिवाल्वर के संबंध में जिला कलेक्टर की अभियोजन स्वीकृति	1. श्री गौरव, जिला कलेक्टर	अभियुक्त चन्द्रभान के विरुद्ध	धारा 39 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत

किशन भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात दाण्डिक अपील संख्या 1485/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की दोषमुक्ति के संबंध में अनुसंधान अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में दिए गए निर्देश

20. Every acquittal should be understood as a failure of the justice delivery system, in serving the cause of justice. Likewise, every acquittal should ordinarily lead to the inference, that an innocent person was wrongfully prosecuted. It is therefore, essential that every State should put in place a procedural mechanism, which would ensure that the cause of justice is served, which would simultaneously ensure the safeguard of interest of those who are innocent. In furtherance of the above purpose, it is considered essential to direct the Home Department of every State, to examine all orders of acquittal and to record reasons for the failure of each prosecution case. A standing committee of senior officers of the police and prosecution departments should be vested with aforesaid responsibility. The consideration at the hands of the above committee, should be utilized for crystalizing mistakes committed during investigation, and/or prosecution, or both. The Home Department of every State Government will incorporate in its existing training programmes for junior investigation/prosecution officials course- content drawn from the above consideration. The same should also constitute course-content of refresher training programmes, for senior investigating/prosecuting officials. The above responsibility for preparing training programmes for officials, should be vested in the same committee of senior officers referred to above. Judgments like the one in hand (depicting more than 10 glaring lapses in the investigation/prosecution of the case), and similar other judgments, may also be added to the training programmes. The course content will be reviewed by the above committee annually, on the basis of fresh inputs, including emerging scientific tools of investigation, judgments of Courts, and on the basis of experiences gained by the standing committee while examining failures, in unsuccessful prosecution of cases. We further direct, that the above training programme be put in place within 6 months. This would ensure that those persons who handle sensitive matters concerning investigation/prosecution are fully trained to handle the same. Thereupon, if any lapses are committed by them, they

would not be able to feign innocence, when they are made liable to suffer departmental action, for their lapses.

21. On the culmination of a criminal case in acquittal, the concerned investigating/prosecuting official(s) responsible for such acquittal must necessarily be identified. A finding needs to be recorded in each case, whether the lapse was innocent or blameworthy. Each erring officer must suffer the consequences of his lapse, by appropriate departmental action, whenever called for. Taking into consideration the seriousness of the matter, the concerned official may be withdrawn from investigative responsibilities, permanently or temporarily, depending purely on his culpability. We also feel compelled to require the adoption of some indispensable measures, which may reduce the malady suffered by parties on both sides of criminal litigation. Accordingly we direct, the Home Department of every State Government, to formulate a procedure for taking action against all erring investigating/prosecuting officials/officers. All such erring officials/officers identified, as responsible for failure of a prosecution case, on account of sheer negligence or because of culpable lapses, must suffer departmental action. The above mechanism formulated would infuse seriousness in the performance of investigating and prosecuting duties, and would ensure that investigation and prosecution are purposeful and decisive. The instant direction shall also be given effect to within 6 months.

22. A copy of the instant judgment shall be transmitted by the Registry of this Court, to the Home Secretaries of all State Governments and Union Territories, within one week. All the concerned Home Secretaries shall ensure compliance of the directions recorded above. The records of consideration, in compliance with the above direction, shall be maintained.

अनुसंधान के दौरान बनाई जाने वाली आवश्यक फर्दे व प्रपत्र

पर्चा बयान

पर्चा बयान श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर, बसिलसिले जाँच आमदा सूचना रपट संख्यारोजनामचा आम दिनांक.....
...समय पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर शहर (उत्तर) कैम्प वार्ड नं. 12 सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

श्री महेश कुमार ने दरयाफ्त पर बयान किया कि मैं नेहरू नगर का रहने वाला हूँ। मैं, मेरे दो भाई तथा हमारा पूरा परिवार म.न. 206 नेहरू नगर में रहते हैं। आज दिनांक 28.01.2020 को प्रातः लगभग 11.00 बजे की बात है, मैं दुकान पर जा रहा था तभी चन्द्रभान सिंह, मानसिंह, राजेश सिंह व तीन चार अन्य व्यक्ति एक बोलेरो नं. आर.जे.14 सी. 4565 में बैठकर आये तथा एकदम सभी लोग दौड़ते हुये हमारे मकान में घुस गये। इन लोगों से हमारा जमीन के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है। चन्द्रभान ने घर में घुसते ही मेरे बड़े भाई रमेश को आवाज देकर कहा कि रमेश कहां है आज, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। यह कहते हुये चन्द्रभान ने अपनी पेन्ट से रिवाल्वर निकाल ली। मैं मेरा बड़ा भाई रमेश, छोटा भाई दिनेश तथा घर की महीलाएं सभी हमारे मकान के हॉल में थे। ये सभी लोग भी वहीं आ गये। चन्द्रभान ने रिवाल्वर तान रखी थी तथा मानसिंह व राजेश सिंह के हाथ में फरमानुमा हथियार थे तथा 3-4 अन्य व्यक्ति जिनको मैं नहीं जानता उनके हाथ में भी लकड़ियां थी। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही चन्द्रभान ने रिवाल्वर से फायर कर दिया। गोली मेरे बड़े भाई रमेश के कंधे पर लगी, चन्द्रभान ने दूसरा फायर किया जो रमेश भाईसाहब के सीने में लगी। हम उनको संभालने दौड़े तो सभी लोगों ने हमारे उपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मानसिंह व राजेश सिंह ने मेरे व मेरे छोटे भाई दिनेश के कई वार किये जिससे हमारे कई जगह चोटें आईं। इस हमले से घर में कोहराम मच गया। हम मदद के लिये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसी दौरान चन्द्रभान, मानसिंह, राजेश सिंह व उनके साथी भाग गये तथा

अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गये। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने रमेश भाईसाहब को संभाला तो उनकी सांसा नहीं चल रही थी। छोटा भाई दिनेश भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। हमारे चिल्लाने पर हमारे पड़ोसी रामलाल, बाबूलाल जी, रामप्रसाद जी इत्यादी दौड़ कर आये, उन्होंने हमें हमारे अन्य पड़ोसियों की सहायता से अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल लाते लाते मेरे बड़े भाई रमेश जी की मृत्यु हो गई तथा छोटा भाई दिनेश आई.सी.यू में भर्ती है तथा बेहोश है। चन्द्रभान, मानसिंह, राजेश सिंह व उसके साथियों ने हमारे घर में घुस कर जानलेवा हमला किया जिससे मेरे बड़े भाई रमेश की मृत्यु हो गई तथा मेरे तथा दिनेश के चोंटे आई हैं। चन्द्रभान, राजेश व मानसिंह के साथ जो 3-4 अन्य व्यक्ति थे उनको मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ।

उपरोक्त पर्चा बयान श्री महेश कुमार के कहेनुसार शब्दबशब्द लिखे जाकर श्री महेश कुमार को पढ़कर सुनाये गये। सुनसमझ सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

दिनांक, समय.....पी.एम.

कार्यवाही पुलिस:- उपरोक्त पर्चा बयान श्री महेश कुमार के कहे अनुसार शब्द ब शब्द लेखबद्ध किया गया। श्री महेश कुमार ने बैड नं. 8 वार्ड नं. 12, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भर्ती है। श्री महेश कुमार की चोटों का नजरी निरीक्षण किया गया तो सिर में दाहिनी तरफ खून आलूदा चोट आई हुई हैं तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है, जिसमें से खून रिस रहा है। दाहिने हाथ की हथेली पर भी खून आलूदा चोट है तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है। पीठ पर तीन जगह नीलगू निशान है। मजरुब का भाई दिनेश आई.सी.यू. में भर्ती है तथा बड़े भाई रमेश की मृत्यु हो चुकी है जिसकी लाश चीरघर में रखी हुई है। मजरुब श्री महेश कुमार व दिनेश कुमार का मेडीकल मुआयना करवाया जावेगा तथा रमेश का पोस्टमार्टम करवाया जावेगा।

श्री महेश कुमार के पर्चा बयान के आधार पर मामला अपराध धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149,452,323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाया जाता है। अतः मूल पर्चा बयान हमराही जाप्ता में से श्री भगवान सिंह कानि. नं. 363 को देकर नम्बर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु थाने पर रवाना किया गया। मन् एस.एच.ओ. मशरूफ कार्यवाही हुआ।

हस्ताक्षर महेश कुमार

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिलानगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
पुलिस थाना शामहिला नगर जिला जयपुर
दिनांक समय.....

कार्यवाही पुलिस :- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्री भगवान सिंह कानि. 363 ने उपस्थित थाना होकर श्रीमान थानाधिकारी महोदय कि निर्देशों के साथ प्रस्तुत की है। रिपोर्ट पर मु. नं. 110/20 अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में कायम कर मूल एफआईआर अनुसंधान हेतु श्री भगवान सिंह कानि. 363 को भेजकर श्री अनंत कुमार थानाधिकारी थाना शामहिलानगर को प्रेषित की जा रही है। प्रतियां एफआईआर एवं एसआर नियमानुसार जारी की गई।

हस्ताक्षर भगवान सिंह कानि. 363

प्रभारी अधिकारी
पुलिस थाना शामहिलानगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

तहरीर वास्ते मेडिकल मुआयना

ओर से,
थानाधिकारी

पुलिस थाना शामहिलानगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान चिकित्साधिकारी महोदय,
सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/20 अर्न्तगत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट

विषय:—मजरुबान की चोटों का मेडीकल मुआयना करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} भारतीय दंड संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट में निम्नलिखित मजरुबान के आई चोटों का मेडीकल मुआयना कर नतीजे से अवगत करवाने की कृपा करें।

1. श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर शहर हाल जैर इलाज भर्ती बैड नं. 8 वार्ड नं. 12, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

चोटें:—A. सिर पर दाहिनी तरफ ललाट के पास खून आलूदा चोट है।

B. दाहिने हाथ की हथेली पर भी खून आलूदा चोट है तथा सफेद पट्टी बंधी हुई है

C. पीठ पर तीन जगह नीलगू चोटों के निशान हैं।

पहचान चिन्ह:— बांये हाथ पर महेश नाम गुदा हुआ है।

2. दिनेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 25 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, हाल जैर इलाज भर्ती बैड नं. 8 आईसीयू, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

चोटें:—A. सिर पर पीछे की ओर खून आलूदा चोट है तथा सफेद पट्टी बन्धी हुई है।

B. चेहरे पर बाये गाल पर खून आलूदा चोट है तथा पट्टी बन्धी हुई है।

C. मजरुब दिनेश कुमार अचेतन की स्थिति में है

पहचान चिन्ह:— ललाट पर दाहिनी आँख के ऊपर पुरानी चोट का निशान है।

थानाधिकारी,

पुलिस थाना शामहिलानगर,
जयपुर शहर (उत्तर)
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

तहरीर वास्ते मेडिकल बोर्ड गठन

ओर से,	सेवामें,
थानाधिकारी	श्रीमान अधीक्षक महोदय,
पुलिस थाना शामहिलानगर,	सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/20 अर्न्तगत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना शामहिला नगर

विषय:—मृतक रमेश की लाश का पोस्टमार्टम कराने हेतु मेडीकल बोर्ड गठित करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्राह्मण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश का पोस्टमार्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड गठित कर अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

प्रतिलिपि:— श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, जयपुर शहर (उत्तर) जयपुर।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्राह्मण, उम्र 32 साल निवासी— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम चौरधर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर दिनांकसमय.....

रुबरू पंचान:—

1. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।
3. ग्यारसीलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति खटीक, उम्र 34 साल, निवासी म.नं. 103, नेहरू नगर, जयपुर।
4. मोहन सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति माली, उम्र 29 साल, निवासी म.नं. 96, नेहरू नगर, जयपुर
5. नानूराम पुत्र छाजू लाल जाति नाई, उम्र 25 साल, निवासी म.नं. 86, नेहरू नगर, जयपुर।

1. चिकित्साधिकारी द्वारा घोषणा:—मजरुब रमेश कुमार के शरीर का चिकित्साधिकारी महोदय से निरीक्षण करवाया गया।

चिकित्साधिकारी महोदय ने बाद निरीक्षण रमेश कुमार को मृत घोषित किया।

2. शिनाख्तगी लाश:— उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री जमना लाल पुत्र श्री छगनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 57 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर ने मृतक को अपने पुत्र रमेश के रूप में शिनाख्त किया।

3. लाश की स्थिति:—मृतक रमेश कुमार की लाश का नजरी निरीक्षण किया गया। लाश सवाई मानसिंह अस्पताल के चौरधर पोस्टमार्टम टेबल पर रखी हुई है। सिर दक्षिण दिशा में एवं पैर उत्तर दिशा में है। लाश चित अवस्था में है। गर्दन दाहिनी तरफ झुकी हुई है। आँखे आधी खुली हुई है। सिर पर काले घुंघराले बाल तथा चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछ है। बदन पर कमर के नीचे के हिस्से पर बादामी रंग की पेन्ट जिस पर

जगह-जगह पर खून के धब्बे लगे हुए हैं पेन्ट के नीचे नीले रंग की अण्डरवियर पहने हुए हैं जिस पर "डॉलर" का लेबल लगा हुआ है। उपरी हिस्से पर छाती व उसके आस-पास सफेद रंग की पट्टीया बन्धी हुई है।

4. चोट आदि की स्थिति:—मृतक रमेश कुमार की लाश पर आये जख्मों एवं चोटों का निरीक्षण किया गया तो दाहिने कंधे के पास सफेद पट्टी लगी हुई है जिसे हटाकर देखा गया तो लगभग चार इन्च व्यास में छः इन्च गहरा घाव बना हुआ है तथा काले रंग का रक्त अन्दर जमा है जो शरीर को हिलाने से रिसकर बाहर आ रहा है। घाव के बाहरी हिस्से पर चमड़ी जलने के निशान हैं। इसी तरह छाती में बाईं तरफ भी सफेद पट्टी लगी हुई है जिसे हटाया गया तो गहरा घाव बना हुआ है जिसमें चिकित्सा हेतु रुई भरी हुई है रुई हटाकर देखा गया तो लगभग दस इन्च गहरा एवं पाँच इन्च व्यास का घाव बना हुआ है। काले रंग का रक्त बाहर आ रहा है। घाव के बाहरी हिस्से चमड़ी जलने के निशान हैं। लाश को हिला डुला कर देखा गया तो उपरोक्त चोटों के अलावा अन्य कोई जाहिराना चोट नजर नहीं आ रही है।

5. राय पंचानः— मृतक रमेश कुमार की लाश का सभी पंचान की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। सभी पंचान को सोचने समझने का समय दिया गया। सभी पंचान ने आपस में विचार-विमर्श किया। सभी ने मृतक की मृत्यु शरीर पर आई चोटों से होना संभावित बताया है।

6. राय अनुसंधान अधिकारी:—मन अनुसंधान अधिकारी पंचान द्वारा दी गई राय से सहमत हूँ। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए लाश का पोस्ट मार्टम करवाना उचित समझता हूँ। मृतक रमेश कुमार की लाश का मेडीकल बोर्ड से पोस्ट मार्टम करवाया जावेगा।

फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा नियमानुसार तैयार कर उपस्थित सभी पंचान व मृतक के पिता को पढ़कर सुनाया गया। सभी ने सुन सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Sd जमना लाल, रामलाल, बाबूलाल, ग्यारसीलाल, मोहन सिंह, नानूराम

थानाधिकारी,

पुलिस थाना शामहिला नगर

कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

तहरीर वास्ते पोस्ट मार्टम मृतक

ओर से,	सेवामें,
थानाधिकारी	श्रीमान अध्यक्ष महोदय मेडिकल बोर्ड,
पुलिस थाना शामहिलानगर,	सवाई मानसिंह अस्पताल
जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/2020 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:—मृतक रमेश का पोस्टमार्टम करने तथा नतीजे से अवगत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट में रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रह्मण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश का पोस्टमार्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन आपकी अध्यक्षता में श्रीमान अधीक्षक महोदय, एस.एस.एस. अस्पताल जयपुर द्वारा किया गया है। अतः निवेदन है कि बोर्ड द्वारा मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कर नतीजे से अवगत कराने की कृपा करें। लाश का पंचायतमाना तैयार किया जा चुका है। लाश चीरघर (पोस्टमार्टम रूम) में रखी हुई है।

नोट:—1.मृतक की मृत्यु गोली लगने से बताया गया है। अतः यदि शरीर में गोली फंसी हुई हो तो उसे अनुसंधान हेतु संरक्षित करने की कृपा करें। 2.अन्य कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य वक्त पोस्टमार्टम मृतक के शरीर से बरामद हो सकते हैं। उन्हें भी संरक्षित करने की कृपा करें।

थानाधिकारी,

पुलिस थाना शामहिला नगर

कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

दिनांक..... समय.....

संलग्न:- पंचायतनामा लाश

एफ.एस.एल. मोबाईल युनिट को मौके पर बुलाने हेतु प्रार्थना पत्र

ओर से,
थानाधिकारी
पुलिस थाना शामहिलानगर,
जयपुर शहर (उत्तर)

सेवामें,
श्रीमान जिला प्रभारी महोदय,
एफ.एस.एल. मोबाईल युनिट,
जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।

संदर्भ:-मु. नं. 110/2020 अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:- घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं साक्ष्यों के संकलन में सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि आज दिनांक----- को थाना हाजा के क्षेत्र में म.न. 206 नेहरू नगर में हत्या की गंभीर घटना घटित हुई है। मौके पर सभी उच्च अधिकारी उपस्थित हैं।

अतः निवेदन है कि घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं साक्ष्यों के संकलन में सहायता प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र मौके पर पधारने का श्रम करें।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द फोटोग्राफी

फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिलानगर, जयपुर मुकाम म.न. 206, नेहरूनगर, जयपुर। दिनांक..... समय

रुबरू गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवासी म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवासी म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राहमण उम्र 27 साल निवास म. न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर शहर की मौजूदगी में फोटोग्राफर श्री सागरमल पुत्र श्री भूरामल जाति-यादव, उम्र 18 साल, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, शामहिलानगर जयपुर हाल राज फोटो स्टूडियो, नेहरू नगर जयपुर द्वारा अपने निकटतम पर्यवेक्षण में घटनास्थल व मृतक की लाश की फोटोग्राफी करवाई गई।

फोटोग्राफर श्री सागरमल को सभी फोटो स्पष्ट रूप से डवलप कर मय प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 165बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई।

फर्द फोटोग्राफी घटनास्थल नियमानुसार तैयार कर संबंधित को पढकर सुनाई गई। सभी ने सुन, सही होना मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल, सागर मल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े मृतक

फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रह्मण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर। दिनांक..... समय कैम्प सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर

रुबरू गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।
उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेश कुमार की मौजूदगी में मृतक रमेश कुमार के शरीर से वक्त घटना पढ़ने हुये कपड़े उतार कर प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिये गये। जब्त किये गये कपड़ों का विवरण इस प्रकार है:-

1.एक शर्ट हॉफ बाजू की सफेद रंग की जिसमें नीले रंग की धारियां हैं कॉलर पर स्मार्ट टेलर्स शामहिलानगर का लेबल लगा हुआ है। पूरा शर्ट खून से सना हुआ है। दाहिने कंधे के पास एक छेद हो रहा है, तथा छेद के आस पास काले रंग के जलने के से निशान हैं। शर्ट के बीच में भी एक ऐसा ही छेद है तथा उसमें भी जलने के से निशान हैं।

2.एक बनियान सेन्डो जिसके बैक पर डॉलर का लेबल लगा हुआ है। दाहिने कंधे के पास से हल्का सा फटा हुआ है। वहां जलने के निशान हैं।

पैकिंग विवरण:- शर्ट व बनियान को एक कपड़े की थैली में रख कर सील मोहर कर मार्क "ए" दिया गया। जिन जगहों पर जलने के से निशान हैं उनको थर्मकोल के टुकड़े लगाकर अटैच किया गया है।

नमूना सील:-



फर्द जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
कैम्प सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक

फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रह्मण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम चीरघर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर दिनांकसमय.....

रुबरु गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान समक्ष प्रकरण हाजा में मृतक रमेश पुत्र श्री जमना लाल जाति ब्रह्मण, उम्र 32 साल निवास— म.नं. 206, नेहरू नगर, जयपुर की लाश बाद पोस्टमार्टम अन्तिम संस्कार हेतु मृतक के भाई श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर को नियमानुसार सुपुर्द की गई। फर्द पर लाश प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गई।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

“मैंने मेरे भाई रमेश कुमार की लाश प्राप्त कर ली हूँ”

Sdमहेश कुमार

थानाधिकारी
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल

फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर दिनांक.....समय..... बमुकाम म.नं. 206 नेहरू नगर जयपुर

रुबरु गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, नेहरूनगर, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, नेहरूनगर, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण के परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर की निशादेही से प्रकरण हाजा के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया हालात इस प्रकार है—

उत्तर

पश्चिम ← → पूर्व
दक्षिण



नक्शा घटना स्थल:-

हालात मौका घटना स्थल:-

फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटना स्थल नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितों को पढकर सुनाया, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdमहेश कुमार, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त

फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त चन्द्रभान सिंह दिनांकसमय....

रुबरू गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।
उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन एस.एच.ओ. ने अपना परिचय देते हुए अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर को धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराधो से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी ली गई तो अलावा पहने हुये कपड़ो के एक घड़ी टाईटन की, एक मोबाईल नोकिया 1100, एक पर्स चमड़े का, जिसमें कुल 1325 (एक हजार तीन सौ पच्चीस रु.) रुपये है, को बतौर जामातलाशी जब्त किया गया। जामातलाशी के सामान की सूची बनाकर एक प्रति एच.एम. मालखाना को मय माल के वापसी थाना पर दी जावेगी तथा दूसरी प्रति अभियुक्त को दी गई।

1. नोट:- मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता जमना लाल को दी गयी।
2. नोट:- वक्त गिरफ्तारी मुलजिम के शरीर पर जाहीराना तौर पर कोई चोट नजर नहीं आ रही है। मुलजिम ने भी अपने बदन पर कोई चोट नहीं होना बताया।
3. नोट:- आरोपी चन्द्रभान सिंह को कानूनी सलाहकार से राय लेने की इजाजत दी गयी तथा इस हेतु उसे पर्याप्त समय दिया गया।
4. हुलिया:- कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गेहूँआ, काले रंग की जर्सी, बादामी पैंट तथा क्रीम कलर का शर्ट पहने हुए है। गहरी भौंहे तथा दाढी मूँछें हैं। दाहिने हाथ की कलाई पर "चन्द्र" गुदा रखा है।
फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढकर सुनाई। सुन सही मान हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल, जमना लाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम

फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तफ्तीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम पुरुष हवालात थाना शामहिलानगर जयपुर दिनांकसमय....

इस समय थाना हाजा के मु.न. 110/10 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर ने मन आईओ को तफ्तीश के दौरान स्वच्छापूर्वक बताया कि "मैने एक देशी रिवाल्वर अपने मकान में मेरे कमरे में आलमारी में छुपाकर रखी है जिसे मैं चलकर बरामद करवा सकता हूँ।"

फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की मुलजिम चन्द्रभान सिंह के कथनानुसार शब्दबशब्द लिखी जाकर पढकर सुनाई सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द बरामदगी

फर्द बरामदगी एक देशी रिवाल्वर प्रस्तुतकर्ता मुल्जिम चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त चन्द्रभान सिंह दिनांकसमय....

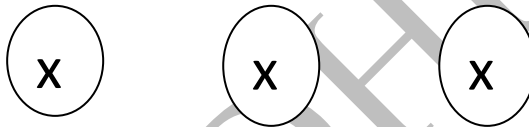
रुबरु गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।
उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर ने मुताबिक सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम के आगे-आगे चलकर अपने अवासीय मकान में बने एक कमरे की आलमारी से एक रिवाल्वर निम्न हुलिये का निकालकर प्रस्तुत किया जिसे प्रकरण में बतौर आलाए-कत्ल बरामद कर कब्जे पुलिस लिया गया। रिवाल्वर के सम्बन्ध में लाईसेन्स मांगा गया तो कोई लाईसेंस होना नहीं बताया।

हुलिया रिवाल्वर :- एक रिवाल्वर देशी जिसके बट पर K लिखा हुआ है तथा नाल पर 015713 अंक लिखे हुये है तथा नोक पर लाल रंग का निशान बना हुआ है। रिवाल्वर की कुल लम्बाई 15.5 सेमी तथा बैरल की लम्बाई 6.7 सेमी है। रिवाल्वर का चैम्बर खाली है तथा चैम्बर के बाहरी तरफ हल्की जंग आई हुई है।

पैकिंग विवरण:- रिवाल्वर को एक पालिथीन की थैली में रख कर थैली का मुह बन्द कर पुनः एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क "बी" दिया गया।

नमूना सील:-



फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sd/चन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

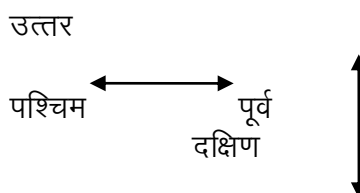
थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल

फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर दिनांक.....समय..... बमुकाम मकान मुल्जिम चन्द्रभान सिंह मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर

रुबरु गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।
उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की मुताबिक सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम के बरामद की गई रिवाल्वर के बरामदगी स्थल का नक्शा मौका इस प्रकार है:-



नक्शा बरामदगी स्थल:-

हालात मौका बरामदगी स्थल:-

फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाया, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त वाहन

फर्द जब्ती बोलेरो नं. आर.जे.14 सी. 4565 बकब्जे अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर। दिनांक..... समयबमुकाम मकान मुलजिम चन्द्रभान सिंह

रुबरु गवाहान:-

1.रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।

2.बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।

उपरोक्त गवाहान के समक्ष अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के कब्जे से एक बोलेरो निम्न हुलिये की, जो घटना में परिवहन हेतु प्रयुक्त की गई है, को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। जब्त की गयी बोलेरो का विवरण इस प्रकार है:-

1.एक बोलेरो सफेद रंग की जिसके नम्बर आर.जे.14 सी. 4565 है, जिसके नीले रंग की पट्टी हैं, पिछले शीशे पर 'हमराज' लिखा हुआ है। उक्त बोलेरो के चैसिस नम्बर 10226677 तथा ईजन नम्बर 2525236 है। बोलेरो का बोनट किसी वस्तु से भिडने के कारण अन्दर दबा हुआ है। दोनों साईडों में रगड़ के गहरे निशान बने हुए हैं।

फर्द जब्ती नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdचन्द्रभान, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर
जयपुर शहर (उत्तर)

बरामद फायर आर्म्स का आर्मोरर से परीक्षण कराने हेतु प्रार्थना पत्र

ओर से,	सेवामें,
थानाधिकारी	श्रीमान जिला आर्मोरर महोदय,
पुलिस थाना शामहिलानगर,	जिला पुलिस लाईन जयपुर शहर,
जयपुर शहर (उत्तर)	जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट।

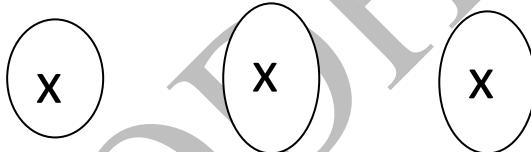
विषय:—प्रकरण में बरामदशुदा रिवाल्वर का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु.न. 110/20 धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के कब्जे से एक रिवाल्वर बरामद की गई है। उक्त रिवाल्वर कब्जे पुलिस ली जाकर सीलबन्द की गई है। अतः निवेदन है कि रिवाल्वर का परीक्षण कर निम्न के सम्बन्ध में राय देने की कृपा करें:-

- 1.बरामदशुदा रिवाल्वर फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है या नहीं।
- 2.रिवाल्वर चालू स्थिति में है या नहीं।
- 3.रिवाल्वर का मेक कौन सा है व बोर कितना है?
- 4.क्या रिवाल्वर से कोई फायर किया गया है या नहीं?
- 5.यदि फायर किया गया है तो फायर कितने समय पूर्व किया गया है उसका अनुमानित समय।
- 6.रिवाल्वर से किस प्रकार की बुलेट/गोली फायर की जा सकती है?

नमूना सील:-



थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।

अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र

कार्यालय थानाधिकारी थाना शामहिलानगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

सेवामें,

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय,
जिला जयपुर शहर उत्तर, जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:—प्रकरण में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान से निवेदन है कि थाना हाजा के प्रकरण संख्या 110/20 अर्न्तगत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से एक अवैध रिवाल्वर बरामद किया गया है। उक्त बरामदशुदा रिवाल्वर के सम्बन्ध में जिला आरमोरर जिला पुलिस लाईन जयपुर से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करली गई है जो संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में गिरफ्तार उक्त अभियुक्त चन्द्रभान सिंह के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न:-मूल पत्रावली मु.नं.110/10 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शामहिलानगर मय आरमोरर रिपोर्ट।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65 (बी)(4ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम {63 BSA}

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मेरे द्वारा प्रकरण में मौके पर की गई विडियोग्राफी/फोटोग्राफी के रूप में तैयार किया गया है तथा यह विडियोग्राफी/फोटोग्राफी थाना हाजा पर उपलब्ध विडियो कैमरा के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें दी गई सभी अर्न्तवस्तु/जानकारी असली अर्न्तवस्तु एवं तत्वों के पुनः संयोजन से उत्पादित है। प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मेरी जानकारी में सही है तथा मूल अर्न्तवस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जो शर्तें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 (बी)(2ए) से 65 (बी)(2डी) में कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी की स्वीकार्यता के संबंध में, जो कि यहां प्रस्तुत की गई जानकारी एवं कम्प्यूटर से संबंधित है, वह पूरी तरह से स्वीकार्य एवं संतुष्ट की गई है।

हस्ताक्षर
सागर मल

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 65 (बी)(4ए) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत श्री सागरमल ने मय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुत किया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पृथक से प्राप्त कर सील मोहर किया गया है। प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

थानाधिकारी
थाना शामहिला नगर
जयपुर (उत्तर)

37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत वारंट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र
कार्यालय थानाधिकारी थाना शामहिलानगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांक:—

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,

क्रम संख्या 13 जयपुर शहर, जयपुर।

मार्फत:—

श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय,

न्यायालय एसीजेएम 13 जयपुर शहर, जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/2020 अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:—धारा 37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत वारंट जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु. नं. 110/2020 अन्तर्गत धारा **191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC}** व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरुद्ध प्रकरण में उपरोक्त धाराओं के तहत जुर्म प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त मानसिंह वक्त घटना से ही फरार चल रहा है तथा अपनी उपस्थिति छुपाये हुये है। जिसकी काफी तलाश की गई किन्तु कोई पता नहीं चल रहा है। प्रकरण में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मानसिंह की गिरफ्तारी काफी प्रयासों के बाद भी नहीं हो सकी है। मानसिंह को गिरफ्तार करने के प्रयास पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर के विरुद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट 2007 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कृपा करें।

प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय के माध्यम से श्रीमान की सेवा में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु प्रार्थना पत्र

कार्यालय थानाधिकारी थाना शामहिलानगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर

क्रमांक:—

दिनांक:—

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,

क्रम संख्या 13 जयपुर शहर, जयपुर।

मार्फत:—

श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय,

न्यायालय एसीजेएम 13 जयपुर शहर, जयपुर।

संदर्भ:—मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:—बापर्दा मुल्जिम लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं.64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर की कार्यवाही शिनाख्तगी के सम्बन्ध में धारा 54(क) सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थाना हाजा के मु. नं. 110/2020 अर्न्तगत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं.64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर को प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार किया गया है जिसे प्रकरण में बापर्दा रखा गया है।

प्रकरण के परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री जमनालाल जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवास म.न. 206 नेहरू नगर, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर ने अपने कथनों में तथा पर्चा बयान में मुख्य अभियुक्तों के साथ आये तीन-चार अन्य व्यक्तियों को सामने आने पर उनकी शक्ल से पहचानना बताया है। प्रकरण की सफलता के लिये अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्तगी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त बापर्दा अभियुक्त लक्ष्मण सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी म.नं.64, लक्ष्मीनगर, हरमाडा, जयपुर की कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान सहायक लोक अभियोजक महोदय के माध्यम से श्रीमान की सेवा में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

थानाधिकारी

पुलिस थाना शामहिला नगर

जयपुर शहर (उत्तर) जयपुर

माल एफ.एस.एल भेजने हेतु अग्रेषण पत्र**कार्यालय थानाधिकारी थाना शामहिलानगर जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर**

क्रमांक:-

दिनांक:-

सेवामें,

श्रीमान निदेशक महोदय,

विधि विज्ञान प्रयोगशाला,

जयपुर।

मार्फत:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,

जयपुर शहर (उत्तर), जयपुर।

संदर्भ:-मु. नं. 110/2020 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट।

विषय:-प्रकरण में जब्तशुदा/बरामदशुदा वस्तुओं का परीक्षण कर रिपोर्ट देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रकरण के संबंध में निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में निम्नानुसार वस्तुएँ जब्त की गई हैं, जिनके संबंध में परीक्षण कर चाही गई राय प्रदान करने की कृपा करें :-

क्रम सं.	मार्क	जब्त/बरामद वस्तु का विवरण	जब्त/बरामद करने वाले अधिकारी का नाम	नमूना सील
1	A	मृतक रमेश कुमार के वक्त घटना पहने हुए खून आलूदा कपड़े, एक शर्ट व एक बनियान	थानाधिकारी पुलिस थाना शामहिलानगर, जयपुर	
2	B	अभियुक्त चन्द्रभान के कब्जे से बरामद एक रिवाल्वर	थानाधिकारी पुलिस थाना शामहिलानगर, जयपुर	
3	C	ब्लड सैम्पल मृतक रमेश कुमार	अध्यक्ष, मेडीकल बोर्ड, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	
4	D	एक कारतूस/गोली जो मृतक रमेश कुमार के शरीर से पोस्ट मार्टम बोर्ड द्वारा वक्त पोस्ट मार्टम निकाली गई है।	अध्यक्ष, मेडीकल बोर्ड, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	

उपरोक्त जब्तशुदा/बरामदशुदा वस्तुओं के संबंध में निम्नांकित राय प्रदान करने की कृपा करें:-

- 1.पैकेट मार्क A में जब्तशुदा कपड़ों में लगा रक्त मानव रक्त है या नहीं।
 - 2.यदि मानव रक्त है तो पैकेट C में लिये गए रक्त सैम्पल से मिलान करता है या नहीं।
 - 3.क्या पैकेट B बरामद शुदा रिवाल्वर से कोई फायर किया गया है या नहीं?
 - 4.यदि फायर किया गया है तो फायर कितने समय पूर्व किया गया है उसका अनुमानित समय।
 - 5.बरामद रिवाल्वर से किस प्रकार की बुलेट/गोली फायर की जा सकती है?
 - 6.क्या पैकेट D में जब्त की गई गोली/कारतूस इसी रिवाल्वर से फायर किया गया है?
- श्री भगवान सिंह कानि. 372 को विशेष वाहक के रूप में मय माल के भेजा जा रहा है।
श्रीमान से निवेदन है कि चाही गई राय शीघ्रताशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

नमूना हस्ताक्षर कानि. भगवान सिंह 372 :-

हस्ताक्षर प्रमाणित द्वारा
थानाधिकारी थाना शामहिलानगर जयपुर

संलग्न :-

1. प्रमाणित प्रतिलिपि एफआईआर नं. 110/20।
2. प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा मौका।
3. प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे मृतक रमेश कुमार।
4. प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द बरामदगी रिवाल्वर।
5. प्रमाणित प्रतिलिपि जब्ती प्रपत्र द्वारा पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
6. नमूना सील थाना शामहिलानगर जयपुर।
7. नमूना सील पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
8. अग्रेषण पत्र द्वारा पोस्ट मार्टम बोर्ड सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

फर्द खाना तलाशी अन्तर्गत धारा 47 सीआरपीसी

फर्द खाना तलाशी मकान मुल्जिम मान सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर बसिलसिले तपतीश मु.न. 110/20 धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109, 103(1) BNS {147,148,149, 452, 323, 307,302 IPC} व 3/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस थाना शामहिला नगर, जयपुर बमुकाम मकान अभियुक्त मान सिंह दिनांकसमय.....

रुबरू गवाहान:-

1. रामलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, उम्र 24 साल, निवास म.न. 208, मुरलीपुरा, जयपुर।
 2. बाबूलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट, उम्र 28 साल, निवास म.न. 312, मुरलीपुरा, जयपुर।
- उपरोक्त गवाहान के समक्ष प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 26 साल निवासी मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की अपने मकान में छुपे हुए होने की सूचना प्राप्त होने पर मन थानाधिकारी द्वारा मकान नं. 315, मुरलीपुरा, जयपुर की धारा 47 सीआरपीसी के तहत तलाशी ली गई। मुल्जिम के फरार होने की संभावना होने के कारण तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सका। वक्त तलाशी मकान में श्री रामसिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई। मकान में बने सभी कमरों की तलाशी ली गई किन्तु वांछित अभियुक्त मानसिंह मकान में नहीं मिला।

फर्द खाना तलाशी नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढकर सुनाई, सुन सही मान कर हस्ताक्षर किये।

Sdरामसिंह, रामलाल, बाबूलाल

थानाधिकारी,
पुलिस थाना शामहिला नगर।
जयपुर शहर (उत्तर)

स – विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण व छेड़छाड़

धारा 74 BNS {354 IPC} – महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्वत्कारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस महिला पर हमला करेगा या अपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दाही होगा। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 54 का समरूप है।

धारा 75 BNS {354A IPC} – लैंगिक उत्पीड़न (1)ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात :-

(i) शारिरिक सस्पर्श और अग्र कियाए करने, जिनमें अवाछनीय और लैंगिक सम्बंध बनाने सम्बंध स्पष्ट प्रस्ताव अन्तर्वलित हो या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिये कोई मांग या अनुरोध करने या

(iii)किसी महिला की ईच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने या

(iv) लैंगिक अभाषी टिप्पणीयां करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई पुरुष जो उप धारा के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से, दण्डित किया जायेगा। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1973की धारा 354 क के समरूप है।

धारा 76 BNS {354 B IPC} – विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग :- ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिये बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति अपराधिक बल का प्रयोग करेगा ऐसा कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दायी होगी। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 ख के अनुरूप है।

धारा 77 BNS {544 C IPC} – दृश्यरतिकता – ऐसा कोई पुरुष जो कोई किसी प्राईवेट कृत्य में लगी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में जिन्में वह यह प्रत्याशा करती है की उससे देखा नहीं जा रहा है, एक टंक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खिचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक साल से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दाही होगा और द्वितीय या पश्चात वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनो में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा। और जुर्माना का भी दाही होगा।

स्पष्टीकरण – 1 इस धारा के प्रयोजनो के लिये, “प्राईवेट कृत्य के अन्तर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके सम्बंध में, परिस्थितियों के अधिन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकान्तता होगी और जहां की पिड़िता के जननागो पर, नितम्बो या वक्सस्थलो को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है या जहां पिड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या जहां पिड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण – 2 जहां पिड़िता चित्रो या किसी अभिनय के चित्र को खिचने के लिये सहमति देती किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हे प्रसारित करने की सहमति नहीं देती जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधिन अपराध माना जायेगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 ग के समरूप है।

धारा 78 BNS {354 IPC} – पिछा करना :-

(1) ऐसा कोई पुरुष जो –

(i) किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिये उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किये जाने के बावजूद , बार बार पिछा करता है और सस्पर्श करता है या सस्पर्श करने का प्रयत्न करता है या

(ii) जो कोई किसी महिला द्वारा इन्टरनेट , ई-मेल या अन्य किसी प्ररूप की इलेक्ट्रॉनिक ससूचना का प्रयोग किये जाने को मानिटर करता है , पिछा करने का अपराध करता है

परन्तु ऐसा आचरण पिछा करने की कोटि में नहीं आयेगा , यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि (i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिये किया गया था और पिछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य सरकार द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था या (ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधिन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिये किया गया था या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तयुक्त और न्यायोचित था ।

(2) जो कोई पिछा करने का अपराध करेगा , वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनो में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दायी होगा और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा वह जुर्माना का भी दायी होगी। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 354 घ के समरूप है।

धारा 63 BNS {375 IPC} बलात्संग, – यदि कोई पुरुष,–

(क) किसी महिला की योनी , उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है, या

(ख) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(ग) किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि , मूत्रमार्ग , गुदाया शरीर के किसी भाग में प्रवेशन काति किया जा सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या

(घ) किसी महिला की योनी, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है , तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है :-

(i) उस महिला के इच्छा के विरुद्ध,

(ii) उस महिला के सम्मति के बिना,

(iii) उस महिला की सम्मति से , जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है ,

(iv) उसमहिला की सहमति से ,जबकि वह पुरुष से जानता है महिला का पतिनही है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि यह वह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष से जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है ,

(v) उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देते समय , वह चित – विकृति या मतता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शुन्य कारि या अस्वास्थ्य कर पदार्थ दिये जाने के कारण ,उस बात की , जिसके बारे में वह सम्मति देती है,प्रकृति व परिणामो को समझने में असमर्थ है ,

(vi) उस महिला की सम्मति से या उसके बिना ,जब वह अठारह साल से कम आयु की है ,

(vii) जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण -1 इस धारा के प्रयोजना के लिये "योनी" के अन्तर्गत वृहत् भगोष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण - 2 सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेरित है, जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार के मौखिक अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की ईच्छा व्यक्त करती है:

परन्तु ऐसी महिला के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जायेगा की उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है।

अपवाद 1- किसी चिकित्सय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्संग घटित नहीं होगा।

अपवाद 2- किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नि के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नि अठारह साल से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 375 के समरूप है।

धारा 64 BNS {376 IPC} बलात्संग के लिए दण्ड:-(1) जो कोई उपधारा(2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह महिला, जिससे बलात्संग किया गया हो उसकी पत्नी है और 12 वर्ष से कम आयु की नहीं हो, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई-(क) पुलिस अधिकारी होते हुए-1. उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा या

2. किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा, या

1. अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी से बलात्संग करेगा, या (ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी ऐसी महिला से जो ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या (ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबन्ध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या (घ) किसी अस्पताल के प्रबन्धक या कर्मचारी वृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करेगा। या (ङ) किसी महिला से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा। या (च) सामूहिक बलात्संग करेगा। कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लेखित किये जायेंगे, दण्डादेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण :-(1) जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किसी महिला से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्संग किया है।

स्पष्टीकरण (2) "स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था" के स्त्रियों और बच्चों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिये स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिये गृह या कोई भी अन्य नाम हो। **स्पष्टीकरण**

(3):- "अस्पताल" से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का आहता है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को या चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को, ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिये है। नारी का बलात्कार आरोप सहज ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बलात्कार के मामले में बाल अपराधियों को न्यूनतम दण्ड परिविक्षा।

स्पष्टीकरण (4):- साक्षियों की पूर्ण सम्पुष्टि आवश्यक:- बलात्संग अपराध के समय पहने हुए वस्त्रों की परीक्षा समुचित प्रकाश में करनी चाहिये। कपड़ों के फटने के निशान, कीचड़, मिट्टी और घास के धब्बे और रक्त और शुक्र के धब्बों को अच्छी तरह देख लेना चाहिये। यदि कपड़ों पर चोट के निशान हैं तो शरीर के उस भाग पर भी चोट के निशान मिलने की सम्भावना होती है। इसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये। यदि रक्त के धब्बे हैं तो यह ज्ञात करना आवश्यक है कि मासिक स्राव के तो नहीं हैं यदि सम्मति मिल जाती है तो रक्त लेकर उसका वर्गीकरण कर यह पता लगाया जा सकता है कि रक्त के धब्बों पर रक्त हमला करने वाले का है या उसी

महिला का है। वस्त्रों को सावधानी से सुखाकर लेबल लगाकर रासायनिक विश्लेषण के पास भेजा जाता है कि ये संदेहास्पद धब्बे शुक्र के हैं या रक्त के पूरी साड़ी, लंहगा या स्कर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं होती, केवल धब्बे वाले भाग को सावधानी से काटकर छाया में सुखाकर एक डिब्बे में बन्द कर और सील कर भेजा जाता है। नाखूनों के नीचे भी हमलावर की त्वचा के सूक्ष्म टुकड़ों को भी देख लेना चाहिये कि बलात्संग में प्रतिरोध के लिये महिला ने उस हमलावर को नोचा-खरोचा हो। महिला का शारीरिक विकास देखना चाहिये कि उसमें प्रतिशोध करने की कितनी क्षमता है। किन्तु यदि उस महिला की गर्दन दबाई गई है या उसके सिर पर भरपूर बल प्रहार किया गया है तो शारीरिक प्रतिरोध की शक्ति क्षीण हो जाना स्वाभाविक है। गले, होठ, गर्दन, छाती, स्तन, हाथ या पैरों पर चोटों और नील के निशान या तो जमीन से रगड़ के हो सकते हैं या हमलावर की उस समय की कोशिशों से हो सकते हैं। जब वह महिला के चिल्लाने या शारीरिक प्रतिशोध पर काबू पाने के लिये कोशिश कर रहा था। क्रूरता के कारण स्तनों के चुचक कटे हुए या स्तनों पर चोटों के निशान पाये जा सकते हो चोटों के वे प्रकार हो सकते हैं— नील, नाखूनों, के निशान, दातों से काटने के निशान और त्वचा विदीर्णता आदि।

(5). प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब अपराध संदिग्धः— रिपोर्ट में तीन दिन का विलम्ब मेडिकल समर्थन का अभाव तथा अभियुक्त के शरीर पर चोटों का अभाव प्रकरण को संदिग्ध बनाते थे। घटना की प्रथम सूचना दर्ज में छः दिन का विलम्ब अन्य साक्ष्य की दुर्बलता के प्रकार में अभियुक्त साक्ष्य को संदिग्ध बनाते हैं।

रिपोर्ट दर्ज कराने के विलम्ब तथा स्वतन्त्र समर्थन और मेडिकल समर्थन या अभाव अभियोजन साक्ष्य को संदिग्ध बनाते हैं। घटना की रिपोर्ट तीन मास के विलम्ब से दर्ज करने का कारण जहां जाति पंचायत की कार्यवाही बताया गया था, तथापि पंचों ने परिवाहिनी का समर्थन नहीं किया, अभियुक्त दोषमुक्ति के पात्र थे।

(6) अवयस्क लड़की की सहमति महत्वहीनः— यह सुझाव की चूंकि अभियोजिका के गुप्तांगों पर या उसके शरीर पर कहीं भी हिंसा के कोई भी निशान मौजूद नहीं नहीं हैं, इसलिये उस पर बलात्संग करने का कोई भी अपराध लगाया नहीं जा सकता, पूर्णतः भ्रमक है। बलात्संग की परिभाषा **63 BNS {375 IPC}** में दी गई है जिसके अनुसार जो पुरुष एतस्मिन्— पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी महिला के साथ निम्नलिखित पांच भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थितियों में मैथुन करता है। वह पुरुष बलात्संग करता है यह कहा जाता है। (7) बलात्कार साबित करने के लिये इन्द्रिय प्रवेशन करना पर्याप्त है।

धारा 65(1) BNS {376(3) IPC} कतिपय मामलो में बलात्संग के लिये दण्ड — (1) जो कोई सोलह साल से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस साल से अन्यून होगी, किन्तु जो अजीवन कारावास, जैसे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है, दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दायी होगा:

परन्तु ऐसा जुर्माना, पिड़िता का चिकित्सीय खर्चों को पुरा करने और पुनर्वास के लिये न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और की इस उपधारा के अधिन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का सदाय पिड़िता को किया ।

धारा 65(2) BNS {376(A) (B) IPC} (2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किन्तु अजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माना से, या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जायेगा:

परन्तु ऐसा जुर्माना पिड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पुरा करने और पुनर्वास के लिये न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधिन अधिरोपित किसी भी जुर्माना का सदाय पिड़िता को किया जायेगा ।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 क ख के समरूप है ।

धारा 66 बीएनएस — पिड़िता की मृत्यु या सतत्र या सतत्र विकृत शील दक्षा कारित करने के लिये दण्ड — जो कोई, धारा (64) की उप धारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करेगा और अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुँचायेगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा सतत्र विकृतशील हो जाती वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतजीवन काल के कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जायेगा। यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(क) के समरूप है।

धारा 67 BNS {376(B) IPC} :- जो कोई लोक सेवक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी महिला को उसकी अभिरक्षा में है या उसके अधीनस्थ की अभिरक्षा में है मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है। पाँच वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 68 BNS {376(C) IPC} जो कोई जेल प्रतिप्रेषण गृह स्त्रियों या बालाकों की संस्था का अधीक्षक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी महिला को अपने साथ मैथुन करने के लिये उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, 5 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 69 BNS {NEW} धारा 69 प्रवचनापूर्ण साधनो आदि का प्रयोग करके मैथुन – जो कोई प्रवचनापूर्वक साधनो द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनो में से किसी भौति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना के लिये भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण – प्रवचनापूर्ण साधनो में नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिये उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है।

धारा 70(1) BNS {376(D) IPC} जो कोई किसी अस्पताल का प्रबन्धक या कर्मचारी होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर अस्पताल में किसी महिला के साथ मैथुन करेगा जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 70(2) BNS {376(DA) (DB) IPC} धारा 70 सामुहिक बलात्संग –

(1) जहां किसी महिला से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समुह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जायेगा की उसने बलात्संग का अपराध किया है और ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास अभिप्रेत होगा, कि हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माना से भी दंडीय होगा।

परन्तु ऐसा जुर्माना पिड़िता के चिकित्सीय खर्चों का पूरा करने और पुनर्वास के लिये न्यायोचित और युक्त युक्त होगा।

परन्तु यह और की इस उपधारा के अधिन अधिरोपित कोई जुर्माना पिड़िता को संदत किया जायेगा।

(2) जहां एक या अधिक व्यक्ति द्वारा समुह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा की उसने बलात्संग का अपराध किया है। और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माना से, या मृत्यु दंड से, दंडनीय होगा।

परन्तु ऐसा जुर्माना पिड़िता के चिकित्सीय खर्चों का पूरा करने और पुनर्वास के लिये न्यायोचित और युक्त युक्त होगा।

परन्तु यह और की इस उपधारा के अधिन अधिरोपित कोई जुर्माना पिड़िता को संदत किया जायेगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 (घक) 376(घख) के समरूप है।

धारा 71 BNS {376(E) IPC} पुनः अपराध करने वालों के लिए दण्ड – जो कोई भी व्यक्ति धारा 376, 376क से 376घ के अधिन दण्डनीय अपराध में पूर्व में दोष सिद्ध हुआ है उसके बाद भी इन धाराओं में दूबारा दोषसिद्ध होता है तो उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जावेगा या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

धारा 85 BNS {498(A) IPC} किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। यदि किसी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता (मारपीट करना, परेशान करना) करता है या मानसिक रूप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है। उस व्यक्ति पर 85 BNS के तहत मुकदमा दर्ज (Court case) कर कार्यवाही की जाती है।

इस धारा का उद्देश्य होता है किसी ऐसी महिला की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट

करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा। जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी।

धारा 351 (1) BNS आपराधिक अभित्रास {503 IPC} - जो कोई, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी, उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है। कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास्त करता है।

स्पष्टीकरण:- किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याती को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

दृष्टान्त

सिविल वाद चलाने से उपरत रहने के लिए **ख** को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से **ख** के घर को जलाने की धमकी **क** देता है। **क** आपराधिक अभित्रास का दोषी है।

धारा 351(2)/(3) BNS {506 IPC} - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने कि या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश करने या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से उसे दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी महिला पर सतीत्व का लांछन लगाने की हो तो वह सात वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 351 (4) BNS {507 IPC} - जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पुर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड के लिए अतिरिक्त, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

धारा 351 के अधीन अपराध, असंज्ञेय और जमानतीय है। धारा 351 (2) और धारा 351 (3) के अधीन अपराध अभित्रास्त व्यक्ति द्वारा शमनीय है और धारा 351(4) के अधीन अशमनीय है धारा 351(2) के अधीन अपराध कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारनीय है जबकि धारा 351(3) और धारा 351 (4) के अधीन अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 79 BNS {509 IPC} :- शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है -जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा या कोई ध्वनि या शरीर के किसी अंग को दिखायेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी महिला की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा

धारा 183 BNSS {164 CRPC} संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना :-

(1) उस जिले का कोई मजिस्ट्रेट सिमें किसी अपराध के लिये जाने के बारे में इतिला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न को, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को , जो संस्वीकृति कर रहा है , यह समझाएगा की वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिये आबद्ध नहीं है और यदि व उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है , और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विष्वास करने का कारण न हो किस वह स्वेच्छा से की जा रह है ।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किये जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिये इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा ।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिये धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के निचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :-

मैंने(नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिये आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा , उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे विष्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है । यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढकर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पुरा और सही वृत्तांत इसमें है ।

हस्ताक्षर क.ख.

मजिस्ट्रेट

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये इसमें इसके पश्चात उपबद्धित ऐसी रिति से अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में , मामले की परिस्थितियों सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है ।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 धारा 65 ,66,67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या धारा 124 के अधीन दण्डनीय मामले में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का , जिसकी विरुद्ध उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट रिति में ऐसा अपराध किया गया है , कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है । अभिलिखित करेगा ।

परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो , महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा ।

परन्तु यह और की ऐसे अपराध से सम्बंधित मामले में जो 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है , मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाये गये साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थाई व स्थाई रूप से मानसिक व शारिरिक रूप से निःसक्त है तो किसी द्विभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायत से उस व्यक्ति के द्वारा किये गये कथन , श्रव्य – दृश्य इलेक्ट्रोनिक साधनों , अधिमानतः मोबाईल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जायेगा ।

(ख) ऐसे व्यक्ति के , जो अस्थाई या स्थाई रूप से मानसिक या शारिरिक रूप से निःसक्त है , खण्ड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जायेगा और ऐसा कथन करने वाली , विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी ।

(7) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट , उससे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा , जिसके द्वारा मामले की जाँच या विचारण किया जाना है ,

यह धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के समरूप है ।

सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना, साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना –

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. एफआईआर दर्ज करना । (माहिला पुलिस अधिकारी या माहिला अधिकारी द्वारा लेखबद्ध)
2. प्रार्थिया का मेडिकल मुआयना परीक्षण करवाना । (घटना के 24 घण्टों के दौरान आवश्यक)

3. घटनास्थल का निरीक्षण व फर्द घटनास्थल बनाया जाए।
4. बयान गवाह दर्ज करना।
5. 164 द.प्र.सं. के तहत बयान करवाना। (अविलम्ब)
6. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी
7. अभियुक्त का मेडिकल मुआयना एवं परीक्षण करवाना।
8. रिमाण्ड
9. आरोप पत्र तैयार करना।

बलात्कार

1. बलात्कार की सूचना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष या पुलिस स्टेशन पर सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब घटना स्थल पर पहुंचना।
2. घटना के संबंध में पीड़िता या उसके परिवार जन द्वारा रिपोर्ट देने पर उसे तुरन्त दर्ज करना।
3. पीड़िता या परिवार जन द्वारा मौखिक सूचना देने पर घटना के संबंध में तत्कालीन पूर्वक जानकारी कर उसे सरल भाषा में अभिलेखित करना।
4. घटना के संबंध में यदि पीड़िता द्वारा पूर्व में किसी परिजन या अन्य किसी व्यक्ति को जानकारी दी हो तो उससे भी जानकारी प्राप्त करना।
5. यदि परिवादी महिला है तथा छेड़छाड़ या बलात्कार संबंधी रिपोर्ट दर्ज करवा रही है तो रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा ही लिखी जायेगी।
6. यदि घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी हो गयी हो तो कारण जानने का प्रयास करना चाहिए।
7. रिपोर्ट में घटना का विस्तृत विवरण यथा तिथि, समय, स्थान, अभियुक्त का पता, चोटों इत्यादि का विवरण हो।
8. पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस अंकित करते समय पुछताछ कर घटना के संबंध में यदि कोई सारवान तथ्य रह गये हो तो उनका स्पष्ट खुलासा लिखना।
9. पीड़िता का शारीरिक या मानसिक विकलांग होने पर दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता ली जा सकती है।
10. पीड़िता/परिवादी को एफआईआर की प्रति निःशुल्क दी जावे।
11. बलात्कार के प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा किया जावेगा।
12. सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रकरणों का अनुसंधान संबंधित वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा किया जावेगा।
13. पीड़ित से पूछताछ करते समय निम्नलिखित बातों का समावेश करना चाहिए।
 - पीड़िता अभियुक्त को पूर्व से जानती है या नहीं ?
 - पीड़िता का घटनास्थल पर मौजूदगी का कारण ?
 - घटना के समय पीड़िता ने कौन से कपड़े पहन रखे थे ?
 - क्या घटना के बाद पीड़िता ने अपने कपड़े धो लिए हैं ?
 - घटना के दौरान पीड़िता के कोई चोट इत्यादि आई है या नहीं ?
 - क्या घटना के समय अभियुक्त द्वारा पीड़ित को नशीली वस्तु खिलाई गई थी ?
 - क्या बलात्कार किसी प्रकार का भय दिखाकर किया गया है ?
 - क्या अभियुक्त द्वारा कोई आपत्तिजनक विडियो फिल्म या फोटो खींची गई है ?
 - क्या अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर किसी प्रकार के साक्ष्य छोड़े गये हैं ?
14. पीड़िता का अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाये।
15. मेडिकल बोर्ड में महिला चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
16. मेडिकल मुआयना करवाते समय चिकित्सक से निम्नलिखित के संबंध में राय ली जानी चाहिए—
 - क्या पीड़िता के शरीर पर सघर्ष के दौरान के चिन्ह मौजूद है।
 - क्या पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई चोट आई हुई है ?
 - क्या गुप्तांगों के अलावा शरीर पर अन्य कोई चोटें आई हैं ?
 - पीड़िता का "हाईमन" सुरक्षित है या नहीं ?
 - पीड़िता के गुप्तांगों पर जबरदस्ती करने के निशान हैं या नहीं ?

- पीड़िता के जननांग में लिंग का प्रवेश हुआ है या नहीं ?
 - पीड़िता की योनी में वीर्य का स्खलन हुआ है या नहीं ?
 - पीड़िता की योनी, मुत्र मार्ग या गुदा में किसी वस्तु का प्रवेश हुआ है या नहीं
 - पीड़िता के साथ पहली बार मैथुन किया गया है या वह मैथुन की आदी है ?
 - यदि नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया गया है तो इस संबंध में भी राय प्राप्त की जानी चाहिए।
17. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त करना।
 18. पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उम्र संबंधी मेडिकल करवाना।
 19. पीड़िता का बलात्कार, चोट, आयु संबंधी मेडिकल रिपोर्ट/चोट प्रतिवेदन तत्काल प्राप्त कर शामिल पत्रावली करें।
 20. यदि आवश्यक हो तो तुरन्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाना।
 21. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक्सरें फिल्म व अन्य सर्पोटिंग दस्तावेज भी शामिल पत्रावली किया जावे।
 22. पीड़िता के पहने हुये बाहरी वस्त्र जो प्रतिरोध में फटे हो को भी जब्त करें।
 23. अधोवस्त्रों/अंगवस्त्रों पर सीमन आदि की उपस्थिति, बाल या अन्य भौतिक साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुये जब्त करें।
 24. पीड़िता के वस्त्रो पर खून व सीमन आदि के धब्बों को चिन्हित करें तथा जैविक प्रार्दशो को सही तरीके से सुरक्षित किया जावे।
 25. जब्त शुदा अलामात को हर सूरत में 24 घंटे में एफ.एस.एल. में नियमानुसार भिजवाना। देरी करने से सैम्पल की सत्यता पर न्यायालय द्वारा संदेह किया जा सकता है।
 26. द0प्र0स0 की धारा 161(3) {180 BNSS} के अन्तर्गत पीड़िता के बयान माहिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जाये।
 27. पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत विस्तृत बयान उसके घर या उसकी इच्छानुसार अन्य सुविधा जनक स्थान पर लेखबद्ध किया जावे यदि संभव हो तो विडियोग्राफी भी करवायी जावे।
 28. पीड़ित के बयान दर्ज करते समय परिवारजनो में से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पीड़िता के साथ रखना जिससे पीड़िता का विश्वास बना रहें।
 29. पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना में परिवारजन के अभियुक्त होने पर किसी अन्य माहिलाकर्म की उपस्थिति में बयान लेखबद्ध करना।
 30. पीड़िता के धारा 183 BNSS {164 IPC} के बयान संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अतिशीघ्र करवाया जावे।
 31. घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले परिवारजन के बयान विस्तृत लेखबद्ध करना।
 32. घटना स्थल को चिन्हित कर बारीकी से निरीक्षण करें व घटना स्थल पर बिस्तर, चारपाई आदि पर खून व सीमन के धब्बे हो तो कब्जे में ले।
 33. घटना स्थल पर बाल, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, फटे कपड़े या अन्य भौतिक साक्ष्य पाये जाये तो परीक्षण हेतु सील बन्द करें।
 34. घटना स्थल पर पाये गये अभियुक्त के पद चिन्ह, अंगुल चिन्ह यदि वाहन हो तो टायर चिन्ह के मोल्ड उठाकर जप्त करें
 35. घटना स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यो की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करावे।
 36. घटनास्थल के आसपास के लोगों से घटना के संबंध में पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करें।
 37. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करें जिसमें उपरोक्त में से मिली साक्ष्यों, अन्य आलामात की स्थिति दर्शायी जावे।
 38. घटना स्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों की मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
 39. अभियोग की जब्त/बरामद वस्तुएं एफ.एस.एल. जाँच हेतु प्रयोगशाला में जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करें।
 40. एफ.एस.एल. रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र मंगवाकर शामिल पत्रावली करें।
 41. यदि घटना होटल/गेस्ट हाउस आदि जगह की है तो उनके रजिस्टर जिसमें प्रविष्टि की गई हो, को कब्जे में ले।
 42. यदि होटल में सी.सी.टी.वी. हो तो उनकी रिकॉर्डिंग प्राप्त कर कब्जे में लें।

43. कमरे का निरीक्षण कर पेय पदार्थ, गिलास, बॉटल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, माचिस आदि मिले तो कब्जे में ले।
44. होटल कर्मियों के बयान लेखबद्ध करें।
45. होटल के कमरे में वीर्य के दागों को चिन्हित करें। फर्द में उल्लेख करें।
46. महिला परिवादी/गवाहान को कभी भी थाने पर नहीं बुलाया जावे।
47. महिला परिवादी/गवाहान को सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व किसी भी परिस्थिति में इन्हें थाने पर रखा जावे।
48. अपराध प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तों को गिरफ्तार करना।
49. आरोपी का तुरन्त मेडिकल परीक्षण करवाया जाये जिसमें संघर्ष के दौरान उसके शरीर पर खरोंच आदि आई हो तो उनका परीक्षण करवाया जाये।
50. अभियुक्त/अभियुक्तों के पुरुषत्व का मेडिकल परीक्षण करवाया जावे अभियुक्त के शरीर से डी.एन.ए. जाँच हेतु रक्त,बाल, नाखून इत्यादि के नमूने प्राप्त किये जावे।
51. अभियुक्त के बाल,खून वक्त घटना पहने हुए कपड़े जब्त करना।
52. चिकित्सक द्वारा लिए गये अभियुक्त के बाल खून एवं सीमन के नमूनों का एफ.एस.एल.से परीक्षण करवाना।
53. यदि मुल्जीम अज्ञात हो तो गिरफ्तार होने पर उसको बापर्दा कर पीड़िता से कार्यवाही सिनाख्त करवाया जाना।
54. अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट तैयार करना।
55. बलात्कार से संबंधित अभियोगों का अनुसंधान 7 दिवस में पूर्ण करना।
56. 7 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक/डी.सी.पी. से पेन्डिंग स्वीकृति प्राप्त करना।
57. 30 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर रेंज महानिरीक्षक पुलिस पेन्डिंग स्वीकृति प्राप्त करना।
58. 60 दिवस में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर महानिरीक्षक (सिविल राईट्स) राजस्थान जयपुर से स्वीकृति प्राप्त करना।
59. पीड़िता को धारा **395 BNSS {357(A) IPC}** के अन्तर्गत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना।
60. पीड़िता व उसके परिवार को प्रतिकर दिलाने में संबंधित दस्तावेज समय पर जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाया जाना।
61. पीड़ित महिला व उसके परिवारजनों के नाम मिडिया व लोगों में सार्वजनिक नहीं किया जावे एवं उनकी पहचान गुप्त रखी जावे।
62. अभियुक्त का पूर्व का अपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणित कर शामिल पत्रावली करें।
63. समस्त साक्ष्यों को संकलित कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना।

दहेज मृत्यु/दहेज हत्या

1. दहेज मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरन्त मौके पर पहुच कर घटनास्थल को सुरक्षित करना
2. पीड़िता के पीहर पक्ष को तुरन्त सूचित करना।
3. घटना के संबंध में परिवारजन द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
4. घटना की एफआईआर दर्जकरने के पश्चात् अनुसंधान सम्बन्धित वृत्ताधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया जावे।
5. घटनास्थल का बारीकी से वॅलाक वाईज व एन्टीवॅलाक वाईज निरीक्षण किया जावे
6. घटना स्थल की फोटोग्राफी करवायी जावे जिसमें घटनास्थल के सम्पूर्ण साक्ष्य दर्शित हो फोटोग्राफर के बयान लेखबद्ध किये जावे।
7. मृतका के शव की फोटोग्राफी करवाना और शव का बारीकी से निरीक्षण करना।
8. घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों को सही तरीके से उठा कर जब्त करना।
9. घटनास्थल से जब्त किये गये साक्ष्यों को जमा मालखाना करवाना।
10. घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर लाश एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों की स्थिति स्केल से माप कर पैमाने के साथ स्पष्ट रूप से दर्शायी जाना।

11. शव का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर उसके शरीर पर चोटें व अन्य लक्षण फर्द "निरीक्षण लाश" में अंकित किया जाना।
12. मृतका के कपड़ों पर मृत्यु से संबंधित अलामात उपलब्ध होने पर उन्हें जब्त करना।
13. लाश का पोस्टमार्टम अविलम्ब मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया जाना।
14. विसरा जाँच हेतु एफ.एस.एल. भिजवा जाना सुनिश्चित करना।
15. विधिविज्ञान प्रयोगशाला में विसरा व अन्य अलामात जमा करवाने की रसीद शामिल पत्रावली करना।
16. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली करना।
17. मृतका के शव को परिवार जन को सुपुर्द कर सुपुर्दगी लाश पत्र को शामिल पत्रावली करना।
18. मृतक की शादी एवं शादी की दिनांक के संबंध में साक्ष्य लिया जाना।
19. मृतका के परिवारजन से गहनता से पुछताछ कर बयान लेखबद्ध करना।
20. घटनास्थल के पड़ोसीयान से विस्तृत पुछताछ कर घटना के संबंध में तपतीश करना।
21. घटनास्थल पर कोई सुसाईड नोट, पत्र, एस.एम.एस, ई-मेल बाबत लिखा गया तो उसे प्राप्त कर उसे जब्त करना उपरोक्त के आधार पर अनुसंधान करना।
22. मृतका की शादी में मध्यस्ता करने वाले रिश्तेदारान, मृतका के मित्र/सहेली से तपतीश करना।
23. मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व उसके साथ उसके पति अथवा पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग या दहेज कोलेकर कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था के संबंध में पुख्तासाक्ष्य पत्रावली में पर लाना।
24. घटना के ठीक पूर्व मृतका की दहेज को लेकर परेशान करने की बात के संबंध में किसी से बात हुई हो के संबंध में तपतीश करना।
25. यदि मृतका की मृत्यु जलने हुई है तो आग के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।
26. घटनास्थल पर जलने के साधन केरोसिन, माचिस, पेट्रोल, उपलब्ध होने पर उनको जरिये फर्द जब्त करना।
27. मृतका के कपड़ों पर केरोसिन पेट्रोल व जलने के साक्ष्य होने पर कपड़ों को पृथक से जब्त करना।
28. मृतका की मृत्यु जलने, चोट लगने, फांसी लगने, जहर खाने से हुई है तो मृत्यु मानव वध (Homicidal), आत्महत्या (Suicidal), अथवा दुर्घटना (Accidental), में से किस प्रकार है के संबंध में चिकित्सक से राय प्राप्त करना।
29. मृतका द्वारा जहर खाने के प्रकरण में जहर के स्रोत शिशी इत्यादि को मौके से जब्त करना।
30. घटनास्थल पर मृतका द्वारा की गई उल्टी के अलामात पाये जाने पर उसे जब्त करना।
31. मृतका की मृत्यु फांसी या दम घुटने की स्थिति में होने पर घटना स्थल पर निम्न अनुसंधान सुनिश्चित करना।
 - यदि घटनास्थल बंद कमरा है तो अन्दर से कुन्दी लगी हुई है या नहीं ?
 - क्या परिजनों द्वारा दरवाजा तोड़ दिया गया है ?
 - यदि दरवाजा तोड़ा गया है तो कुन्दी की क्या स्थिति है ?
 - फांसी छत के कुन्दे या पंखे या बीम या अन्य किस स्थिति में लगाई गई है ?
 - क्या परिजनों द्वारा शव को नीचे उतार लिया गया है ?
 - यदि शव उतार लिया गया है तो अब शव की स्थिति क्या है ?
 - क्या फंदा गर्दन से निकाल लिया गया है ?
 - गले में फंदा रस्सी का या साड़ी का या अन्य किस वस्तु का है ?
 - फंदे की गांठ गर्दन के किस हिस्से पर है ?
 - यदि शव लटका हुआ है तो उसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है ?
 - मृतक के शरीर पर कोई चोट है या नहीं ?
32. मृतका के शव की स्थिति के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर तपतीश करना।
 - जीभ का मुंह से बाहर आना।
 - आंखे बाहर आकर पुतलियां फैल जाना।
 - चेहरा पीला व सफेद पड़ जाना।
 - मल-मूत्र बाहर निकल आना।
 - हाथों की मुठियां भिंची होना।
33. फांसी के लिए उपयोग में लिए गये फंदे को जब्त करना
34. फांसी मृत्यु से पूर्व है या मृत्यु के पश्चात इस संबंध में चिकित्सक से तुरन्त राय प्राप्त करना।

35. अभियोग में अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार करना।
36. अभियुक्तों से घटना के संबंध में पूछताछ कर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार करना।
37. अभियुक्त द्वारा कोई सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम {23(2) BSA} के संबंध में दी जाती उसे रिकॉर्ड करना।
38. बरामद वस्तु को जरिये फर्द बरामदगी पत्रावली पर लेना।
39. फर्द बरामदगी नक्शा मौका तैयार कर शामिल पत्रावली करना।
40. बरामद वस्तु/अलामात को संबंधित थाने के मालखाने में सुनिश्चित करना।
41. अलामात को मालखाना में जमा करने की मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली
42. जब्त/बरामद शुदा माल को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजने के लिये अग्रेषण पत्र तैयार करना।
43. एफ.एस.एल. से राय प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना।
44. प्रकरण में अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करना।

जारकर्म एवं बलात्कार में अन्तर इस प्रकार है—

जारकर्म धारा 497 भा.द.स.	बलात्कार धारा 63 BNS {375 IPC}
1. यह हल्का अपराध है।	1. यह अधिक गम्भीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
2. इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। महिला विवाहिता होनी चाहिए।	2. यदि महिला 15 वर्ष की आयु से कम है तब अपराध होता है।
3. इसमें पति असंतुष्ट पक्ष होता है।	3. इसमें महिला असंतुष्ट पक्ष होता है।
4. यह विवाह से सम्बन्धित अपराध है।	4. परन्तु बलात्कार किसी महिला के शरीर के विरुद्ध अपराध है।
5. इसमें महिला की इच्छा व रजामंदी होती है। इसमें दोनों ओर रजामंदी होनी चाहिए।	5. बलात्कार में महिला की इच्छा के विरुद्ध व उसकी रजामंदी के बिना अपराध होता है इसमें महिला की रजामंदी या इच्छा का अभाव रहता है।
6. इसमें महिला का विवाहित होना आवश्यक है। वह दूसरे व्यक्ति की पत्नी हो जिसके साथ संभोग किया हो।	6. बलात्कार किसी भी महिला के साथ हो सकता है चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो।

नवीनतम संशोधन —

धारा 43 BNSS {46 CRPC} —महिलाओं को गिरफ्तारी के संबंध में विशेष प्रावधान

जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियाँ न हो। किसी महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए स्पर्श नहीं करेगा। केवल असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। जहाँ ऐसी असामान्य परिस्थितियाँ विद्यमान हो एक महिला पुलिस अधिकारी रिपोर्ट क्षेत्राधिकार के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

धारा 48 BNSS{50(A) CRPC} —गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित किये गये व्यक्ति को सूचना देने का दायित्व —

गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसी गिरफ्तारी तथा उस स्थान जहाँ उसे गिरफ्तार कर रखा गया है, के सम्बंध में तत्काल गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रों सम्बन्धियों या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाए।

2. गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाते ही उसके इस अधिकारी के बारे में बताया जाये।
3. गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाने के सम्बन्ध में केस डायरी फर्द रोजनामाचा में रपट दर्ज।
4. जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाये, उस मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि उपरोक्त अनुपालना से संतुष्ट हो।

धारा 51 BNSS{53 CRPC} –स्पष्टीकरण जोड़ा गया

परीक्षा शब्द के अन्तर्गत, रक्त-रक्त के धब्बों, यौन अपराध के मामलों में वीर्य, शल्य क्रिया में प्रयुक्त सोखने वाला थूक और पसीने, बालों के नमूने, उंगुली के नाखून की कतरने की परीक्षा सम्मिलित होगी। जो आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग द्वारा की जायेगी। जिसमें डीएनए प्रोफाइल एवं अन्य ऐसे परीक्षण जैसा कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आवश्यक समझे होंगे।

(ख) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय का अर्थ ऐसा चिकित्सा व्यवसाय जिसकी भारतीय परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 2 (ज) में परिभाषित अनुसार हो।

धारा 52 BNSS{53(A) CRPC} –चिकित्सा व्यवसाय द्वारा बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा –

1. बलात्कार के अपराध या प्रयास के अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु राजकीय चिकित्सक या उसकी अनुपस्थिति में अपराध स्थल से 16 कि.मी. की परिधि में अन्य पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रार्थना पर करेगा। व परीक्षा हेतु आवश्यक बल प्रयोग कर सकेगा।
2. परीक्षा करने वाला बिना देरी परीक्षा करेगा व परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें अभियुक्त को उसका लॉयर व्यक्ति के नाम, पत्ते, अभियुक्त के चोट के निशान डीएनए प्रोफाइलिंग के लिये गये वस्तु अन्य उपयोगी विवरण
3. रिपोर्ट में उन कारणों का विवरण जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।
4. रिपोर्ट में परीक्षा माध्यम करने व समाप्त करने का समय।
5. चिकित्सा व्यवसाय बिना देरी I/O को रिपोर्ट देगा।

धारा 53 BNSS{54 CRPC} –गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसका परीक्षण केवल महिला चिकित्सा व्यवसाय द्वारा किया जायेगा

परीक्षण के अभिलेख की प्रति गिरफ्तार व्यक्ति या उसके द्वारा निदेशित व्यक्ति को दी जावेगी।

धारा 54 BNSS{54(A) CRPC} गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान –जब किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। और ऐसे अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान कराया आवश्यक हो तो किसी एस एच ओ की प्रार्थना पर न्यायक्षेत्र वाला न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति की स्वंय की पहचान किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से कराने के लिए उचित निर्देश दे सकता है।

परन्तु गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्यवेक्षण में सुनिश्चित की जावेगी जो ऐसे तरीके को प्रयुक्त करने हुए कि व्यक्ति इसमें सहज महसूस करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पहचान रहा है। यही गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक असमर्थ है तो पहचान प्रक्रिया को विडियोग्राफी की जा सकती है।

धारा 173 BNSS{154 CRPC} महिला द्वारा 124(1), 124(2), 74, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 70(1), 79 BNS{326ए, 326बी, 354, 354बी, 554सी, 354डी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी तथा 509 IPC} के अधिन अपराध किये जाने या प्रयास के अपराध कह सुचना महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जावेगी।

परन्तु इतला दर्ज करवाने वाली महिला मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो ऐसी सुचना विशेष शिक्षण या अनुवादक की मौजदगी में व्यक्ति के निवास या पसंद के सुविधाजनक स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जावेगी

ऐसी सुचना लेखबद्ध किये जाने की विडियोग्राफी की जा सकेगी।

पुलिस अधिकारी यथा संभव 164 (5ए) केखण्ड 5 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति के बयान लेखबद्ध करवायेगा।

160 का संशोधन {179 BNSS} –पन्द्रह वर्ष से कम आयु या महिला के स्थान पर पन्द्रह वर्ष की आयु से कम से साठ वर्ष की आयु से अधिक या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति पढ़ा जाए।

161सी आर पी सी का संशोधन {180 BNSS} –निम्नलिखित जोड़ा गया उस महिला जिसके विरुद्ध 74, 75, 76, 77, 78, 64, 66, 67, 68, 71, 79 BNS {354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 376, 376ए 376बी 376सी 376ई और 509 IPC} के अधिन अपराध कारित होने का प्रयास किये जाये का अभिकथन किया गया है। के बयान उपधारा (5) में विहित तरिके से तुरन्त करेगा जैसे ही अपराध कारित होना पुलिस की जानकारी में आ जाये।

परन्तु बयान देने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो मजिस्ट्रेट बयान लेखबद्ध करने में अनुवादक या विशेष शिक्षक की मदद करेगा। तथा उक्त बयानों की विडियो ग्राफी की जा सकेगी।

(बी) मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ के (क) के अधीन लेखबद्ध बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 {160 BSA} के अनुसार मुख्य परीक्षा के स्थान पर विचारित किये जायेगे कि बयान देने कि विचारण के समय उसे लेख बद्ध करने की आवश्यकता के बिना ऐसे बयान पर प्रति परीक्षा की जा सकेगी।

173 का संशोधन {193 BNSS}—376डी के स्थान पर 376डी या धारा 376ई प्रतिस्थापित किया जायेगा।

234, 199, 200, 74, 75, 76, 77, 78, 143, 63, 66, 67, 68, 71(1), 79 BNS {197, 166ए, 166बी, धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 370, 375, 376ए से 376डी व 509 IPC} के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा अपराध किये जाने पर अभियुक्त लोक सेवक के मामले में अभियोजन स्वीकृती की आवश्यकता नहीं होगी।

2. सड़क दुर्घटना प्रकरण –

01. धारा 281, 106, 125 BNS {279, 304अ, 336, 337, 338 IPC}

धारा 281 BNS {279 IPC}—लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना—

जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो।

दण्ड— छः मास का कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना— {305(4A) IPC}— (1) जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटी में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 05 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया सम्पादित कर रहा हो, कारित किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्स अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है।

(2) जो कोई, यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटी में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात् इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानती, अशमनीय, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 125 BNS {336 IPC}—कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो—

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

दण्ड— तीन मास तक का कारावास या 2500 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 125 BNS {337 IPC} कार्य द्वारा उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो—

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा।

दण्ड— छः मास तक का कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 125 BNS {338 IPC} – कार्य द्वारा घोर उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो-

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा।

दण्ड- तीन वर्ष तक का कारावास या 10000/- रुपये जुर्माना या दोनों।

02. मोटर वाहन अधिनियम 133, 134 नोटिस तैयार करना-

धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम – अनुसंधान के दौरान दुर्घटना में लिप्त वाहन के चालक व परिचालक व उसके द्वारा धारित किये गये लाइसेन्स की जानकारी हेतु धारा 133 मोटर वाहन अधि. के तहत नोटिस जारी किया जाता है। वाहन के पंजीकृत मालिक को पुछा जाता है कि वक्त दुर्घटना वाहन का चालक व परिचालक कौन था व उसके पास किस श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेन्स था। पंजीकृत मालिक द्वारा इस नोटिस के जवाब में उक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यालय पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमन्द राज.

क्रमांक :-

दिनांक :-

नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट

वास्ते –

श्री विजय कुमार पुत्र मदनलाल जैन निवासी मकान नं. 4/21 रूप नगर, राजनगर , थाना राजनगर जिला राजसमन्द राज.।

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि थाना राजनगर के प्रकरण संख्या 22/2015 धारा 279, 304क, भादस में जब्त सुदा मारुती वेगन-आर. कार नम्बर आर.जे. 30 यू.ए. 4012 के आप रजिस्टर्ड स्वामी है, उक्त कार दिनांक 20.04.2015 को वक्त दुर्घटना कौन चला रहा था, वह कहां जा रहा था, बतावें। वह उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन, इन्सोरेन्स, आदि कागजात पेश करें।

इसे आवश्यक समझा जावे।

अनुसंधान अधिकारी

थाना राजनगर, राजसमन्द।

धारा 134 मोटर वाहन अधिनियम- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत वाहन चालक को नोटिस जारी कर उसके दायित्व की पालना बाबत जानकारी चाही जाती है।

1. दुर्घटना होने की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दी गई।
2. क्या दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाना।
3. क्या वाहन जिस कम्पनी से बीमित है उसे सूचना दी गई।

कार्यालय पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमन्द राज.

क्रमांक :-

दिनांक :-

नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट

वास्ते –

श्री विजय कुमार पुत्र मदनलाल जैन निवासी मकान नं. 4/21 रूप नगर, राजनगर , थाना राजनगर जिला राजसमन्द राज.।

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि थाना राजनगर के प्रकरण संख्या 22/2015 धारा 279, 304क, भादस में जब्त सुदा मारुती वेगन-आर. कार नम्बर आर.जे. 30 यू.ए. 4012 को दिनांक 20.04.2015 को वक्त

दुर्घटना आप द्वारा चलाना पाया गया है। अतः आप बतावें कि वक्त घटना उक्त कार से कहां से कहां जा रहे थे। इस सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर पेश करें। व अपना डी.एल. भी पेश करें।
इसे आवश्यक समझा जावे।

अनुसंधान अधिकारी
थाना राजनगर, राजसमन्द।

03.अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही –

- 1.एफआईआर दर्ज करना।
- 2.घटनास्थल पर पहुंचना।
- 3.प्रार्थी व गवाहों के बयान दर्ज करना।
- 4.दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेना।
- 5.मोके की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करवाना।
- 6.दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों का मेकेनिकल मुआयना करवाना।
- 7.वाहन स्वामी को धारा 133 का नोटिस देना।
- 8.मजरुबान् का मेडिकल मुआयना करवाना,एवं मृतकों का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टन करवाना।
- 9.अन्य साक्ष्य संकलित करना।
10. आरोप पत्र तैयार करना।

साक्ष्य चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना—

क्रस	संकलित साक्ष्य	क्या साबित करेगा।
1	एफआईआर, बयान प्रार्थी व गवाह	अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के साथ अपराध करने की घटना के होने की पुष्टि करेंगे।
2	चोट प्रतिवेदन एल्कोहल रिपोर्ट	घटना में पीड़ित के शरीर पर चोट आने व उनकी प्रकृति की पुष्टि करेगा। आरोपी का मेडिकल मुआयना से उसकी लिप्तता साबित होगी।
3	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	मृतक की दुर्घटनावश मृत्यु होने, समय व कारण की पुष्टि करेगा। मृतक की आयु, लिंग को साबित करेगा।
4	फर्द पंचायतनामा	मृतक की दुर्घटना में मृत्यु होने, शरीर पर चोटे व अस्थीभंग होने व मृत्यु के कारण का प्रारम्भिक आधार व लाश मृतक की होने की पहचान को साबित करेगा।
5	फर्द घटनास्थल निरीक्षण	घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर टायर के निशान, टूल माक्र व अन्य भौतिक साक्ष्य घटना होने की व आपराधिक दायित्व की पुष्टि करेंगे। घटना में वाहनों की लिप्तता की पुष्टि।
6	फोटोग्राफी एवं मेकेनिकल मुआयना	घटना के होने, वाहन चालक की गलती व वाहन की संलिप्तता की पुष्टि होगी। फर्द में अंकित टायर व टूल माक्र व ब्रेक लगाने के निशान वाहन की गति आदि की पुष्टि करेंगे।
7	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	वाहनों में आए मैकेनिकल त्रुटि की पुष्टि होगी।
8	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस	वक्त घटना वाहन चला रहे चालक व घटना के समय वाहन में मौजूद परिचालक व उनके लाइसेन्स की श्रेणी जानकारी मिलेगी।
9	ड्राइविंग लाइसेन्स	आरोपी चालक के पास उपर्युक्त श्रेणी का लाइसेन्स होने व वाहन चलाने योग्य होने को साबित करेगा।
10	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	वाहन स्वामी वाहन के वास्तविक पंजियन नम्बर, मॉडल, मेक वर्ष की जानकारी होगी।
11	फर्द जब्ती वाहन	वाहन का घटना में दुर्घटनाग्रस्त होना व घटना होने की तरिके की जानकारी मिलेगी।
12	बीमा प्रमाण पत्र	वाहन को बीमित होने व उसकी कम्पनी श्रेणी, बीमा अवधि की जानकारी

		मिलेगी। 1
13	धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस	वाहन चालक द्वारा वक्त दुर्घटना उसके दायित्वों की पालना करने या न करने की जानकारी मिलेगी।
14	कॉलडिटेल् एनालेसिस व मोबाईल लोकेशन	आरोपी की वक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थिति।
15	टॉल नाके की सीसीटीवी फुटेज	वाहन की पहचान व वाहन का घटनास्थल की दिशा से आने का साक्ष्य
		निकटतम थाने पर दुर्घटना की सूचना देना। अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर घायलों को निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाना। वाहन किस बीमा कम्पनी से बीमित है उस कम्पनी को दुर्घटना की सूचना देना। उपरोक्त दायित्व को नहीं करने पर धारा एमवी एक्ट का अपराध साबित होगा।

06. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना

3. मारपीट व बलवा प्रकरण

1. भारतीय न्याय संहिता की धारा – 115 से 119, 124 से 127, 189 से 196

धारा 115(1) BNS स्वेच्छया उपहति कारित करना {321 IPC} – जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह “स्वेच्छया उपहति करता है” यह कहा जाता है।

धारा 115(2) BNS स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड {323 IPC} – उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 116 BNS घोर उपहति {320 IPC} –

पहला—पुंस्तवपहरण है।

दूसरा—किसी भी आंख की दृष्टि को स्थाई रूप से समाप्त करना।

तीसरा—दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति स्थाई रूप से नष्ट करना।

चौथा—किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद।

पांचवा—किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थाई नाश।

छठा—सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण।

सातवां—अस्थि या दांत का भंग या विसंधान।

आठवा—ऐसी चोट पहुंचाना जिससे 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहे वह मामूली काम करने में असमर्थ रहें।

धारा 117(1) BNS {322 IPC} – जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिससे कारित करने का आशय या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है और घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता, घोर उपहति हो, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति करता है यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है। सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो या घोर उपहति कारित होना

वह सम्भाव्य जानता हो किन्तु यदि वह यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोर उपहति कारित है तो वह स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है।

धारा 117(2) BNS स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड {325 IPC} – उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 117(3) BNS जो कोई उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है जो उस व्यक्ति को स्थाई दिव्यांगता कारित करता है या लगातार विकृतशील दक्षा में डाल देता है वह ऐसे अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय होगा जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु आजीवन कारावास तक हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के प्राकृत जीवन शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत है।

धारा 117(4) BNS जहां पांच या अधिक व्यक्तियों के समुह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है वहां ऐसे समुह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना के लिये भी दायी होगा।

धारा 118(1) BNS खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना {324 IPC} – तेज या धारादार हथियार द्वारा, अग्नि द्वारा तप्त पदार्थ द्वारा, जहर द्वारा, विस्फोटक द्वारा जीवजन्तु द्वारा रासायनिक पदार्थ द्वारा स्वेच्छया चोट पहुंचाना।

दण्ड— तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों।

धारा 118(2) BNS खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना {326 IPC} – धारदार व खतरनाक उपकरण द्वारा, अग्नि, तप्त पदार्थ, विष, विस्फोटक पदार्थ जीवजन्तु द्वारा जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाएगा।

दण्ड— आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास और जुर्माना।

धारा 119(1) BNS सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना {327 IPC} – जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए। **दण्ड**— दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 119(2) BNS संपत्ति हड़पने या किसी अवैध काम के लिए मजबूर करने के लिए जान-बूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है {329 IPC} –

इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी को जहरीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाता है या मौत भी हो जाती है, तो यह गंभीर अपराध माना जाता है।

इस अपराध में, आरोपी को आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना किसी न्यायिक आदेश के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

यह एक गैर-जमानती अपराध है।

इस मामले की सुनवाई सेशन न्यायालय में होती है।

धारा 124(1) BNS {326(A) IPC} : अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना— किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि यह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करें, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित कारित करता है या निःशक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

धारा 124(2) BNS {326(B) IPC} : स्वेच्छया अम्ल फेंककर या फेंकने का प्रयत्न करना — जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 — धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए “अम्ल” में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसे शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या क्षति करने योग्य अस्थायी या स्थायी निःशक्तता हो जाती है।

स्पष्टीकरण 2 — धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकास का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।

धारा 125 BNS {336 IPC}—कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो—

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

दण्ड— तीन मास तक का कारावास या 2500 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 125 BNS {337 IPC} कार्य द्वारा उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो—

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा।

दण्ड— छः मास तक का कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 125 BNS {338 IPC} — कार्य द्वारा घोर उपहति जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो—

जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा।

दण्ड— तीन वर्ष तक का कारावास या 10000/— रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 126(1) BNS {339 IPC} —सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में — जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में, जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कहा जाता है।

टपवाद — भूमि के या जल के ऐस प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध नहीं है।

दृष्टांत — क एक मार्ग में, जिससे होकर जाने का य का अधिकारी है सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है। य जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है। क, य का सदोष अवरोध करता है।

धारा 126(2) BNS {341 IPC} —सदोष अवरोध के लिये दण्ड— एक माह का कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 127 BNS –संदोष परिरोध

(1) जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार संदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का संदोष परिरोध कहा जाता है,

दृष्टांत

(क) य को दिवार को गिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगा देता है इस प्रकार य दिवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। क ने य का संदोष परिरोध किया है।

(ख) क एक भवन के बाहर जाने के द्वारो पर बन्दूक धारी मनुष्यो को बैठा देता है और य से कह देता है कि यदि य भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे य को गोली मार देगे, क ने य का संदोष परिरोध किया है।

(2) जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध करेगा, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो पाँच हजार रु० तक का हो सकेगा, या दोनो से दंडित किया जायेगा।

(3) जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध तीन या अधिक दिनो के लिये करेगा वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से जो दस हजार रु० तक हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जायेगा।

(4) जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध दस या अधिक दिनो के लिये करेगा वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच साल तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से जो दस हजार से अन्धुन का हो सकेगा। के लिये दायी होगा।

(5) जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को संदोष परिरोध रखेगा की उस व्यक्ति को छोड़ने के लिये रिटसमयक रूप से निकल चुकी वह किसी अवधि के उस कारावास जिससे की वह इस अध्याय की किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनो में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना के लिये भी दायी होगा।

(6) जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता हो की ऐसा परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाये या एतस्मिन्पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाये या उसका पता न चला पाये वह उस दण्ड के अतिरिक्त जिसके लिये वह ऐसे संदोष परिरोध के लिये दण्डनीय हो, किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना के लिये भी दायी होगा।

(7) जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई सम्पति या मूल्यमान प्रतिभूति उद्घापित की जाये या उस परिरुध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिये या कोई ऐसी जानकारी देने के लिये जिससे अपराध किया जाना सुक हो जाये, मजबूर किया जावे वह दोनो में किसी भाँति के कारावास से जिसकी तीन साल तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना के लिये दायी होगा।

(8) जो कोई किसी व्यक्ति का संदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा की परिरुध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्घापित की जाये या वह परिरुध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जावे की वह किसी सम्पति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाये या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी सम्पति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन करवाया जा सके वह दोनो से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना के लिये भी दायी होगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 के समरूप है।

धारा 189(1) BNS विधि विरुद्ध जमाव {141 IPC} – पांच या अधिक व्यक्तियों को जमाव “विधि विरुद्ध जमाव” कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य निम्न लिखित हो—

(1) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा आतंकित करना

(क) केन्द्र सरकार को या,

(ख) राज्य सरकार को या,

(ग) विधायिका को या,

- (घ) विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते समय किसी भी लोक सेवक को
- (2) किसी विधि के ,या किसी वैध आदेशिका के, निष्पादन का प्रतिरोध करना
- (3) किसी रिश्ति या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करन,
- (4) आपराधिक बल का प्रयोग करके
- (क) किसी सम्पत्ति को कब्जे में लेना या उसे अभिप्राप्त करना,
- (ख) किसी व्यक्ति को उसके किसी अमूर्त अधिकार से वंचित करना
- (ग) किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू करना।
- (5) आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को विवश करना
- (क) ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने को वह वैध रूप से बाध्य नहीं है, या
- (ख) ऐसा कार्य का लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार है

स्पष्टीकरण— कोई जमाव जो इक्कट्टा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है

धारा 189(2) BNS विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना {142 IPC} – जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है यह कहा जाता है

धारा 189(2) BNS {143 IPC} – दण्ड— जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(3) BNS {145 IPC} – जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुये ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा,बना रहेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(4) BNS {144 IPC} – जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य है, सज्जित होते हुये किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(5) BNS {151 IPC} पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानतें हुए सम्मिलित होना या बने रहना – जो कोई पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना सम्भाव्य हों, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा 145 के अधीन दण्डनीय होगा।

धारा 189(6) BNS { 150 IPC} विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता – जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाडतरे पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियोजित करने का सम्प्रवर्तन करेगा या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था।

धारा 189(7) BNS { 157 IPC} जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिये किसी गृह या उसके अधिभोग या प्रभार के अधिन किसी परिसर में संश्रय , आश्रय , जमाव करता है या यह जानते हुये की ऐसे व्यक्ति , किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिये भाड़े पर लिये गये हैं, लगाये गये हैं या नियोजित किये गये हैं या उससे जुड़ने के लिये भाड़े पर लिये जाने हैं या भाड़े पर लगाये जाने हैं या नियोजित किये

जाने है वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से , दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(8) BNS { 158 IPC} जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्ही कृत्यो को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर या नियोजन किये जाने हेतु प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है या नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है , वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से , दण्डित किया जायेगा।

धारा 189(9) BNS { 158 IPC} जो कोई उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट इस प्रकार नियोजित या भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है या आयुध सहित नियोजन या प्रस्ताव करता है , घातक आयुध से सज्जित होकर या किसी ऐसे आयुध का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित करने के अपराध की सम्भयवता है तो वह वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से , दण्डित किया जायेगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 141, 142, 143, 145, 150, 151, 157, 158 के समरूप है।

धारा 190 BNS {149 IPC} – विधि विरुद्ध जमाव को हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी – यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 191(1) BNS {146 IPC} – बलवा करना– जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव को हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा 191(2) BNS {147 IPC} – बलवा करने के लिए दण्ड– जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 191(3) BNS {148 IPC} –घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना– जो कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किये जाने के रूप में मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुये बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 192 BNS {153 IPC} बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना– यदि बलवा किया जाए– यदि बलवा न किया जाए – जो कोई अवैध बात करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाएगा, यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 193 (1) BNS {154 IPC} – उस भूमि के स्वामी , अधिभोगी , आदि , जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बलवा किया गया गया है, का दायित्व

जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो तब भूमि , जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव या ऐसा बलवा किया जाये , उस स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाले या हितरखने का दावा करने वाला व्यक्ति , एक हजार रु 0 अनधिक के जुर्माना से दण्डनीय होगा यदि वह या उसको अभिकर्ता या प्रबन्धक यह जानते हुये कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुये कि ऐसे अपराध का किया जाना सम्भाव्य है , उस बात की अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है और उस दक्षा में जिसमें उसे या उन्हे यह विश्वास करने का कारण हो कि लगभग किया ही जाने वाला है अपनी शक्तिभर सब विधिपूर्ण साधनो का उपयोग उसका निवारण करने के लिये नहीं करता है या करते है और उसके हो जाने पर अपने शक्तिभर सबविधिपूर्ण

साधनो को उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने या बलवे को दबाने के लिये उपयोग नहीं करता है या करते हैं ।

धारा 193 (2) BNS {155 IPC} जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिये या उसकी और से बलवा किया जाये जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो , स्वामी या अधिभोगी या जो ऐसी भूमि में या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवाद ग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर या पा चुका हो तब ऐसा व्यक्ति जुर्माना से दण्डनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबन्धक इस बात विश्वास करने का कारण रखते ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था वह जमाव किया जाना संभाव्य था अपनी शक्तिभर सबविधि पूर्ण साधनो का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना निवारित करने के लिये और उसे दबाने और बिखरने के लिये उपयोग नहीं करेगा या करेगे ।

धारा 193 (3) BNS {156 IPC} जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिये या ऐसे व्यक्ति की और से बलवा किया जावे जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो , स्वामी हो या अधिभोगी हो या जो ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हितरखने का दावा करता हो या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर या पा चुका हो तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबन्धक जुर्माना से दण्डित होगा यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबन्धक यह विश्वास रखने का कारण रखते हुये कि ऐसे बलवे का किया जाना संभाव्य था या जिस विधिविरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था उसका किया जाना संभाव्य था अपनी शक्तिभर सबविधिपूर्ण साधनो का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिये और उसको दबाने और बिखरने के लिये उपयोग नहीं करेगा या करेगे ।

धारा 194 (1) (2) BNS {159, 160 IPC} दंगा

(1) जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़ कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं ।

(2) जो दंगा करता है वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो एक हजार रु० तक का हो सकेगा । या दोनो से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 195 BNS {152 IPC} लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना —

(1) जो कोई ऐसे किसी लोकसेवक पर, जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का, या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोकसेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा, या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे लोकसेवक पर अपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या करने की धमकी देगा, या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधिविरुद्ध जमाव के बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य निर्वहन में कर रहा हो , हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या किसी लोक सेवक पर अपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी देगा या उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनो से दण्डित किया जायेगा ।

धारा 196 BNS {153(A) IPC} — धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना—

(1) जो कोई

(क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रिया कलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किये जायेंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे या सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जायेंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से, भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध— जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

धारा 153 (ख) राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान — ऐसा कोई लांछन लगायेगा या प्रसारित करेगा कि किसी वर्ग व्यक्ति इस कारण से कि वह किसी धार्मिक मूल वंशीय या प्रादेशिक समूह जाति या समुदाय के सदस्य है विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखण्डता की मर्यादा नहीं बनाये रख सकते, यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से वह किसी धार्मिक मूल वंशीय या प्रादेशिक समूह जाति या समुदाय के सदस्य है भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिये जाये उन्हें उनसे वंचित किया जाये ऐसे प्राख्यान से शत्रुता या घृणा या वैमन्यता की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की सम्भावना है व कारावास से जो तीन वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा। उक्त कृत्य उपासना स्थल में या धार्मिक कार्य में लगे हुए स्थान पर करेगा वह कारावास से जो 5 वर्ष का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना — यदि कोई व्यक्ति मारपीट के कारण मरणासन्न अवस्था में है तो उसका बयान शीघ्रताशीघ्र लेखबद्ध करने आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी स्वयं भी बयान दर्ज कर सकता है। मृत्युकालिन बयान व्यक्ति के मृत्यु के कारण या उससे जुड़ी हुई परिस्थितियों से सम्बन्धित होने चाहिये। यदि व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है तो संकेतो या चिन्हों को समझ कर दर्ज करने चाहिए।

4. राजकार्य में बाधा प्रकरण

धारा 221 BNS लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना— {186 IPC} जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा या बाधा डालेगा।

दण्ड—तीन मास तक का कारावास, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक का होगा या दोनों।

धारा 121(1) BNS लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना {332 IPC} —लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्तव्य की विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर साधारण चोट कारित करना। सजा—पांच वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 121(2) BNS लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना {333 IPC} —लोक सेवक जब अपनी ड्यूटी पर हो और अपने कर्तव्य का विधिपूर्ण निर्वहन कर रहा हो, को

ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर जानबूझकर घोर उपहति कारित करना। सजा—दस वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 132 BNS लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {353 IPC} — जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयत्नित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा।

दण्ड— दो वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों।

पी.डी.पी.पी. एक्ट धारा 3. लोक सम्पत्ति को हानि कारित करने वाली रिष्टी— (1) जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय, किसी लोक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई कार्य करके रिष्टी कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

(2) कोई निम्नलिखित प्रकार की, किसी लोक सम्पत्ति का कोई कार्य करके रिष्टी कारित करता है—

(क) जल, प्रकाश, बिजली या उर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के लिये प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति,

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान,

(ग) कोई मल संकरम्,

(घ) कोई खान माइन या कारखाना,

(ङ.) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे सम्बन्धित या प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठान अथवा अन्य सम्पत्ति वह ऐसे जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित कारणों से छह माह से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

5. चोरी, नकबजनी आदि प्रकरणों का अनुसंधान

धारा 303 {378, IPC}- (1) जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्पत्ति के बिना कोई जंगम म्पति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण:— 1. जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्योंही वह भूमि से पृथक् की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।

स्पष्टीकरण:— 2. हटाना, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा।

स्पष्टीकरण:— 3. कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है ज वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को दूसरी चीज से पृथक् करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।

स्पष्टीकरण:— 4. वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव— जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीव—जन्तु को हटाता है, यह कहा जाता है और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणामस्वरूप उस जीव—जन्तु द्वारा हटाई जाता है।

स्पष्टीकरण:— 5. इस धारा में वर्णित सम्पत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है।

(क) व की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से व की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है। यहां ज्योंहि क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की।

(ख) क अपनी जेब में कुती के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार य के कुतो को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहां, यदि क का आशय य की सम्मति के बिना या य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो ज्योंहि य के कुत्ते ने क के पीछे चलना आरम्भ किया, क ने चोरी की।

(ग) मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हांकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सकें। ज्योंहि उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की।

(घ) क, जो य का सेवक है और जिसे य ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया। क ने चोरी की।

(ङ) य यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक, क को जो एक भण्डागारिक है, न्यस्त कर देता है। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहां वह प्लेट य के कब्जे में नहीं था इसलिए वह य के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और क ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यासभंग किया हो।

(च) जिस गृह पर य का अधिभोग है उसके मेज पर य की अंगुठी क को मिलती है। यहां वह अंगुठी य के कब्जे में है, और यदि क उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है।

(छ) क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगुठी मिलती है, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है क ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है भले ही उसने सम्पति का अपराधिक दुर्विनियोग किया हो।

(ज) य के घर में मैज पर पड़ी हुई य की अंगुठी क देखता है। तलाशी व पता लगाने के भय से उस अंगुठी का तुरन्त दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए क उस अंगुठी को ऐसे स्थान पर, जहां से उसका य को कभी भी मिलना अति अनिधिसम्भाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे जबकि उसका खोया जाना याद न रहे। यहां, क ने उस अंगुठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की है।

(झ) य को, जो एक जोहरी है, क अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिये परिदत्त करता है। य उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। क जिस पर उस जोहरी का, कोई ऋण नहीं है, जिसके लिये की वह जोहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रोक सके, खुलेतोर पर उस दुकान में घूसता है, य के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है, और उसको ले जाता है। यहां क ने भलै ही अपराधिक अतिचार और हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की है क्योंकि जो कुछ भी उसने किया, बेईमानी से नहीं किया।

(ण) यदि उस घड़ी की मरम्मत के सम्बंध में य को क से धन शोध्य है, और यदि य उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को य के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि य को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस सम्पति से वंचित कर दे तो उसने चोरी की है क्योंकि जो कुछ वह लेता है, उससे बेईमानी से लेता है।

(ट) यदि क अपनी घड़ी य के पास पण्यम करने के बाद घड़ी के बदले लिये गये ऋण को चुकाये बिना उसे य के कब्जे से य की सहमति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यदि वह घड़ी उसकी अपनी ही सम्पति है, क्योंकि वह कुछ लेता है, उसे बेईमानी से लेता है।

(ठ) क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक की उसके प्रयार्वतन के लिये पुरस्कार के रूप में उसे य से धन अभिप्राप्त न हो जाये, य की सहमति के बिना य के कब्जे में से लेता है। यहां क बेईमानी से लेता है इसलिये क ने चोरी की है।

(ड) क जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है, और य की अभिव्यक्त सहमति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिये और वापिस करने के आशय से ले जाता है। यहां य अधिसम्भाव्य है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिये उसको य की विवक्षित सहमति प्राप्त है यदि क का यह विचार था, तो क ने चोरी नहीं की है।

(ढ) य की पत्नि से क खेरात मांगता है। वह क को धन, भोजन व कपड़े देती है जिनको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं यहां यह अधिसम्भाव्य है कि क का यह विचार हो कि य की पत्नि को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि क का यह विचार था, तो क ने चोरी नहीं की है।

(ण) क, य की पत्नि का जार है। वह क को एक मूल्यवान सम्पत्ति देती है जिसके सम्बंध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है, और वह ऐसी सम्पत्ति है, जिसको देने का प्राधिकार उससे य से प्राप्त नहीं है। यदि क उस सम्पत्ति को बेईमानी से लेता है, जो चोरी करता है।

(त) य की सम्पत्ति को अपनी स्वयं की सम्पत्ति होने का सदभाव पूर्वक विश्वास करते हुए ख के कब्जे में से उस सम्पत्ति को क ले लेता है। यहां क बेईमानी से नहीं लेता, इसलिये व चोरी नहीं करता है।

(2) जो कोई चोरी करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दुसरे या पश्चावर्ती दोषसिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जाएगा।

परन्तु चोरी के उन मामलो में जहाँ चोरी की सम्पत्ति का मूल्य पाँच हजार रु० से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिये दोषसिद्ध किया गया है, चोरी की गई सम्पत्ति के वापिस करने पर या सम्पत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दण्डित किया जाएगा।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378, 379 के समरूप है।

धारा 305 BNS निवास-गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी {305 IPC} – जो कोई

(क) ऐसे किसी निर्माण, तम्बू, जलयान में चोरी करेगा, जो मानव निवास के रूप या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता हो या

(ख) ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करेगा जो माल या यात्रीयो यातायात के लिये उपयोग किया होता है या

(ग) ऐसे किसी यातायात साधन किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रीयो के यातायात के लिये उपयोग किया होता है या

(घ) किसी पूजा स्थल की मुर्ति या प्रतिक की चोरी करेगा

(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति की चोरी करेगा

वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माना का भी दायी होगा।

धारा 308(1) BNS उद्घापन / जबरन वसूली {383 IPC} जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुँचाने के भय में साशय डालता है, और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित/ मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, सौंपने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह "जबरन वसूली" करता है।

धारा 308(2) BNS उद्घापन के लिये दण्ड {384 IPC} – सात वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 308(3) BNS ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना {385 IPC} जो भी कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड, या दोनों।

यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 308(4) BNS ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना {387 IPC}

जो कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 308(5) BNS किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करना {386 IPC} जो भी कोई किसी व्यक्ति से, स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर ज़बरदस्ती वसूली करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा

सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। सजा – दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

धारा 308(6) BNS जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना {388 IPC}

जो भी कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह ऐसे अपराध (जिसकी सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास, या दस वर्ष तक कारावास है) का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा; तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो सजा – दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।

धारा 308(7) BNS मृत्यु या आजीवन कारावास, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्घापन {389 IPC} जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या करने का प्रयत्न किया है, जो मृत्यु से या आजीवन कारावास, से या ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्घापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा,

धारा 317(1) BNS चोरी का माल {410 IPC} – चोरी के माल (चोरी की सम्पत्ति) से तात्पर्य उस सम्पत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग (अमानत में खयानत) किया गया है या जिसके सम्बन्ध में आपराधिक न्यास भंग (गबन) किया गया है, चाहे वह हस्तांतरण या अमानत में खयानत या गबन, भारत के बाहर किया गया है या भीतर परन्तु यदि इसके पश्चात् वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के पास आ जाती है जो उसके कब्जे का कानूनन अधिकारी है तो वह “चुराई हुई सम्पत्ति” नहीं कहलाती है।

धारा 317(2) BNS चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना {411 IPC} – जो कोई व्यक्ति चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। वह तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 317(3) BNS ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है {412 IPC} जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखे रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा स्थानांतरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

धारा 317(4) BNS चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना {413 IPC} – जो कोई किसी ऐसी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है अभ्यासतः प्राप्त करेगा या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा वह आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 317(5) BNS चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना {414 IPC} जो कोई ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में या व्ययनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छाया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) BSA {27 IEA} फर्द इत्तला, फर्द बरामदगी तैयार करना व जानकारी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष इत्तला देना जिससे कोई वस्तु बरामद होती है या साक्ष्य प्राप्त होता है तो दी गई सूचना न्यायालय में सुसंगत होगी। फर्द सूचना अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक दी जानी चाहिए तथा उसकी भाषा में व स्पष्ट होनी चाहिए।

नमूना फर्द सूचना अर्न्तगत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम {23(2) BSA}

फर्द सूचना अभियुक्त रामा अर्न्तगत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, बसिलसिले तपितश प्रकरण संख्या 19/15 धारा 303(2) BNS {379 IPC} मर्तिबा थाना राजनगर, जिला राजसमन्द, दिनांक 08.05.2015, समय 05.15 पी.एम. स्थान थाना राजनगर।

इस समय जैर हिरासत अभियुक्त रामा पिता जीवा कालबेलिया उम्र 28 वर्ष निवासी नेगड़िया, थाना रायपुर जिला भिलवाड़ा, ने मन् आई.ओ. को स्वेच्छा पूर्वक हवालात के पास बुला सूचना दी कि मेने व कालू ने एक माह पूर्व नेगड़िया से बकरा चुराया जो बकरे की खाल मेनें बिहड़ में पत्थरों की बगड़ में सुखा रखी है। जो मैं चल कर बता सकता हूँ। (हस्ताक्षर अभियुक्त)

फर्द सूचना मूर्तिब कर पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

अनुसंधान अधिकारी
(हस्ताक्षर अभियुक्त)

थाना राजनगर,
राजसमन्द।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
3. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
4. दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना।
5. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी।
6. आरोप पत्र तैयार करना।

चोरी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना

वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना। (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)

साक्ष्य चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना—

क्रस	संकलित साक्ष्य	क्या साबित करेगा।
1	एफआईआर, बयान प्रार्थी एवं गवाहान	घटना के घटित होने, प्रार्थी के साथ अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की पुष्टि करेगा।
2	चुराई हुई सम्पति का मूल बिल, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र आदि।	चुराई हुई सम्पति के मालिकाना हक की पुष्टि करेंगे।
3	फर्द घटनास्थल	घटना के होने की प्रमाणिकता, भौतिक परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा घटनास्थल से वस्तु, सामान आदि पड़ी होने व हटाये जाने (चोरी होने) की पुष्टि करना।
4	फर्द 27 साक्ष्य अधिनियम	अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से सूचना व सूचना पर वस्तु या तथ्य का पता चलना, अपराध में लिप्तता की पुष्टि करेगा।
5	फर्द शिनाख्तागी माल मसरुका	प्रार्थी का स्वयं की सम्पति होना साबित करेगा।
6	कॉल डिटेल् एनालेसिस व मोबाईल लोकेशन	वक्त घटना आरोपीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति को साबित करेगा। अभियुक्तगणों के आपसी सम्बन्ध व मिलकर अपराध करना साबित होगा। आरोपीगण के आने की दिशा व जाने की दिशा का पता लगाया जा सकेगा।
7	फुट प्रिन्ट व फिंगर प्रिन्ट के नमुने व चान्स प्रिन्ट	अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति व अपराध में लिप्तता को साबित करेगा।

वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)

स्कूटनी नोट

अनुसंधान के अन्त में पत्रावली का अवलोकन कर निम्न बिन्दुओं पर चैक लिस्ट तैयार करे-

- 1 प्रकरण संख्या व थाना
- 2 अन्तर्गत धारा
- 3 परिवादी का नाम
- 4 घटनास्थल -
- 5 प्रथम सूचना का प्रकार लिखित/मौखिक -
- 6 FIR में दर्ज अभियुक्तों के नाम
- 7 अनुसंधानकर्ता -
- 8 लिये गये मौखिक कथन
- 1..... 2.....
- 9 संलग्न फर्दों का विवरण -
क्र.सं. विवरण
1.
2.
10. पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का विवरण -
क्र.सं. विवरण
1.
2.
11. प्रकरण में पैण्डिंग स्वीकृति कब-कब प्राप्त की -
12. धारा 41 जा.फौ. के तहत गिरफ्तारी हेतु चैक लिस्ट संलग्न है -
13. धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द सूचना-
14. नकल पुलिस थाना रिकॉर्ड, (मालखाना, रोजनामचा आम, चुराई सम्पति रजिस्टर आदि)
अभियुक्तगणों के नाम हटाने की प्राप्त स्वीकृति का विवरण -
अभियुक्तगणों का नाम
01.
02.
16. अपराधी का पूछताछ नोट -
17. अभियुक्त जिनके नाम हटाये गए हैं
- 1.....
- 2.....
18. अभियुक्त जिनका चालान दिया जा रहा है के नाम
- 1.....
- 2.....
19. अपराध-धारा जो हटाई गई /जोड़ी गई उसका विवरण.....
20. धारा हटाने/जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त की गई या नहीं
21. अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक -
22. प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता है तो प्राप्त अभियोजन आदेश का विवरण (आम्स एक्ट आदि में).....
23. मालखाना आईटम का विवरण जो अनुसंधान के दौरान कब्जे में लिए गए
क्रं स. विवरण फर्द
- 1.....
- 2.....
24. विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए सेम्पल का विवरण
क्रं स. विवरण

1.....

2.....

25. FSL नतीजा प्राप्त हो गया हो तो नतीजा संलग्न है या नहीं।

26. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सेम्पल जमा कराने की रसीद –
क्रं स. विवरण

1.

2.

27. न्यायिक आदेश/विभागीय निर्देश जिनकी पालना आवश्यक है की गई या नहीं

28. आरोप पत्र जिन धाराओं में प्रस्तुत किया जा रहा है –.....

29. अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की साबका सजायाबी का विवरण संलग्न है – क्रं स.
विवरण

1..... 2.....

3..... 4.....

30. जमानती का नाम पता तस्दीक फोटो, मोबाईल नम्बर आदि।

.....धारा

170 के तहत गवाहान के मुचलके संलग्न है या नहीं ?

31. अभियुक्त पुलिस जमानत पर/न्यायिक जमानत/न्यायिक अभिरक्षा/फरार/ मफरूर (उद्घोषित)

32. अभियुक्त की सकुनक तस्दीक/पहचान पत्र सम्बन्धी दस्तावेज

33. पुलिस ब्रीफ संलग्न –

34. अभियोजन समीक्षा संलग्न है–

35. लोक अभियोजक की स्कूटनी की पूर्ती की गई या नहीं –

चोरी और लूट में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 303(1) BNS {378 IPC}	लूट धारा 309(1)/(2)/(3) BNS {390 IPC}
1. सहमति :- अपराधी सम्पत्ति को बिना स्वामी की सहमति के लेता है।	1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है।
2. चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जाती है।	2. लूट या डकैती अचल सम्पत्ति के विषय में भी हो सकती है। यदि वह दबाव डालकर लेने का रूप है अन्यथा नहीं।
3. बल :- चोरी में बल का तत्व नहीं उत्पन्न होता है।	3. लूट या डकैती के सभी रूपों में बल एक जरूरी तत्व है यद्यपि इसका प्रयोग न किया जाए तो भी इसमें कुछ भय हो सकता है।
4. अपराधियों की संख्या :- चोरी केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है।	4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है।
1. भय का तत्व :- चोरी में भय का तत्व नहीं होता।	5. बेईमानी का तत्व विद्यमान होता है।

(ख) चोरी और छल में अन्तर इस प्रकार है–

चोरी धारा 303(1) BNS {378 IPC}	छल धारा 318(1) BNS {415 IPC}
1. इसमें स्वामी की सम्पत्ति बिना सहमति के प्राप्त करता है।	1. इसमें अपराधी दोषपूर्ण ढंग से पीड़ित व्यक्ति से सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है।
2. चोरी में सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से ले ली जाती है।	2. इसमें पीड़ित व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाता है
3. इसमें चल सम्पत्ति को बेईमानी से हटाया जा	3. इसमें किसी वस्तु को लेने के लिए धोखा करना पड़ता है।

सकता है 4. चोरी में सम्पत्ति का होना जरूरी है। 5. चोरी की नीयत से बेईमानी पूर्ण ढंग से किसी निजी सम्पत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जे में लेना।	4. इसमें चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति हो सकती है। 5. यह कपटपूर्वक ढंग से या बेईमानी से धोखा दिये गये व्यक्ति को उस विषय के लिए उत्प्रेरित (प्रलोभन)करता है कि वह किसी सम्पत्ति को दे दे।
--	--

सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स. {100 BNS} कोई व्यक्ति आपराधिक मानव-वध करता है यदि उस का कार्य जिससे मृत्यु हुई निम्न प्रकार से किया गया है—	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स. {101 BNS} कुछ अपवादों के प्रसंग में आपराधिक मानव वध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु हुई हो निम्नलिखित है—
सदोष मानव वध धारा 299 भा.द.स. 1. आशय (नीयत) कार्य मृत्यु करने की नीयत से किया गया है। 2. ज्ञान—कार्य ऐसा हो जिससे मौत होना सम्भव हो। 3. सम्भावना —इस नीयत से शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु होना सम्भव हो।	मानव वध (हत्या) धारा 300 भा.द.स. 1. नीयत—कार्य मृत्यु करने की नीयत से किया गया हो। 2. ज्ञान—कार्य इतना अधिक खतरनाक है जिससे मृत्यु होने की सम्भावना हो गया ऐसी शारीरिक चोट है जिससे मृत्यु होना सम्भव है। 3. इस नीयत से शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे अभियुक्त जानता हो कि प्रकृति के साधारण क्रम में मृत्यु करने के लिए काफी है।

(ख) डकैती एवं लूट में अन्तर इस प्रकार है—

लूट धारा 309(1)/(2)/(3) BNS {390 IPC} 1. यह चोरी या दबाव डालकर लेने का एक उत्तेजित रूप है, जिसमें अपराधी बिना सहमति के सम्पत्ति लेता है। 2. लूट चल या अचल सम्पत्ति दोनों की हो सकती है। 3. इसमें डरा कर लेना और भय दिखलाना आवश्यक है। 4. लूट में एक व्यक्ति भी हो सकता है। 5. इसमें बेईमानी का तत्व भी शामिल है। 6. इसकी सजा धारा 392 आई.पी.सी. {309(4) BNS}में दी गई है। 7. इसकी तैयारी करना अपराध नहीं है।	डकैती धारा 310(1) BNS {391 IPC} 1. इसमें सहमति नहीं होती यदि होती भी है तो अवैध ढंग से प्राप्त की जाती है। 2. डकैती केवल चल सम्पत्ति की हो सकती है। 3. डकैती में भय का तत्व विद्यमान होता है। 4. डकैती में कम से कम पाँच या अधिक व्यक्ति होते हैं। 5. डकैती में बेईमानी का तत्व होता है 6. इसकी सजा धारा 395 आई.पी.सी. {310(2) BNS}में दी गई है। 7. इसकी तैयारी करना अपराध है।
--	--

6. धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज प्रकरण —

कूटरचना से संबंधित प्रकरण

- बेईमानी से (Dishonestly) धारा 2(7) BNS {24 IPC} के अनुसार बेईमानी की परिभाषा — जो व्यक्ति इस आशय से कोई काम करता है कि किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) लाभ हो या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण (अनुचित) हानि हो, तो यह कहा जाता है कि उसने यह बात बेईमानी से की है।
- कपटपूर्वक (Fraudulently) धारा 2(9) BNS {25 IPC} के अनुसार कपटपूर्वक की परिभाषा इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को कपट करने के आशय (इरादे या नीयत) से करे तो उसके लिये कहा जाएगा कि उसने उस काम को कपटपूर्वक किया है अन्यथा नहीं।

● धारा 2(4) BNS {28 IPC} के अनुसार 'कूटकरण' की परिभाषा इस प्रकार है — जो इस प्रकार इस आशय (नीयत) से कि वह उस समानता (सदृश्यता) से धोखा दे या वह जानते हुए कि इसके द्वारा धोखा दिये जाने की सम्भावना है, एक चीज को, दूसरी चीज के समान बनाता है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह "कूटकरण" करता है।

धारा 318(1) BNS छल {415 IPC} — जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह संपत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, वह "छल" करता है कहा जाएगा।

उदाहरण — क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साशय य से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। क छल करता है।

धारा 318(2) BNS छल के लिये दण्ड {417 IPC} —तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 318(3) BNS {418 IPC} —इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानी हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। सजा— 5

वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

धारा 318(4) BNS छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना {420 IPC} — जो कोई छल करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति का जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। **दण्ड—** सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

धारा 319(1) BNS प्रतिरूपण द्वारा छल {416 IPC} — कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

उदाहरण— ख जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का अपदेश करने द्वारा क छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

धारा 319(2) BNS प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड {419 IPC} — तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 335 BNS मिथ्या दस्तावेज रचना {464 IPC} [उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रचता है,—

पहला—जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से—

(क) किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है ;

(ख) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है ;

(ग) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई अंकीय चिह्नक लगाता है ;

(घ) किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या अंकीय चिह्नक की अधिप्रमाणिकता का द्योतन करने वाला कोई चिह्न लगाता है,

कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलैक्ट्रानिक अभिलेख या अंकीय चिह्नक की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन या निष्पादन, लगाए जाने या पारेषित न होने की बात वह जानता है ; या

दूसरा—जो किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्त्विक भाग में परिवर्तन, उसके द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रचित या निष्पादित किए जाने या अंकीय चिह्न लगाए जाने के पश्चात्, उसे रद्द करके या अन्यथा, विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है ; अथवा

तीसरा—जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषयवस्तु को या परिवर्तन के रूप को, विकृतचित्त या मत्तता की हालत होने के कारण जान नहीं सकता था या उस प्रवंचना के कारण, जो उससे की गई है, जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने अंकीय चिह्नक लगाया जाना कारित करता है ।

दृष्टांत

(क) क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है । ख से कपट करने के लिए क 10,000 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपए इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था । क ने कूटरचना की है ।

(ख) क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, य के प्राधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है, जो कि य की ओर से क की सम्पदा का हस्तान्तरपत्र होना तात्पर्यित है । क ने कूटरचना की है ।

(ग) एक बैंकार पर लिखे हुए और वाहक को देय चेक को क उठा लेता है । चेक ख द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है । क 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है । क कूटरचना करता है ।

(घ) क अपने अभिकर्ता ख के पास एक बैंकार पर लिखा हुआ, क द्वारा हस्ताक्षरित चेक, देय धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है । ख को क इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदाय करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि, जो दस हजार रुपए से अधिक न हो अंकित करके चेक भर ले । ख कपटपूर्वक चेक में बीस हजार रुपए अंकित करके उसे भर लेता है । ख कूटरचना करता है ।

(ङ) क, ख के प्राधिकार के बिना ख के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकार से असली विनिमयपत्र की भांति बड़ा देकर उसे भुना ले, और उस विनिमयपत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले, यहां क इस आशय से उस विनिमयपत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकार को यह अनुमान करा दे कि उसे ख की प्रतिभूति प्राप्त है, और इसलिए वह उस विनिमयपत्र को बड़ा लेकर भुना दे । क कूटरचना का दोषी है ।

(च) य की विल में ये शब्द अन्तर्विष्ट हैं कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त शेष सम्पत्ति क, ख और ग में बराबर बांट दी जाए । क बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त सम्पत्ति उसके स्वयं के लिए और ग के लिए ही छोड़ी गई थी । क ने कूटरचना की है ।

(छ) क एक सरकारी वचनपत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द य को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके उसे य को या उसके आदेशानुसार देय कर देता है । ख बेईमानी से य को या उसके आदेशानुसार दे दो इन शब्दों को छीलकर मिटा डालता है, और इस प्रकार उस विशेष पृष्ठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में परिवर्तित कर देता है । ख कूटरचना करता है ।

(ज) क एक सम्पदा य को बेच देता है और उसका हस्तांतर-पत्र लिख देता है । उसके पश्चात् क, य को कपट करके सम्पदा से वंचित करने के लि

धारा 336(1) BNS मिथ्या दस्तावेज {463 IPC} जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दवे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है ।

धारा 336(2) BNS कूटरचना के लिए दण्ड {464 IPC} जो कोई कूटरचना करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

336(3) BNS छल के प्रयोजन से कूट रचना {468 IPC} —जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज जिसकी कूट रचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लायी जावेगी तो वह सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

धारा 336(4) BNS ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन {469 IPC} जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए,

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 337 BNS न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना {466 IPC} जो कोई ऐसे दस्तावेज की या ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख कीट जिसका कि किसी न्यायालय का या न्यायालय में अभिलेख या कार्यवाही होना, या जन्म, वपतिस्मा, विवाह या अन्त्येष्टि का रजिस्टर, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी प्रमाणपत्र की या ऐसी दस्तावेज की जिसके बारे में यह तात्पर्यित हो कि वह किसी लोक सेवक द्वारा उसकी पदीय हैसियत में रची गई है, या जो किसी वाद को संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने का, उसमें कोई कार्यवाही करने का, या दावा संस्वीकृत कर लेने का, 1 2000 के अधिनियम सं021 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा (17-10-2000 से) अंतःस्थापित। 2 2000 के अधिनियम सं0 21 की धारा 91 और पहली अनुसूची द्वारा (17-10-2000 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। भारतीय दंड संहिता, 1860

1[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्टर के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में परिभाषित इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सूची, डाटा या किसी प्रविष्टि का अभिलेख भी है।

धारा 338 BNS {467 IPC} —जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यावान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तक पुत्र के प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यावान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम सम्पत्ति त या मूल्यावान प्रतिभूति को प्राप्त करने का परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित, अथवा किसी दस्तावेज को, जिसका धन दिये जाने की अभिस्वीकृति करने वाला, निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा, वह (आजीवन कारावास) से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 339 – धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को , उसे कुटरचित जानते हुऐ और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुऐ कब्जे में रखना

जो कोई किसी दस्तावेज किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कुटरचित जानते हुऐ और यह आशय रखते हुऐ कि वह कपटपूर्वक या बेईमानी से असली रूप में उपयोग में लाया जाएगा , अपने कब्जे में रखेगा , यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख इस संहिता की धारा 337 में वर्णित भांति का हो तो वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा , तथा यदि वह दस्तावेज धारा 338 में वर्णित भांति का हो तो वह आजीवन कारावास से , या दोनो में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

यह धारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 474 की समरूप है।

धारा 340(1) BNS कूटरचित {470 IPC} 2[दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख वह मिथ्या [दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जो पूर्णतः या भागतः कूटरचना द्वारा रची गई है, कूटरचित [दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, कहलाती है

धारा 340(2) BNS कूटरचित दस्तावेज का असली रूप में उपयोग में लाना {471 IPC} — जो कोई ऐसे दस्तावेज को जिसके बारे में वह यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज है कपटपूर्णक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लायेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानों उसने ऐसी दस्तावेज की कूटरचना की है।

धारा 29 BNS दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समय {91 IPC} — (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर

सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात—

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 {129, 130 BSA} या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी अथवा

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र पोस्टकार्ड तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही –

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
3. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
4. दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना।
5. अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी।
6. आरोप पत्र तैयार करना।

प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना। (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेंगे।)

साक्ष्य चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना—

क्र.स.	संकलित साक्ष्य	क्या साबित करेगा।
1	एफआईआर, बयान प्रार्थी एवं गवाहान	घटना के घटित होने, प्रार्थी के साथ अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करने की पुष्टि करेगा।
2	सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज प्राप्त करना।	धारा 94 BNSS {91 CRPC} के नोटिस द्वारा।
3	विवदित दस्तावेज की जांच करवाना।	विवदित दस्तावेज मय नमूना हस्ताक्षर या राईटिंग को एफ.एस. एल. भिजवाना।
4	आरोप साबित होने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी	
5	साक्ष्य अधिनियम 27 {23(2) BSA} से सूचना प्राप्त करना।	
6	आरोप पत्र तैयार करना।	

कूटरचना/धोखा/छल सम्बन्धी अपराध के अनुसंधान की चेक लिस्ट

1. FIR के साथ कूटरचित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना।
2. दस्तावेज पूर्ण रूप से कूट रचित है या दस्तावेज का कोई भाग कूट रचित है यह निश्चित करना।
3. केस डायरी में कूट रचित भाग का उल्लेख करना।
4. कूट रचना से किन-किन लोगों ने सदोष लाभ प्राप्त किया है तथा किन-किन लोगों को सदोष हानि हुई है यह निश्चित करना।
5. सम्बन्धित गवाहों के बयान लेना।
6. दस्तावेज तैयार करने के लिए कौन अधिकृत है, उसके बयान लेना।
7. दस्तावेज किस कार्यालय/संस्था/कम्पनी/बैंक/निगम आदि द्वारा जारी किया गया। जारी किया जाना प्रस्तावित था वहाँ से रिकार्ड प्राप्त करना।
8. कूल दस्तावेज यदि परिवादी पक्ष के पास हो तो जब्त करना।
9. प्रथम दृष्टया यदि अपराध बनता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करना।

10. अभियुक्त के कब्जे से कूट रचित दस्तावेज जब्त करना।
11. यदि अभियुक्त के पास कूट रचित दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करना।
12. अभियुक्त द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम {23(2) BSA} की इत्तला रिकार्ड करना।
13. इत्तला के आधार पर दस्तावेजों की बरामदगी करना।
14. मुल्जिम के नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेने हेतु मजिस्ट्रेट को तहरीर देना। (311क) (VFC)
15. मजिस्ट्रेट के आदेश पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में मुल्जिम के धीमी/मध्यम/तेज गति में नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख लेना।
16. मुल्जिम के विवाद रहित नमूना हस्ताक्षर/हस्तलेख प्राप्त करना।
17. मुल्जिम द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कहाँ किया गया है इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करना।
18. यदि कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कोई सम्पत्ति प्राप्त की गई है तो जब्त करना।
19. जहाँ कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है वहाँ का रिकार्ड प्राप्त करना।
20. यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो तो दस्तावेजों की प्रतियाँ जब्त करना (63Avidance Act)
21. मुल्जिम का रिमाण्ड JC/PC प्राप्त करना।
22. दस्तावेजों को परीक्षण हेतु FSL में भेजने का अग्रेषण पत्र तैयार करना।
23. विवादित/अविवादित/नमूना हस्ताक्षर/अभिलेखों को Highlight करना।
24. दस्तावेज परीक्षण हेतु FSL भेजना।
25. यदि कूट रचित दस्तावेज किन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तैयार किए गए हैं तो उनको जब्त करना।

7. आत्म हत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण

धारा 45 BNS {107 IPC} – किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो

- (क) उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा
- (ख) उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड़यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा
- (ग) उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है

स्पष्टीकरण 1— जो कोई व्यक्ति जानबूझ कर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है, जानबूझ कर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण – क एक लोक ऑफिसर, न्यायालय के वारंट द्वारा य को पकड़ने के लिये प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग, य नहीं है क को जानबूझ कर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग, य है और तद्वारा साशय क से ग को पकड़वाता है। यहां ख, ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है।

स्पष्टीकरण 2— जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और तद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 46 BNS {108 IPC} दुष्प्रेरक— वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा इसी आशय या ज्ञान से, जो दुष्प्रेरक का है, किया जाता।

स्पष्टीकरण 1 किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2 दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाये या अपराध गठित होने के लिये अपेक्षित प्रभाव कारित हो।

उदाहरण 1— ग की हत्या करने के लिये ख को क को उकसाता है। ख वैसा करने से इंकार कर देता है। क हत्या करने के लिये ख के दुष्प्रेरण का दोषी है।

उदाहरण 2— घ की हत्या करने के लिये ख को क उकसाता है। ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में घ को घायल कर देता है। क हत्या करने के लिये ख को उकसाने का दोषी है।

स्पष्टीकरण 3. यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिये विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो, जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान है।

उदाहरण 1—य की हत्या करने के आशय से ख को, जो सात वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए क को उकसाता है जिससे य की मृत्यु हो जाती है। ख दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे य की मृत्यु कारित करता है। यहां यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि क उसी प्रकार से दण्डनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसीलिए क मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है।

स्पष्टीकरण 4. अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

उदाहरण ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिये ख को क उकसाता है। ख तदनुसार य की हत्या करने के लिये ग को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणामस्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिये हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिये ख को उकसाया इसलिये क भी उसी दंड से दंडनीय है।

स्पष्टीकरण 5 षडयंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाये। यह पर्याप्त है कि वो षडयंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है।

उदाहरण — य को विष देने के लिये ग एक योजना ख से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा ख तब यह वर्णित करते हुए ग को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किन्तु क का नाम नहीं लेता। ग विष उपाप्त करने के लिये सहमत हो जाता है और उसे समझाये गये प्रकार से उपाप्त करके प्रयोग में लाने के लिये ख को दे देता है। क विष देता है, परिणामस्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यहां यद्यपि क और ग ने मिलकर षडयंत्र नहीं रचा है तो भी ग उस षडयंत्र में शामिल रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है इसलिये ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिये दंड से दंडनीय है।

धारा 47 BNS {108A IPC} — वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

दृष्टांत — क भारत में ख को जो एक देश में विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है।

धारा 48 BNS {108 IPC} — वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए।

दृष्टांत — क एक देश में ख को, भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है। क हत्या के दुष्प्रेरण को दोषी है।

धारा 49 BNS {109 IPC} — दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसक परिणामस्वरूप किया जाये जहां कि उसके दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है— जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिये इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये उपबंधित है।

स्पष्टीकरण —कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में या सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

उदाहरण — ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिये क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है।

धारा 50 BNS {110 IPC} – दुष्प्रेरण का दण्ड – यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है – जो कोई किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दण्ड से दण्डित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।

धारा 51 BNS {111 IPC} –दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किये गये कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानों उसने सिधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो।

धारा 52 BNS {112 IPC} – दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए आंकलित दण्ड से दण्डनीय है – यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अन्तिम दुरगामी धारा के अनुसार दायित्वों के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह सुभिन्न अपराध गटित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक कार्य के लिए अपराधी होगा।

धारा 53 BNS {113 IPC} – दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो – जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है, और दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है। वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है। तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानों उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो परन्तु यह तब जबकि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभावित है।

धारा 54 BNS {114 IPC} – अपराध के किये जाने के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति – जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाय जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दण्डनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

धारा 108 BNS {306 IPC} – आत्म हत्या का दुष्प्रेरण– यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही–भा.द.सं. धारा 107 से 114 तथा 306 भा.द.स.

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. मेडिकल मुआयना करवाना
3. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
4. आत्म हत्या के प्रयास के कारणों का पता लगाना।
5. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
6. साक्ष्य प्राप्त करना।
7. आरोप पत्र तैयार करना।

प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटेनी नोट बनाना।

(उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)

8. अपहरण एवं व्यपहरण

धारा 137(1) BNS {359 IPC} – व्यपहरण– व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।

धारा 137(1)(A) BNS {360 IPC} –जो कोई किसी व्यक्ति का, उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैद्य रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना (भारत) की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह (भारत) में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

धारा 137(1)(B) BNS {361 IPC} – जो कोई किसी अप्राप्तव्य को, यदि वह नर हो तो (सोलह) वर्ष से कम आयु वाले को, या यदि वह नारी हो तो (अठारह) वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्य या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्तव्य या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तव्य या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद – इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है, जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास कि वह ऐसे शिशु के विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।

धारा 137(2) BNS {363 IPC} –व्यपहरण के लिए दण्ड– 7 वर्ष कैद और जुर्माना

धारा 138 BNS {362 IPC} –अपहरण–जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने लिये बल द्वारा विवश करता या किन्हीं प्रवचनापूर्ण (लालच इत्यादि) उपायों से उत्प्रेरित करता है उसे व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है।

धारा 139 BNS {363(A) IPC} – भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण–

(1) जो कोई अप्राप्तव्य का इसलिए व्यपहरण करेगा या उसकी अभिरक्षा इसलिए प्राप्त करेगा की ऐसा अप्राप्तव्य भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

दण्ड– दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

(2) जो कोई किसी अप्राप्तव्य को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा अप्राप्तव्य भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(3) जहाँ कि कोई व्यक्ति, जो अप्राप्तव्य का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस अप्राप्तव्य को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर लिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस अप्राप्तव्य का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह अप्राप्तव्य भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।

(4) (क) भीख मांगने से अभिप्रायः है:–

1. लोक स्थान से भिक्षा की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, आदि
2. भिक्षा की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में प्रवेश करना
3. भिक्षा अभिप्राप्त या उद्घापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीवजन्तु का कोई व्रण, घाव आदि को अभिदर्शित करना।
4. भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से अप्राप्तव्य का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना

(ख) अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो–

1. यदि नर है, तो सोलह वर्ष से कम आयु का है तथा
2. यदि नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की है।

धारा 140(1) BNS {364 IPC} :–हत्या करने के लिये व्यवहरण या अपहरण:– जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाये या उसको ऐसे व्ययनित किया जाये कि वह

अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये वह आजीवन कारावास या दस वर्ष के कठिन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 140(2) BNS {364(A) IPC} – मुक्ति धन, आदि के लिए व्यपहरण (फिरोती मांगना) – जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या अपहरण के पश्चात् निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कारित करने उपहति करने के लिए धमकी देगा या अपने इस आचरण में ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उपहति की जा सकती है या कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से प्रविरत रहने के लिए या मुक्ति धन देने के लिए सरकार या किसी राज्य या अन्तरराष्ट्रीय अन्तरसकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उपहति करेगा वह मृत्यु कारित करेगा वह मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा।

धारा 140(3) BNS {365 IPC} 365:– किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यवहरण या अपहरण का दण्ड 7 वर्ष कैद और जुर्माना

धारा 140(4) BNS {367 IPC} – व्यक्ति को घोर उपहती, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण – जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहती या दासत्व या किसी व्यक्ति कि प्रकृति के विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाया जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है उसे व्ययनित किया जाए या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपरोक्त बातों का विषय बनाया जाएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माना से दण्डनीय होगा।

धारा 87 BNS {366 IPC} :- किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण:–जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिये उस महिला को विवश करने के आशय से या विवश की जावेगी यह सम्भाव्य जानते हुये अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिये उस महिला को विवश या विलुब्ध करने के लिए या सम्भावना जानते हुए विवश करेगा। दण्ड – 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 96 BNS {366(A) IPC} – बालक का उपापन –जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के बालक को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या विवश किये जाने की संभावना जानते हुये, ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कार्य करने को उत्प्रेरित करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 141 BNS {366(B) IPC} – विदेश से लडकी का आयात करना – जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लडकी को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मु कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या एतद्वारा वह विवश या विलुब्ध की जायेगी यह सम्भावना जानते हुए करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 142 BNS {368 IPC} – अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना – जो कोई यह जानते हुए कि व्यक्ति अपहृत या व्यपहृत किया गया है ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानों उससे उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा हो।

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही –

भारतीय दण्ड संहिता धारा 359 से 368 भा.द.स.

अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. प्रथम सूचना दर्ज करना।
2. अपहृत को छुड़ाना
3. मोबाईल फोन इन्टरसेप्शन, कॉल रिकॉर्ड प्राप्त करना।
4. अपराधी की अविलम्ब गिरफ्तारी करना।
5. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
6. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
7. साक्ष्य प्राप्त करना।
8. आरोप पत्र तैयार करना।

प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना 6. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना।
(उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करायेगा।)

9. मर्ग की कार्यवाही

धारा 194 BNSS {174 CRPC}:-आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना:-

(1) एस.एच.ओ को या इस हेतु विशेष सशक्त पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी ने आत्महत्या करली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जीव जन्तु द्वारा यन्त्र द्वारा मारा गया है या ऐसी परिस्थिति में मरा है जिससे सन्देह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है जो थाना अधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर मर्ग की प्रथम सूचना दर्ज कर रोचनामचा आम में रिपोर्ट दर्ज कर इसकी सूचना तुरन्त सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भेजेगा और विशेष आदेश न होने तक उस स्थान पर जायेगा जहां ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है वहां पहुंचकर पड़ोस के दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति में पंचायतनाम लाश बनायेगा।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत हैं, हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 24 घण्टे भेज दी जायेगी।

(3) जब :-

(1) मामले में किसी महिला द्वारा विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अन्तर्वलित है।

(2) मामला किसी महिला की उसके विवाह से सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से सम्बंधित जो एक युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के सम्बंध में कोई अपराध किया है या

(3) मामले में किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर मृत्यु से सम्बंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है या

(4) मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है या

(5) किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा कराना समीचीन समक्षता है,

ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किये जाये वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना जिससे उसकी परीक्षा व्यर्थ हो जाये, से भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परीक्षा कीदृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहर्त चिकित्सक के पास भेजेगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है, अर्थात् कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

01. जांच के दौरान की जाने वाली कार्यवाही

1. मर्ग रिपोर्ट दर्ज करना।
2. पंचायतनामा, फर्द सुरतहाल लाश तैयार करना।
3. मृतक का पोस्टमार्टम करवाना
4. लाश सुपुर्दगी तैयार करना।
5. मृत्यु के कारणों की जांच करना।
6. घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल तैयार करना।
7. गवाह के बयान मौके से साक्ष्य प्राप्त करना व दर्ज करना।
8. साक्ष्य प्राप्त करना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर फाईनल रिपोर्ट तैयार करना।

02. प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना

03. वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रुटनी नोट बनाना। (उपरोक्त कार्य अनुदेशक प्रायोगिक कार्य के तहत करवायेगा।)